भारत

के

नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष का

प्रतिवेदन

(राजस्व प्राप्तियाँ)

बिहार सरकार

www.cag.gov.in

विषय– सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		(iv)
विहंगावलोकन		(v)
अध्याय–I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ	1.2	3
संग्रहण की लागत	1.3	4
प्रति निर्धारिती बिक्री कर का संग्रहण	1.4	4
संग्रहण का विश्लेषण	1.5	5
बकाये राजस्व का विश्लेषण	1.6	5
बिक्री–कर निर्धारण के बकाये मामले	1.7	6
कर का अपवंचन	1.8	7
वापसी (प्रतिदाय)	1.9	7
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	7
उत्तरदायित्त्व प्रवर्तित करने तथा सरकार के हितों की रक्षा करने में वरीय अधिकारियों की विफलता	1.11	8
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.12	10
प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया	1.13	10
अध्याय II : विक्रय, व्यापार आदि पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	11
क्रय/विक्रय की राशि का छिपाया जाना	2.2	12
अतिरिक्त कर का कम आरोपण	2.3	14
अतिरिक्त कर का गलत समायोजन	2.4	14
छूट की गलत स्वीकृति	2.5	15
संगणना में भूल के कारण कम कर का आरोपण	2.6	15
अर्थदण्ड नहीं /कम लगाया जाना	2.7	16
कर देय बिक्री–राशि का गलत निर्धारण	2.8	16
क्रय–कर आरोपित नहीं किया जाना	2.9	17
अध्याय III : राज्य उत्पाद		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	18
उत्पाद दूकानों की बन्दोबस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व	3.2	19

	कंडिका	पृष्ठ
की हानि		
निरस्तीकरण के बाद उत्पाद दूकानों की बन्दोबस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि	3.3	20
अनुज्ञप्तिधारकों को अनुचित लाभ	3.4	20
अध्याय IV : मोटर वाहनों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	22
समीक्षा : मोटर वाहन पर कर का आरोपण और संग्रहण	4.2	23
सूचना–प्रौद्योगिकी आधारित समीक्षा : **रोड ट्रान्सपोर्ट मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम'(निकट्रान)**	4.3	35
अध्याय V : अन्य कर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	42
पट्टे पर धारित (लीज होल्ड) खास महाल भूमि के नियमों एवं शर्तों का नवीनीकरण नहीं किये जाने/उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्व की क्षति	5.2	43
प्रवेश कर के आरोपण और उनकी वसूली (संग्रहण)	5.3	44
अध्याय VI : वन–प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	51
वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन	6.2	52
अतिक्रमित वन–भूमि से अवैध रूप से निस्सारित वन सम्पदा के लागत मूल्य की वसूली नहीं किया जाना	6.3	53
इमारती लकड़ियों का निस्तार नहीं किये जाने के कारण राजस्व वसूली में देरी	6.4	54
अध्याय VII : अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1	55
ईंट–मिट्टी के अवैध खनन के लिए दण्डारोपन नहीं/कम किया जाना	7.2	56
बन्दोबस्ती विलेख (डीड ऑफ सेटलमेन्ट) का कार्यान्वयन नहीं किये जाने के कारण राजस्व की क्षति	7.3	57
खतियानी तैयार नहीं किये जाने के कारण मांग प्रस्तुत नहीं किया जाना	7.4	57
निम्न दरों पर 'चाट–भूमि' की बन्दोबस्ती किये जाने के कारण राजस्व की क्षति	7.5	58
लेखापरीक्षा फीस की वसूली नहीं किया जाना	7.6	58
लेखापरीक्षा से वंचित रहने वाली सहकारी समितियाँ	7.7	59

		कंडिका	पृष्ठ
मांग का सृजन/वसूली नहीं किया जाना		7.8	60
संलग्नक			
I	अधूरा डाटा बेस (सूचना सामग्री संग्रह)	4.3.4	63
II	अधूरा डाटा बेस (सूचना सामग्री संग्रह)	4.3.4	65
III	ईंन्जिन/चेसिस और बीमा/कवर–नोट नम्बरों का अनुवीक्षण (संचालन) करने में नियन्त्रण का अभाव	4.3.5	66
IV	ईन्जिन/चेसिस और इन्श्योरेन्स/कवर नोट नम्बरों का अनुवीक्षण (संचालन) करने में नियन्त्रण का अभाव	4.3.5	67
V	मांग का सृजन/वसूली नहीं किया जाना	7.8	70
VI	मांग की सृजन/वसुली नहीं किया जाना	7.8	71

प्रस्तावना

31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये यह प्रतिवेदन, संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिए तैयार किया गया है।

राज्य–सरकार के राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्त्त) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन संचालित की जाती है।

यह प्रतिवेदन विक्रय, व्यापार आदि सम्बन्धी कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहन सम्बन्धी कर, भू–राजस्व, अन्य कर–प्राप्तियाँ, खनिज रियायत, फीस, रायल्टी ओर राज्य के 'अन्य कर भिन्न प्राप्तियों' को शामिल करते हुए प्राप्तियों की लेखापरीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करता हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2004–05 की अवधि में अभिलेख की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये ; साथ ही उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो समीक्षाओं सहित 25 कंडिकाएं हैं जिनमें 176.92 करोड़ रुपये का कर नहीं लगाये जाने/कम कर, ब्याज आदि लगाये जाने से सम्बन्धित मामले हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

वर्ष 2004–05 के लिये बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ 15,714.14 करोड़ रुपये थी। कर–राजस्व के 3,347.39 करोड़ रुपये और कर–भिन्न राजस्व के 417.79 करोड़ रुपये को मिलाकर, राज्य सरकार ने कुल 3,765.18 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रहित किया। भारत सरकार से 11,948.96 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई (विभाज्य संघीय करों से राज्य का हिस्सा 9,117.13 करोड़ रुपये और सहायता अनुदान 2,831.83 करोड़ रुपये)। इस प्रकार राज्य सरकार, कुल राजस्व का केवल 24 प्रतिशत ही संग्रहित कर सकी। वर्ष 2004–05 की अवधि में बिक्री व्यापार आदि पर कर (1,890.54 करोड़ रुपये) और अ–लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (80.09 करोड़ रुपये) क्रमशः कर–राजस्व और कर–भिन्न राजस्व के मुख्य श्रोत थे।

(कंडिका 1.1.1, 1.1.2 एवं 1.1.3)

वर्ष 2004–05 की अवधि में राज्य उत्पाद तथा स्टाम्प एवं निवबन्धन शुल्क के संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2003–04 के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से स्पष्टतया अधिक थी।

(कंडिका 1.3)

वाणिज्य कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की वर्ष 2004–05 की अवधि में की गयी नमूना जाँच से 1,047.08 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम निर्धारण/हानि के 1,833 मामले प्रकाश में आये। वर्ष 2004–05 की अवधि में सम्बद्ध विभागों ने 60 मामलों में अन्तर्ग्रस्त 343.52 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण स्वीकार किया, जिसमें से 329.54 करोड़ रुपये से अन्तर्ग्रस्त 54 मामले वर्ष 2004–05 की लेखापरीक्षा के दौरान एवं शेष पिछले वर्षों में बतलाये गये थे। सम्बद्ध विभागों ने 67.35 लाख रुपये से अन्तर्ग्रस्त 10 मामलों में वसूली किया जाना भी प्रतिवेदित किया है।

(कंडिका 1.10)

दिसम्बर 2004 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या क्रमशः 8,275 एवं 34,331 थीं जिनका निराकरण जून 2005 तक नहीं हो पाया था, जिसमें 3,780.24 करोड़ रुपये अन्तर्ग्रस्त थे। 2,123 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.11)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

नौ अंचलों में निबन्धित विभिन्न वस्तुओं के 26 व्यवसायियों द्वारा विक्रय राशि छिपाये जाने के फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 4.65 करोड़ रुपये का कम कर आरोपित किया गया।

(कंडिका 2.2)

पटना विशेष अंचल में पेट्रोलियम उत्पादों के व्यवसाय में संलग्न एक व्यवसायी के मामले में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 764.06 करोड़ रुपये की सही राशि के स्थान पर मात्र 98.36 करोड़ रुपये की कर राशि पर ही अतिरिक्त कर आरोपित किया गया, जिसके फलस्वरूप अधिभार सहित 7.32 करोड़ रुपये का कम अतिरिक्त कर आरोपित किया गया।

(कंडिका 2.3)

III. राज्य उत्पाद

वर्ष 2001–02 से 2003–04 की अवधि में 14 उत्पाद कार्यालयों में, 104 दे. श. दूकान, 49 म. दे. श. दूकान और 26 भा. नि. वि. श. दूकानों की बन्दोबस्ती नहीं की गई, या विभागीय स्तर पर उनका प्रचालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप उत्पाद कर एवं अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में 10.06 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 3.2)

IV. मोटर वाहनों पर कर

"मोटर–वाहनों पर कर के आरोपण एवं संग्रहण" पर की गयी समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उद्घाटित हुए :

- बजट प्राक्कलनों और उगाही किये गये राजस्व के बीच एक विस्तृत अन्तर था। यह अन्तर विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़ो तथा वित्त लेखाओं में विद्यमान आँकड़ों में भी पाया गया, जिसके लिए 31 मार्च 2004 तक कोई समाधान नहीं किया गया था।

(कंडिका 4.2.6)

- 24 जिला परिवहन कार्यालयों में, अप्रील 1999 से नवम्बर 2004 तक की अवधि के लिए, 1,215 वाणिज्यिक वाहनों से सम्बद्ध, 22.92 करोड़ रुपये के बकाया कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही सम्बन्धित कर प्राधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई थी।

(कंडिका 4.2.8)

- विभाग ने 299 वाहनों के लिये, वाहन मालिकों से 2.22 करोड़ रुपये के कर की वसूली के लिये कोई कारवाई नहीं की जो अभ्यर्पित वाहनों पर कर भुगतान करने से छूट प्राप्त करने में विफल रहे।

(कंडिका 4.2.9)

- सात जिलों में, मोटर–वाहन निरीक्षकों ने, 1.95 करोड़ रुपये के अद्यतन कर का भुगतान सुनिश्चित किये बिना, 77 वाहनों के लिए योग्यता प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) निर्गत किया था।

(कंडिका 4.2.11)

- जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना ने, राजस्व की 5.07 लाख रुपये की राशि को सरकारी लेखा में वास्तविक रूप से जमा किये जाने की जाँच किये बिना,

प्रलेख (डाक्यूमेन्ट्स) निर्गत कर दिया। इसमें से 4.95 लाख रुपये की वसूली लेखापरीक्षा के कहने पर की गई।

(कंडिका 4.2.13)

रोड ट्रान्सपोर्ट मैनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (निकट्रान) पर एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य उद्घटित हुए :

- द्वितीयक ईन्जिन/चेसिस संख्या के आधार पर निबन्धन करने में नियन्त्रण का अभाव।

- द्वितीयक बीमा प्रमाण पत्र/कवर नोट संख्या के आधार पर निबन्धन करने में नियन्त्रण का अभाव।

(कंडिका 4.3.5)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

समाप्त हो चुके पट्टों का नवीनीकरण नहीं करने/990 आवासीय पट्टों के लगान का भुगतान नहीं होने के फलस्वरूप वर्ष 1998–99 से 2003–04 की अवधि के लिए सलामी, दण्ड लगान और दण्ड ब्याज के रूप में 28.70 करोड़ रुपये का कर आरोपण/वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.2.1)

पाँच वाणिज्य कर अंचलों में निबन्धित अनुसूचित माल के 43 व्यवसायियों द्वारा आयात मूल्य छिपा लिये जाने के कारण वर्ष 2000–01 से 2003–04 की अवधि में अर्थदण्ड सहित 16.29 करोड़ रुपये का कम प्रवेश कर आरोपित किया गया।

(कंडिका 5.3.1)

पाँच वाणिज्य कर अंचलों में वर्ष 2000–01 से 2003–04 की अवधि में 37 व्यवसायियों ने 30.76 करोड़ रुपये के अनुसूचित माल का आयात किया, जिस पर, इन व्यवसायियों का प्रवेश कर अधिनियम के अधीन निबन्धन नहीं रहने के फलस्वरूप 1.26 करोड़ रुपये का प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जा सका।

(कंडिका 5.3.3)

VI. वन प्राप्तियाँ

वन संरक्षण अधिनियम तथा वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण की लागत और वन उत्पादन की लागत सहित 184.62 करोड़ रुपये का शुद्ध वर्त्तमान मूल्य प्राप्त नहीं होने के अतिरिक्त वन पर्यावरण की स्थिरता एवं जैविक परिवेश के सन्तुलन को प्रभावित करने वाले वन रिक्तिकरण के रूप में क्षति हुई।

(कंडिका 6.2)

VII. अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ

छह जिला खनन कार्यालयों में, निर्धारित समेकित रॉयल्टी का भुगतान किये बिना तथा वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 के ईंट मौसम में 232 ईंट

भट्ठों का संचालन किया गया। इस प्रकार के व्यवसाय को रोकने में और 1.97 करोड़ रुपये का दण्ड आरोपित करने में सक्षम प्राधिकारी विफल रहे।

(कंडिका 7.2)

चार जल पथ प्रमंडलों में, वर्ष 2001–02 से 2003–04 की अवधि में सिंचित 1.73 लाख एकड़ खरीफ की भूमि तथा 2.09 लाख एकड़ रबी की भूमि के लिए 3.03 करोड़ रुपये के जल कर की मांग प्रस्तुत किये जाने एवं उनका संग्रहण किये जाने के लिए वांछित खतियानी का निर्माण नहीं किया गया और उसे सम्बन्धित राजस्व प्रमंडलों को नहीं भेजा गया।

(कंडिका 7.4)

परिवहन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मार्च 2005 तक 41.40 करोड़ रूपये के ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज का न तो हिसाब लगाया गया था और न उसकी मांग की गई थी।

(कंडिका 7.8)

अध्याय I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

1.1.1 वर्ष 2004–05 की अवधि में बिहार सरकार द्वारा संग्रहित कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तत्सम्बन्धी आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपये में)

		2000–01[1]	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
I.	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व					
	(क) कर राजस्व	2,809.23	2,318.95	2,761.05	2,889.69	3,347.39
	(ख) कर–भिन्न राजस्व	711.68	286.70	260.82	320.38	417.79
	योग	**3,520.91**	**2,605.65**	**3,021.81**	**3,210.07**	**3,765.18**
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	(क) विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	6,575.63	6,176.62	6,549.23	7,627.87	9,117.13
	(ख) सहायता अनुदान	1,080.78	1,057.02	1,397.32	1,617.62	2,831.83
	योग	**7,656.41**	**7,233.64**	**7,946.55**	**9,245.49**	**11,948.96**
III.	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ[2] (I एवं II)	11,177.32	9,839.29	10,968.42	12,455.56	15,714.14
IV.	I से III की प्रतिशतता	31	26	28	26	24

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2004–05 की अवधि में राज्य सरकार ने 15,714.14 करोड़ रुपये के कुल राजस्व प्राप्तियों का केवल 24 प्रतिशत ही संग्रहित किया और प्राप्तियों का 76 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त था। वर्ष 2002–03 के दौरान हुई 2 प्रतिशत की आंशिक वृद्धि को छोड़कर कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा संग्रहित राजस्व के अंशदान में वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि में लगातार ह्रास हुआ है।

1.1.2 विगत चार वर्षों के आंकड़ों के साथ–साथ वर्ष 2004–05 की अवधि में संग्रहित कर राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है :

1 *वर्ष 2000–01 के आंकड़ें झारखण्ड को छोड़कर बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करतें है।*

2 *पूर्ण विवरण के लिये कृपया बिहार सरकार के वर्ष 2004–05 के वित्त लेखे में विवरणी संख्या–11 लघु शीर्षवार राजस्व की विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष – "0020 निगम कर", "0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर", "0028 – आय और व्यय पर अन्य कर", "0032–सम्पत्ति पर कर", 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद, "0044–सेवा पर कर", एवं "0045–वस्तुों और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क" – लघु शीर्ष "901–निबल–प्राप्तियों में राज्यों को समनुदिष्ट हिस्सा" के अन्तर्गत आँकड़ें जो वित्त लेखा में "क–कर राजस्व" में दिखलाये गये हैं, को "राज्य द्वारा संग्रहित राजस्व से हटाकर "विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश" में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखलाया गया है।*

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2003–04 की अपेक्षा 2004–05 में वृद्धि (+) या ह्रास (–) की प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,821.47	1,412.96	1,647.62	1,637.23	1,890.54	15.47
2.	राज्य उत्पाद	242.58	238.90	241.95	240.01	272.47	13.52
3.	मुद्रांक एवं निबन्धन शुल्क	301.86	304.44	348.21	417.56	429.14	2.77
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	36.77	14.08	14.30	17.62	9.54	(–)45.86
5.	वाहनों पर कर	223.98	141.54	177.98	209.50	212.78	1.57
6.	माल एवं यात्रियों पर कर – स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	124.84	153.32	262.91	305.83	472.88	54.62
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	23.38	19.62	27.98	28.14	26.65	(–)5.29
8.	भू–राजस्व	34.33	34.08	36.15	33.80	33.39	(–)1.21
9.	कृषि आय पर कर	0.02	0.01	–	–	–	–
10.	आय और व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	–	–	3.95	–	–	–
	योग	**2,809.23**	**2,318.95**	**2,761.05**	**2,889.69**	**3,347.39**	**15.84**

पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्त्वपूर्ण भिन्नता के कारण, यद्यपि मई एवं सितम्बर 2005 में, सम्बद्ध विभागों से मांगे गये, किन्तु प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 2005) i

1.1.3 विगत चार वर्षों के आंकड़ों के साथ–साथ वर्ष 2004–05 की अवधि में संग्रहित कर–भिन्न राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2003–04 की अपेक्षा 2004–05 में वृद्धि (+) या ह्रास (–)
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	30.68	11.75	53.01	23.08	75.06	225.22
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	11.50	17.07	10.04	6.29	7.16	13.83

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05	2003–04 की अपेक्षा 2004–05 में वृद्धि (+) या ह्रास (–)
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्मीय उद्योग	409.92	39.20	61.20	73.34	80.09	9.20
4.	विविध सामान्य सेवाएँ (लाटरी प्राप्तियाँ सहित)	0.61	13.95	0.60	0.15	9.07	5,946.67
5.	मुख्य एवं मध्ययम सिंचाई	33.90	15.58	15.43	26.22	20.82	(–)20.59
6.	चिकित्सा एवं लोक–स्वास्थ्य	13.70	16.50	13.92	11.97	12.66	5.76
7.	सहकारिता	7.97	6.82	1.84	0.84	1.47	75.00
8.	लोक निर्माण	0.99	0.78	1.11	1.15	1.13	(–)1.74
9.	पुलिस	4.70	3.98	22.71	16.86	13.72	(–)18.62
10.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	61.58	22.43	15.19	80.72	107.99	33.78
11.	अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	136.13	138.64	65.77	79.76	88.62	11.11
	कुल	**711.68**	**286.70**	**260.82**	**320.38**	**417.79**	**30.40**

गत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में महत्त्वपूर्ण भिन्नता के कारण यद्यपि सम्बद्ध विभागों से मई और सितम्बर 2005 में मांगे गये किन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2005)।

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नताएँ

वर्ष 2004–05 के लिये मुख्य राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नतायें नीचे दी गई हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नताएँ वृद्धि (+)/ह्रास (–)	प्रतिशतता
•	**कर राजस्व**				
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,070.00	1,890.54	(–)179.46	(–)8.67
2.	राज्य उत्पाद	290.00	272.47	(–)17.53	(–)6.04
3.	मुद्रांक एवं निबन्धन फीस	500.00	429.14	(–)70.86	(–)14.17
4.	वाहनों पर कर	250.00	212.78	(–)37.22	(–)14.89
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	15.00	9.54	(–)5.46	(–)36.40
6.	भू–राजस्व	25.00	33.39	8.39	33.56
7.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	19.50	26.65	7.15	36.67
8.	माल एवं यात्री पर कर–स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	300.00	472.88	172.88	57.63
•	**कर–भिन्न राजस्व**				

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नताएँ वृद्धि (+)/ह्रास (–)	प्रतिशतता
1.	अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	75.00	80.09	5.09	6.79
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	6.00	7.16	1.16	19.33
3.	ब्याज प्राप्तियाँ	17.99	75.06	57.07	317.23
4.	जल दर (मुख्य एवं मध्यम सिंचाई)	15.00	20.82	5.82	38.80

बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच भिन्नता के कारण सम्बद्ध विभागों से, मई और सितम्बर 2005 में मांगे गये किन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2005)।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2002–03 से 2004–05 तक की अवधि में मुख्य राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ वर्ष 2003–04 के लिये सकल संग्रहण की तुलना में संग्रहण पर हुए व्यय से सम्बन्धित अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता नीचे दर्शायी गई है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2003–04 के लिये अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2002–03	1,647.62	21.30	1.30	1.15
		2003–04	1,637.23	21.46	1.31	
		2004–05	1,890.54	21.46	1.14	
2.	राज्य उत्पाद	2002–03	241.95	13.75	5.68	3.81
		2003–04	240.01	16.20	6.74	
		2004–05	272.47	16.19	5.94	
3.	मुद्रांक एवं निबन्धन फीस	2002–03	348.21	17.56	5.04	3.66
		2003–04	417.56	22.52	5.39	
		2004–05	429.14	22.02	5.13	
4.	वाहनों पर कर	2002–03	177.98	4.11	2.30	2.57
		2003–04	209.50	3.94	1.88	
		2004–05	212.78	3.85	1.81	

उपर्युक्त तालिका से यह पता चलता है कि राज्य उत्पाद, मुद्रांक तथा निबन्धन फीस के संग्रहण पर किये गये व्यय की प्रतिशतता वर्ष 2003–04 के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक थी।

1.4 प्रति निर्धारिती बिक्री कर का संग्रहण

वर्ष	निर्धारितियों की संख्या	बिक्री कर राजस्व (करोड़ रुपये में)	राजस्व प्रति निर्धारिती (लाख रुपये में)
2000–01	50,407	1,821.47	3.61
2001–02	55,077	1,412.96	2.56
2002–03	58,495	1,647.62	2.81
2003–04	49,202	1,637.23	3.33
2004–05	75,582	1,890.54	2.50

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रति निर्धारिती राजस्व वसूली वर्ष 2003–04 के 3.33 लाख रुपये से घटकर वर्ष 2004–05 में 2.50 लाख रुपये हो गयी।

1.5 संग्रहण का विश्लेषण

कर निर्धारण के पूर्व तथा नियमित कर निर्धारण के बाद वित्तीय वर्ष 2004–05 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर के कुल संग्रहण का ब्यौरा तथा वित्त (वाणिज्य कर) विभाग द्वारा प्रस्तुत विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	निर्धारण के पूर्व संग्रहित राशि	नियमित निर्धारण के बाद संग्रहित राशि	कर एवं शुल्क के भुगतान में विलम्ब के लिये अर्थदण्ड	वापस की गई राशि	विभाग के अनुसार कुल संग्रहण	वित्त लेखे के अनुसार कुल संग्रहण	कॉलम 8 से कॉलम 3 की प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2000–01	1,794.11	19.11	1.55	–	1,814.77	1,821.47	98.49
	2001–02	1,387.17	7.94	–	–	1,395.06	1,412.96	98.17
	2002–03	1,584.73	111.43	0.82	3.16	1,693.82	1,647.62	96.18
	2003–04	1,542.98	91.72	1.01	4.17	1,630.53	1,637.23	94.24
	2004–05	1,809.59	78.79	1.37	9.18	1,879.20	1,890.54	95.72

1.6 बकाया राजस्व का विश्लेषण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च 2005 को बकाया राजस्व 1,101.34 करोड़ रुपये था, जिसमें से 395.35 करोड़ रुपये पाँच वर्षों से अधिक समय से लम्बित था, जिसका ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है :

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2005 को बकाया राशि	31 मार्च 2005 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया	अभ्युक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	699.19	304.10	699.19 करोड़ रुपये में से 271.85 करोड़ रुपये की मांग को भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली के लिये प्रमाणित किया गया था। 154.52 रुपये की वसूली पर न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगायी थी। 2.23 करोड़ रुपये की वसूली आवेदन के भूल–सुधार/पुनर्विचार के कारण रोकी गयी थी। शेष 270.59 करोड़ रुपये के बकाये के सम्बन्ध में की गई कारवाई की सूचना, यद्यपि इसकी मांग मई तथा सितम्बर 2005 में की गयी थी, विभाग द्वारा नहीं दी गई है (सितम्बर 2005)।
2.	अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	116.63	47.77	116.63 करोड़ रुपये में से 96.57 करोड़ रुपये की मांग को भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूली के लिये प्रमाणित किया गया था। शेष 20.06 करोड़ रुपये के बकाये के सम्बन्ध में की गई कारवाई की सूचना, यद्यपि इसकी मांग मई और सितम्बर 2005 में की गई थी, नहीं दी गयी है (सितम्बर 2005)।

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2005 को बकाया राशि	31 मार्च 2005 को पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया	अभ्युक्तियाँ
3.	भू–राजस्व	106.99	18.65	संग्रहण के लिये लम्बित रहने वाले बकायों की स्थितियाँ नहीं बतलायी गयी यद्यपि कि विभाग से इसकी मांग मई एवं सितम्बर 2005 में की गई (सितम्बर 2005)।
4.	जल दर	147.45	अप्राप्त	संग्रहण के लिये लम्बित रहने वाले बकायों की स्थिति नहीं बतलायी गयी यद्यपि कि विभाग से इसकी मांग मई एवं सितम्बर 2005 में की गई। (सितम्बर 2005)
5.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	7.14	6.67	7.14 करोड़ रुपये में से 2.24 करोड़ रुपये की वसूली पर न्यायालय तथा सरकार द्वारा रोक लगायी थी। शेष 4.90 करोड़ रुपये के बकाये के सम्बन्ध में की गई कारवाई की सूचना यद्यपि कि इसकी मांग मई एवं सितम्बर 2005 में की गयी थी नहीं दी गई (सितम्बर 2005) ।
6.	ईंख पर कर	15.43	13.84	15.43 करोड़ रुपये में से 4.57 करोड़ रुपये की मांग को भू–राजस्व के रूप में वसूली के लिये प्रमाणित किया गया था। 0.47 करोड़ रुपये और 10.39 करोड़ रुपये की वसूली पर क्रमशः न्यायालय और सरकार द्वारा रोक लगायी थी।
7.	प्रवेश कर	5.64	2.34	5.64 करोड़ रुपये में से 1.12 करोड़ रुपये की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगायी गई थी। शेष 4.52 करोड़ रुपये के बकाये के विषय में की गई कारवाई की सूचना यद्यपि कि इसकी मांग मई एवं सितम्बर 2005 में की गयी थी,, नहीं दी गई (सितम्बर 2005) ।
8.	मनोरंजन कर	2.87	1.98	2.87 करोड़ रुपये में से 1.70 करोड़ रुपये की मांग को भू–राजस्व के रूप में वसूली के लिये प्रमाणित किया गया था। 0.02 करोड़ रुपये की वसूली पर न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी थी। शेष 1.15 करोड़ रुपये के बकाये के विषय में की गयी कारवाई की सूचना यद्यपि इसकी मांग मई एवं सितम्बर 2005 में की गयी थी,, नहीं दी गई (सितम्बर 2005)।

1.7 बिक्री कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष 2000–01 से 2004–05 की अवधि में, वर्ष के प्रारम्भ में बिक्री कर निर्धारण सम्बन्धी लम्बित मामले, वर्ष की अवधि में कर निर्धारण योग्य मामले, वर्ष की अवधि में निष्पादित मामले और प्रत्येक वर्ष के अन्त में निष्पादन योग्य लम्बित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया, नीचे दिये गये है :

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण योग्य नये मामले	कुल	वर्ष के दौरान निष्पादित मामले	वर्ष के अन्त में शेष	कॉलम 4 से कॉलम 6 की प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
2000–01	82,902	96,560	1,79,462	50,407	1,29,055	72
2001–02	1,29,055	1,23,660	2,52,715	55,077	1,97,638	78
2002–03	1,97,638	69,069	2,66,707	58,495	2,08,212	78
2003–04	2,08,212	66,398	2,74,610	49,202	2,25,408	82
2004–05	2,25,408	69,914	2,95,332	75,582	2,19,750	74

1.8 कर का अपवंचन

वाणिज्य कर विभाग में 31 मार्च 2005 तक पता लगाये गये कर अपवंचन के 634 मामलों में से 376 मामलो में निर्धारण/जाँच पूरा कर लिया गया था और शेष 258 मामलों में अन्तिम निर्णय लम्बित रखते हुए वर्ष 2004–05 की अवधि में 1.05 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर (दंड सहित) का सृजन किया गया था।

अन्य विभागों से यद्यपि सूचनाएँ मई एवं सितम्बर 2005 में मांगी गई थी किन्तु विभागाध्यक्षों को अनेक स्मार देने के बावजूद प्राप्त नहीं हुई हैं (सितम्बर 2005)।

1.9 वापसी

वर्ष 2004–05 के आरम्भ में वापसी से सम्बन्धित लम्बित मामलों की संख्या, वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमति प्रदत्त वापसी तथा वर्ष के अन्त में (मार्च 2005) लम्बित मामले, जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किये गये थे, नीचे दिए गए हैं।

(करोड़ रुपये में)

		बिक्री कर		स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	3,110	11.72	शून्य	शून्य
2.	वर्ष की अवधि में प्राप्त दावे	116	8.12	7	0.79
3.	वर्ष की अवधि में की गई वापसी	94	9.18	3	0.59
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	3,132	10.66	4	0.20

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004–05 की अवधि में बिक्री कर, राज्य उत्पाद, मोटर वाहनों पर कर, मुद्रांक तथा निबन्धन फीस, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ, ब्याज प्राप्तियाँ तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 1,833 मामलों में निहित 1,047.08 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि का पता चला। वर्ष 2004–05 के दौरान, सम्बन्धित विभागों ने 60 मामलों में निहित 337.92 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण आदि किया जाना स्वीकार किया। इनमें से 329.54 करोड़ रुपये से अन्तर्गस्त 54 मामले वर्ष 2004–05 के दौरान और शेष पूर्व के वर्षों की लेखापरीक्षा में

प्रतिवेदित किये गये थे। सम्बन्धित विभागों ने 10 मामलों में सन्निहित 67.35 लाख रुपये की वसूली भी प्रतिवेदित किया है।

इस प्रतिवेदन में अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण, शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित दो समीक्षाओं सहित 25 कंडिकाएँ हैं जिनमें 176.92 करोड़ रुपये सन्निहित हैं। विभाग/सरकार ने 54 मामलों में सन्निहित 56.63 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया है। अन्य मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2005)।

1.11 उत्तरदायित्व प्रवर्तित करने तथा सरकार के हितों की रक्षा करने में वरीय अधिकारियों की विफलता

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन–देन की नमूना जाँच एवं महत्त्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता हैं। उनके निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि. प्र.) के साथ अनुवर्तन किया जाता है, जिनमें निरीक्षण के दौरान पता लगाई गयी तथा स्थल पर समाधानित नहीं की जा सकी अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए उन्हें निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को एवं प्रतियों सहित अगले उच्चतर प्राधिकारियों को शीघ्र सुधारात्मक कारवाई करने हेतु भेजा जाता है। कार्यालय प्रमुखों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों का अनुपालन तथा त्रुटियों और चूकों का शीघ्र सुधार किया जाना और निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी किये जाने की तिथि से एक महीने के अन्दर प्रधान महालेखाकार को प्राथमिक उत्तर के माध्यम से अनुपालन पर रिपोर्ट भेजा जाना अपेक्षित है। गम्भीर अनियमितताएँ विभागों के अध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2004 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों से स्पष्ट था कि जून 2005 के अन्त तक 8,275 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 3,780.24 करोड़ रुपये मूल्य से आवेष्टित 34,331 कंडिकाएँ लम्बित थीं। यहाँ तक की दिसम्बर 2004 तक जारी किये गये 2,123 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्राथमिक उत्तर जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अन्दर प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, कार्यालय अध्यक्षों से प्राप्त नहीं हुए थे।

- निम्नलिखित विभागों से सम्बन्धित लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विभाग	राजस्व शीर्ष	बकायों की संख्या		अधिकतम समय से लम्बित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित थे	शामिल राशि
			निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका		
1.	राजस्व	भू–राजस्व	4,593	14,770	1980–81	579.35
2.	वित्त (वाणिज्य कर)	बिक्री, व्यापार आदि पर कर – लघु कर	882	6,466	1982–83	647.96
3.	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	721	4,490	1991–92	738.20
4.	परिवहन	वाहनों पर कर	497	3,772	1990–91	453.10

क्रम सं.	विभाग	राजस्व शीर्ष	बकायों की संख्या		अधिकतम समय से लम्बित प्रतिवेदन जिस वर्ष से संबंधित थे	शामिल राशि
			निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका		
5.	खान एवं भूगर्भ	अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	346	1,763	1982–83	212.26
6.	जल संसाधन	जल दर	422	1,317	1982–83	823.01
7.	ईख	ईख पर कर	196	325	1977–78	161.39
8.	वन तथा पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	80	297	1981–82	78.71
9.	निबन्धन	मुद्रांक एवं निबन्धन शुल्क	538	1,131	1990–91	86.26
कुल			**8,275**	**34,331**		**3,780.24**

- निरीक्षण प्रतिवेदन जिनके प्राथमिक उत्तर विभाग द्वारा नहीं दिये गये :

क्रम सं.	विभाग	राजस्व शीर्ष	नि. प्र. की संख्या जिनके प्राथमिक उत्तर अप्राप्त है	अधिकतम समय से लम्बित प्रतिवेदन जिस वर्ष से सम्बन्धित है
1.	राजस्व	भू–राजस्व	1,440	1980–81
2.	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	66	1982–83
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	156	1990–91
4.	वित्त (वाणिज्य कर)	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	92	1999–2000
		विद्युत कर	–	–
		माल तथा यात्री पर कर	21	1999–2000
		मनोरंजन कर	–	–
5.	निबन्धन विभाग	मुद्रांक एवं निबन्धन शुल्क	153	1990–91
6.	खान एवं भूगर्भ	अ–लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	77	1990–91
7.	ईख	ईख पर कर	61	1981–82
8.	जल संसाधन	जल दर	39	1998–99
9.	वन तथा पर्यावरण	वन प्राप्तियाँ	18	1984–85
कुल			**2,123**	

उत्तरों की अप्राप्ति के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह वृहद विलम्बन निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रधान महालेखाकार द्वारा इंगित की गयी गलतियों, चूकों एवं अनियमितताओं को सुधारने की कार्रवाई प्रारम्भ करने में कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों की विफलता का सूचक है।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र एवं उपयुक्त उत्तर भेजने के लिये निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नि. प्र./कंडिकाओं के उत्तर भेजने में विफल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने तथा समयबद्ध पद्धति में हानि/बकाया मांग वसूल करने हेतु कार्रवाई करने के लिए एक कारगर प्रक्रिया विद्यमान है।

1.12 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का शीघ्र निबटारे करने के उद्देश्य से सरकार ने विभागीय लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया। समितियों की अध्यक्षता सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा की जाती है जिनमें अन्य के साथ–साथ राज्य सरकार के सम्बन्धित कार्यालयों एवं प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित होते हैं।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों/लेखापरीक्षा कंडिकाओं के निबटारे की प्रगति का संचालन तथा समीक्षा करने हेतु त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया जाना अपेक्षित था। वर्ष 2004–05 की अवधि में लेखापरीक्षा समिति की एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी। सरकारी विभागों ने इस बैठक के माध्यम से लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निबटारा करने के लिए कोई भी प्रारम्भिक पहल नहीं किया। प्रभावकारी प्रगति हेतु सरकार को इस समिति की आवधिक बैठकें सुनिश्चित करना चाहिए।

1.13 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेशित किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा के कंडिकाओं पर अपने उत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेजे। प्रधान महालेखाकार द्वारा प्रारूप कंडिकाओं को अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित विभागों के सचिवों को, लेखापरीक्षा उपलब्धियों की ओर उनका ध्यान करते हुए तथा छह सप्ताह के भीतर उनका उत्तर भेजने हेतु अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कंडिका के अन्त में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित दो समीक्षाओं सहित 25 प्रारूप कंडिकाएँ सम्बन्धित विभागों के सचिवों को मई और जुलाई 2005 के बीच अर्धशासकीय पत्रों के माध्यम से अग्रसारित किये गये थे।

विभिन्न विभागों के सचिवों ने 10 प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर प्रेषित किया ; दो समीक्षाओं सहित चार प्रारूप कंडिकाओं का आंशिक उत्तर प्राप्त हुआ जबकि 11 प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः विभाग/सरकार के उत्तर के बिना इस प्रतिवेदन में 11 प्रारूप कंडिकाएँ सम्मिलित की गई हैं।

अध्याय II : बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004–05 के दौरान विभिन्न वाणिज्य कर अंचलों में बिक्री कर निर्धारण एवं वापसी सम्बन्धी अभिलेखों की लेखापरीक्षा में नमूना जाँच से 576 मामलों में 142.82 करोड़ रुपये की राशि के अवनिर्धारण का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर का नहीं/कम लगाया जाना	89	13.01
2.	कर से छूट की गलत अनुमति	179	76.96
3.	अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना	17	2.96
4.	कर के रियायती दर की गलत अनुमति	25	6.67
5.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का नहीं/ कम लगाया जाना	35	8.54
6.	गलत दरों से कर का लगाया जाना	21	0.18
7.	बिक्री राशि के गलत निर्धारण के कारण कम कर लगाया जाना	51	13.36
8.	कर के अधिक संग्रहण पर अर्थदण्ड का नहीं लगाया जाना/संगणना में भूल	9	0.31
9.	अन्य मामलें	150	20.83
	कुल	**576**	**142.82**

वर्ष 2004–05 के दौरान विभाग ने 25 मामलों में सन्निहित 10.82 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि को स्वीकार किया, जिन्हें वर्ष 2004–05 के दौरान लेखापरीक्षा में बतलाया गया था। इनमें से, विभाग ने 23 मामलों में सन्निहित 9.21 करोड़ रुपये की मांग का उद्ग्रहण किया और एक मामले में 0.96 लाख रुपये वसूल किये जाने की सूचना दी।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले जिनमें 13.37 करोड़ रुपये निहित हैं ,निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये हैं :

2.2 क्रय/विक्रय राशि का छिपाया जाना

केन्द्रीय बिक्री कर (के. बि. क. अधिनियम) अधिनियम 1956 के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने बिक्री राशि के ब्यौरे को जानबूझकर छिपाया या छोड़ा है या प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसी बिक्री राशि के लिये गलत विवरण दिया है और जिसके फलस्वरूप उसके द्वारा वास्तविक राशि से कम की विवरणी दाखिल की गयी है तो उक्त प्राधिकारी, वैसी बिक्री राशि पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निधारण करेगा तथा निर्धारित किये गये कर के अतिरिक्त, छिपायी गयी बिक्री राशि पर दण्डस्वरूप कर का अधिकतम तीन गुणा, किन्तु कम से कम कर की समतुल्य राशि का भुगतान करने के लिये व्यवसायी को निर्देश देगा। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम यह प्रावधान भी करता है कि उन सामानों की बिक्री पर कर देय नहीं होगा जो निर्यात के क्रम में किये गये हैं। तदन्तर, आयुक्त वाणिज्य कर (आ. वा. क.) बिहार ने मई 1990 और जून 1991 में यह अनुदेश जारी किया कि छिपायी गयी बिक्री राशि का पता लगाने के लिए सभी प्रभारी कर–निर्धारण अधिकारियों को सीमा शुल्क विभाग के साथ अभिलेखों की तिर्यक जाँच करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित तथ्य उद्‌भेदित हुए :

- सात अंचलों[1] में घोषणा प्रपत्रों के उपयोगिता प्रमाण पत्र, पथ अनुज्ञा पत्र और व्यापार लेखा आदि सहित 17 व्यवसायियों के कर–निर्धारण अभिलेखों की जाँच से पता चला कि उन्होंने वर्ष 1998–99 से 2002–03 की अवधि में घोषणा प्रपत्रों पर किये गये क्रय/विक्रय की 14.72 करोड़ रुपये की राशि छिपायी थी। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सितम्बर 2001 और फरवरी 2004 के बीच कर निर्धारण करते समय क्रय/विक्रय छुपाये जाने का पता लगाने में विफलता के फलस्वरूप अतिरिक्त कर, अधिभार और अर्थदण्ड सहित 2.68 करोड़ रुपये का कर कम आरोपित हुआ। दृष्टान्तरूवरूप कुछ मामले नीचे दिये गये हैं :

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	अंचल का नाम/ व्यवसायियों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि/ कर निर्धारण का माह/वर्ष	वस्तु/ लागू दर (प्रतिशत)	वास्तविक खरीद/ लेखापित खरीद	वास्तविक बिक्री/ लेखापित बिक्री	छिपायी गयी राशि	कर/ अर्थ दण्ड की राशि[2]	कुल
1.	तेघड़ा 4	1998–99, 1999–2000 एवं 2001–02 9/2001, 12/2002 एवं 5/2003	कच्चा पेट्रोलियम, कोक (8) तथा दुग्ध उत्पाद (8)	726.82 645.12	1,477.49 885.72	673.47	53.96 53.60	107.56
अभ्युक्तिः चार मामलों में से एक मामले में विभाग ने जुलाई 2005 में कहा कि छिपाव लिपिकीय भूल के कारण हुआ। यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अभिलेख में उपलब्ध सभी विवरण बिक्री के छिपाव को इंगित करते थे।								
2.	पाटलिपुत्र 5	1998–99, 2001–02 एवं 2002–03 09/2002, 06/2003 से 02/2004	घड़ियाँ (13) आई एम एफ एल (25), लौह इस्पात (4), सड़क निर्माण सामग्रियाँ(8 एवं 9) और चाकलेट	750.23 666.63	1,977.13 1,628.06	432.67	47.69 43.63	91.32

1 *भागलपुर, गया, मधुबनी, मोतिहारी,, पाटलिपुत्र, तेघड़ा और सासाराम।*

2 *अर्थदण्ड, अधिभार को छोड़कर हैं।*

क्रम सं.	अंचल का नाम/ व्यवसायियों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि/ कर निर्धारण का माह/वर्ष	वस्तु/ लागू दर (प्रतिशत)	वास्तविक खरीद/ लेखापित खरीद	वास्तविक बिक्री/ लेखापित बिक्री	छिपायी गयी राशि	कर/ अर्थ दण्ड की राशि[2]	कुल
			(12)					
अभ्युक्तिः जुलाई 2005 में विभाग ने बतलाया कि पाँच मामलों में से तीन मामलों में 82.37 लाख रुपये की मांग का सृजन किया गया, जबकि एक मामले में विभाग ने बतलाया कि छिपाव लिपिकीय भूल के कारण हुआ। विभाग का यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि मामले के अभिलेख में सभी विवरण उपलब्ध थे जो बिक्री के छिपाव की इंगित करते थे। एक अन्य मामले में विभाग ने अगस्त 2005 में बतलाया कि कच्ची सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क मोडभैट योजना के अधीन घटाया गया है। विभाग का यह जदाब मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने अपने विनिर्माण लेखा में उत्पाद शुल्क की कोई भी राशि भुगतान किया हुआ नहीं दिखलाया है। इसके बाद जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। (सितम्बर 2005)।								
3.	सासाराम 2	1999–2000 एवं 2000–01 2/2001 तथा 3/2003 के बीच	वाशिंग पाउडर (10), डिटर्जेन्ट केक (10), सैनिटरी फिटिंग्स और हार्डवेयर (8)	1,639.92 1,469.59	–	170.33	20.79 18.90	39.69
अभ्युक्तिः एक मामले में विभाग ने अगस्त 2005 में कहा कि 0.94 लाख रुपये की मांग सृजित की गई है। इसके बाद जवाब नहीं दिया गया है (सितम्बर 2005)।								
4.	गया 2	2000–01 एवं 2001–02 05/2003 एवं 8/2003	हाईटेंसन स्टील वायर (8), एम सी आई इन्सर्ट (8) और मोटर पम्प (8)	119.91 34.56	–	85.35	8.53 7.74	16.27
अभ्युक्तिः विभाग ने अगस्त 2005 में कहा कि दोनो मामलों में मांग सृजित किया गया है। वसूली सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।								
	कुल			**3,236.88 2,815.90**	**3,454.67 2,513.78**	**1,361. 82**	**130.97 123.87**	**254.84**

मामलों के बारे में सरकार को मार्च 2005 में प्रतिवेदित किया गया; जिसने जुलाई और अगस्त 2005 में विभाग के जवाब की सम्पुष्टि की, जैसा कि सारणी में बतलाया गया है। इसके आगे जवाब प्राप्त नहीं हुआ हैं (सितम्बर 2005)।

- तीन अंचलों[3] में विभिन्न वस्तुओं[4] के आठ व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की सीमा शुल्क विभाग में संधारित अभिलेखों के साथ की गयी तिर्यक जाँच से पता चला कि करदाताओं ने नेपाल को निर्यात किये गये माल के मद में 7.32 करोड़ रुपये के माल के वास्तविक निर्यात मूल्य के विरूद्ध 12.26 करोड़ रुपये की बिक्री राशि, वर्ष 1998–99 से 2001–02 की अवधि में अपनी विवरणी में दिखलाया था और तदनुसार उन्हें दिसम्बर 2001 और फरवरी 2004 के बीच छूट प्रदान किया गया था। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क विभाग से अभिलेखों की तिर्यक जाँच में विफलता के फलस्वरूप 4.94 करोड़ रुपये के कर योग्य बिक्री राशि पर गलत छूट प्रदान किया गया एवं इसके फलस्वरूप अतिरिक्त कर अधिभार तथा अर्थदण्ड सहित 1.73 करोड़ रुपये का कम करारोपण हुआ।

अक्तूबर और सितम्बर 2004 के बीच यह बतलाए जाने के बाद विभाग ने मुजफ्फरपुर अंचल के दो मामलों में तथा पाटलिपुत्रा अंचल के एक मामले में 32.51 लाख रुपये की मांग का सृजन किया। इसमें से मुजफ्फरपुर के एक मामले में 0.96 लाख रुपये की वसूली कर ली गयी है। शेष मामलों में वसूली तथा जवाब के सम्बन्ध में प्रतिवदेन प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2005)।

3 *मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र और पटना विशेष।*

4 *दवा, मशीन, सिलाई मशीन, बिजली के सामान, मोटर और दुग्ध उत्पाद।*

इन मामलों को मार्च 2005 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था जिसने विभाग के उत्तर की सम्पुष्टि जुलाई और अगस्त 2005 में की। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2005)।

- गया अंचल में एक व्यवसायी के कर निर्धारण सम्बन्धी अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि मई और जून 2003 के बीच कर निर्धारण करते समय निर्धारण अधिकारी ने पाया कि 2.48 करोड़ रुपये की बिक्री राशि छिपायी गयी थी और इसे वर्ष 2000–01 तथा 2001–02 की अवधि में व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणी में नहीं दिखाया गया था। छिपायी गयी राशि पर, कर निर्धारण अधिकारी ने कर आरोपित किया परन्तु 24.14 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया। अगस्त 2004 में इसे बताए जाने के बाद विभाग ने जुलाई 2005 में कहा कि मांग सृजित कर दी गयी है। वसूली के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं (सितम्बर 2005)।

मामला सरकार को अक्तूबर 2004 में प्रतिवेदित किया गया था जिसने विभाग के उत्तर को जुलाई 2005 में सम्पुष्टित किया।

2.3 अतिरिक्त कर का कम लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी को सकल बिक्रय राशि पर एक प्रतिशत की दर से (शराब को छोड़कर) अतिरिक्त कर का भुगतान करना है जब तक कि अतिरिक्त कर आरोपित किये जाने से उसे विशेष रूप से छूट न दी गई हैं।

पटना विशेष अंचल में पेट्रोलियम उत्पाद के एक व्यवसायी के मामले में देखा गया कि निर्धारण वर्ष 2001–02 के लिये अगस्त 2003 में किये गये कर निर्धारण में 764.06 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि, जिसमें कर और बिक्री राशि शामिल थी, के बदले 98.36 करोड़ रुपये की कर राशि पर अतिरिक्त कर आरोपित किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप अधिभार सहित 7.32 करोड़ रूपये का कम अतिरिक्त कर आरोपित किया गया।

दिसम्बर 2004 में इसे बताए जाने के बाद विभाग ने जून 2005 में कहा कि मांग सृजित कर दिया गया है। वसूली के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

मामला सरकार को मार्च 2005 में प्रतिवेदित किया गया, जिसने जुलाई 2005 में विभाग के उत्तर की सम्पुष्टि की।

2.4 अतिरिक्त कर का गलत समायोजन

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जून 1985 में जारी किये गये एक अधिसूचना द्वारा भारत निर्मित विदेशी शराब की बिक्री के प्रत्येक प्रक्रम पर विक्रय मूल्य पर 25 प्रतिशत की दर से तथा कर सहित कुल बिक्रय राशि पर दो प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर आरोपित किया जाना वांछित है। बिहार बिक्री कर नियमावली 1983, बिक्री के प्रत्येक उत्तरवर्ती प्रक्रम पर भुगतेय कर की राशि के विरूद्ध, बिक्री के प्रत्येक पिछले क्रम पर भुगतान की चुकी बिक्री कर के समायोजन का प्रावधान करती है।

कटिहार अंचल में दो व्यवसायियों के लिए सितम्बर तथा अक्तूबर 2002 में किये गये कर निर्धारण के मामले में पाया गया कि इन व्यवसायियों द्वारा पिछले प्रक्रम पर 1.54

करोड़ रुपये का बिक्री कर भुगतान किया गया था किन्तु 15.39 लाख रुपये के अतिरिक्त कर सहित 1.69 करोड़ रुपये के कर का समायोजन वर्ष 1999–2000 तथा 2000–01 के दौरान उत्तरवर्ती प्रक्रम पर भुगतेय कर के विरूद्ध किया गया। भुगतेय बिक्री कर के विरूद्ध 15.39 लाख रुपये के अतिरिक्त कर का समायोजन किया जाना गलत था। इसके फलस्वरूप, 1.88 लाख रुपये के अधिभार सहित 17.27 लाख रुपये का कर कम आरोपित किया गया।

नवम्बर 2003 में इसे बताए जाने के बाद विभाग ने जुलाई 2005 में बतलाया कि मांग सृजित कर दिये गये हैं। वसूली के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

मामला सरकार को मार्च 2005 में प्रतिवेदित किया गया था जिसने विभाग के उत्तर को जुलाई 2005 में सम्पुष्टित किया।

2.5 छूट की गलत स्वीकृति

समय समय पर यथा संशोधित बिहार बिक्री कर नियमावली के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, जहाँ कोई व्यवसायी सकल बिक्री राशि के किसी भाग पर कर की देयता से इस आधार पर छूट का दावा करता है कि उसने वस्तुओं का स्थानान्तरण किसी अन्य व्यवसायी या उसके एजेन्ट या प्रमुख जैसी भी स्थिति हो, को बिक्री के उद्देश्य से किया है तो ऐसे दावे को प्रमाणित करने का दायित्त्व व्यवसायी पर होगा और इस प्रयोजन के लिये उसे अन्य साक्ष्यों के साथ, विभाग द्वारा फरवरी 2000 में यथा निर्धारित प्रपत्र "IX–डी" में एक घोषणा पत्र देना होगा।

दो अंचलों[5] में जून और अगस्त 2004 में यह पाया गया कि अक्तूबर 2002 एवं जनवरी 2003 के बीच किये गये कर निर्धारण के दो मामलों में फरवरी 2000 से मार्च 2003 की अवधि में 2.05 करोड़ रुपये मूल्य के वस्तुओं के भंडार के स्थानान्तरण के लिये, प्रपत्र–IX–डी में घोषणा पत्र दिये बिना छूट प्रदान किया गया था। छूट की गलत स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप 47.72 रुपये का कम कर आरोपित किया गया।

जून तथा अगस्त 2004 के बीच यह बताए जाने के बाद विभाग ने जुलाई 2005 में बतलाया कि सासाराम अंचल के एक मामले में 41.66 लाख रुपये की मांग सृजित कर ली गयी है। जिस मामले में मांग का सृजन किया गया है उसमें वसूली सम्बन्धी प्रतिवेदन और शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2005)।

मामले सरकार को मई 2004 तथा फरवरी 2005 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे जिसने विभाग के उत्तर की सम्पुष्टि की ; इसके बाद उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

2.6 संगणना में भूल के कारण कम कर का आरोपण

पटना विशेष अंचल में दिसम्बर 2004 में देखा गया कि दिसम्बर 2003 में कर निर्धारित एक व्यवसायी के मामले में, वर्ष 2001–02 की अवधि में व्यवसायी द्वारा देय कर की

5 *सासाराम और तेघरा।*

संगणना में की गयी भूल के कारण 23.80 लाख रुपये का कम कर आरोपित किया गया।

दिसम्बर 2004 में इसे बताये जाने के बाद विभाग ने जून 2005 में कहा कि मांग सृजित कर लिया गया है। वसूली के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

मामला सरकार को मार्च 2005 में प्रतिवेदित किया गया था, जिसने विभाग के उत्तर की सम्पुष्टि जुलाई 2005 में की।

2.7 कम अर्थदण्ड लगाया जाना

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि कोई निबन्धित व्यवसायी स्वीकृत कर राशि का भुगतान नियत तिथि अथवा विस्तारित तिथि के भीतर करने में विफल होता है तो विहित प्राधिकारी उस व्यवसायी पर अर्थदण्ड आरोपित करेगा जिसे नियत तिथि या विस्तारित तिथि के बाद प्रत्येक प्रथम तीन महीने या उसकी आंशिक अवधि के लिये कर की राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत तक किन्तु 2½ प्रतिशत से कम नहीं, और प्रत्येक आगामी माह या उसकी आंशिक अवधि के लिए 10 प्रतिशत तक किन्तु 5 प्रतिशत से कम नहीं, तक बढ़ा सकता है।

दो अंचलों (बक्सर और सासाराम) में, कर निर्धारण अभिलेखों तथा आवधिक विवरणियों से देखा गया कि दो व्यवसायियों ने स्वीकृत कर राशि का भुगतान विलम्ब से किया। यह विलम्ब 14 दिनों से 31 महीनों के बीच रहा और वर्ष 1999–2000 से 2001–02 के कर निर्धारण से सम्बन्धित था। अक्तूबर 2002 और मार्च 2003 के बीच कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने आरोपित किये जाने योग्य 24.88 लाख रुपये के अर्थदण्ड के बदले 0.19 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 24.69 लाख रुपये का कम अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

जून 2004 में इसे बताये जाने के बाद विभाग ने जुलाई 2005 में बतलाया कि मांग सृजित कर दिया गया है। वसूली सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

मामले सरकार को दिसम्बर 2004 में प्रतिवेदित किये गये थे, जिसने विभाग के उत्तर की सम्पुष्टि जुलाई 2005 में की।

2.8 कर देय बिक्री राशि का गलत निर्धारण

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी व्यवसायी की कर–योग्य बिक्री राशि, उसके सकल विक्रय राशि का वह अंश होगा जो किसी वस्तु की प्राप्त या प्राप्य बिक्री राशि के साथ, वास्तविक संग्रहित बिक्री कर की राशि घटाने के बाद बचेगी।

मुजफ्फरपुर अंचल में मार्च 2004 में पूरा किये गये वर्ष 1999–2000 के कर–निर्धारण आदेश और व्यापार लेखा से देखा गया कि दवा व्यवसाय में संलग्न एक व्यवसायी के मामले में 4.16 करोड़ रुपये की वास्तविक कर देय विक्रय राशि के बदले गलत ढंग से 2.36 करोड़ रुपये की विक्रय राशि निर्धारित की गयी थी। कर–देय विक्रय राशि का गलत निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप अधिभार सहित 13.87 लाख रुपये का कम कर निर्धारित किया गया।

अक्तूबर 2004 में इसे बताये जाने के बाद जुलाई 2005 में विभाग ने बतलाया कि मांग सृजित कर लिया गया है। वसूली सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

मामला सरकार को मार्च 2005 में प्रतिवेदित किया गया जिसने जुलाई 2005 में विभाग के उत्तर को सम्पुष्ट किया।

2.9 क्रय कर आरोपित नहीं किया जाना

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी जो वस्तुओं का क्रय उन परिस्थितियों में करता है जिनमें बिक्री कर देय नहीं है और उन वस्तुओं की खपत, बिक्री के लिये अन्य वस्तुओं के निर्माण में करता है तो उसे उन वस्तुओं के क्रय मूल्य पर उस दर से कर देना होगा जिस दर पर उन वस्तुओं के बिक्रय मूल्य पर कर आरोपित हुआ होता।

मुजफ्फरपुर अंचल में अगस्त 2004 में यह देखा गया कि एक व्यवसायी ने वर्ष 2000–01 में कर का भुगतान किये बिना, राज्य के भीतर 1.12 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का क्रय किया और उन वस्तुओं की खपत तम्बाकू उत्पाद के निर्माण में की। यद्यपि कर आरोपित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु जुलाई 2003 में कर निर्धारण करते समय 1.12 करोड़ रुपये के क्रय मूल्य पर कर आरोपित करने में कर निर्धारण अधिकारी विफल रहा। इसके फलस्वरूप 12.32 लाख रुपये का कर आरोपित नहीं किया गया।

अक्तूबर 2004 में इसे बताये जाने के बाद जुलाई 2005 में विभाग ने कहा कि मांग सृजित कर लिया गया है। वसूली सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

मामला सरकार को मार्च 2005 में प्रतिवेदित किया गया था, जिसने विभाग के उत्तर की सम्पुष्टि जुलाई 2005 में की।

अध्याय III : राज्य उत्पाद

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004–05 के दौरान उत्पाद कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से 182 मामलों में 43.99 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व अवनिर्धारण एवं हानि का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	उत्पाद दूकानों की बन्दोबस्ती नहीं होना/विलम्ब से होना	49	16.82
2.	अनुज्ञप्ति शुल्क का उद्ग्रहण नहीं होना	23	2.71
3.	स्पिरिट के कम उत्पादन के कारण राजस्व की हानि	8	8.42
4.	भंडारण, परिवहन एवं कार्यचालन में छोआ की क्षति/ बर्बादी	2	0.75
5.	अन्य मामले	100	15.29
	कुल	**182**	**43.99**

वर्ष 2004–05 की अवधि में विभाग ने छः मामलों में अन्तर्निहित 8.38 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि को सवीकार किया जिसे पूर्ववर्ती वर्षों की लेखापरीक्षा में बतलाया गया था। विभाग ने इसमें से तीन मामलों में 33.84 लाख रुपये की वसूली प्रतिवेदित किया।

दृष्टान्तस्वरूप 11.65 करोड़ रुपये का प्रभाव रखने वाले कुछ मामलों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गयी हैं :

3.2 उत्पाद दूकानों की बन्दोबस्ती नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि

बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बि. उ. अ.) तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन देशी शराब (दे.श.), मसालेदार देशी शराब (म. दे. श.) और भारत निर्मित विदेशी शराब (भा. नि. वि. श.) के खुदरा निर्गम हेतु उत्पाद दूकानों के लिये बन्दोबस्ती किये जाने की प्रणाली लागू है। उत्पाद दूकानों को एक रक्षित शुल्क/न्यूनतम शुल्क की शर्तों के अधीन निलामी की प्रक्रिया पर रखा जाता हैं। अबन्दोबस्त दूकानों को विभागीय स्तर पर चलाने के लिये उत्पाद आयुक्त (उ. आ.) ने जून 1995 में अनुदेश भी जारी किये। जब न्यूनतम शुल्क प्राप्त न हो तो उत्पाद आयुक्त के अनुमोदन से जिला समाहर्त्ता, उससे कम शुल्क भी स्वीकार कर सकते हैं।

अक्तूबर 2003 और दिसम्बर 2004 के बीच देखा गया कि 14[1] उत्पाद जिलों में वर्ष 2001–02 से 2003–04 की अवधि में 104 दे. श. की दूकान, 49 म. दे. श. की दूकान और 26 भा. नि. वि. श. की दूकानों को बन्दोबस्त नहीं किया गया और उन्हें विभागीय स्तर पर संचालित नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप सम्बन्धित उत्पाद दूकानों के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू. प्र. मा.) और रक्षित शुल्क (रिजर्व फीस) के आधार पर की गयी संगणना के अनुसार क्रमशः अनुज्ञप्ति शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के रूप में 10.06 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

मामले सरकार को अक्तूबर 2004 और मार्च 2005 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे। सरकार ने सितम्बर 2005 में जवाब दिया कि सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद डाककर्ताओं की अनुपलब्धता के कारण दूकान अबन्दोबस्त रहे। सरकार का यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं था कि राजस्व के हित में समय पर या तो रक्षित शुल्क को कम करते हुए अथवा दूकानों को विभागीय स्तर पर संचालित करने की दिशा में कोई प्रयास किया गया।

- दो उत्पाद कार्यालयों में (कटिहार एवं मुजफ्फरपुर) मार्च तथा जून 2004 में यह देखा गया कि वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 की अवधि में पाँच दे. श. की दूकानों तथा दो भा. नि. वि. श. की दूकानों की बन्दोबस्ती करने में विलम्ब हुआ था। यह विलम्ब 79 से 172 दिनों तक का था जिसके कारण सम्बन्धित दूकानों के लिए निर्धारित न्यू. प्र. मा. और रक्षित शुल्क के आधार पर की गयी संगणना के अनुसार अनुज्ञप्ति शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के रूप में 30.30 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

जून 2004 में लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने के बाद विभाग ने मार्च तथा जून 2004 के बीच बतलाया कि प्रयासों के बावजूद दूकानों की बन्दोबस्ती समय पर नहीं की जा सकी। यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं था कि राजस्व के हित में समय पर रक्षित शुल्क को कम करते हुए अथवा दूकानों को विभागीय स्तर पर संचालित करने की दिशा में कोई प्रयास किया गया।

मामले सरकार को जून और अगस्त 2004 के बीच प्रतिवेदित किये गये; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

[1] *अररिया–सह–किशनगंज, औरंगाबाद, भागलपुर–सह–बांका, भोजपुर–सह–बक्सर, दरभंगा, गया, जहानाबाद–सह–अरवल, कटिहार, मुजफ्फरपुर, नवादा, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा, नालन्दा, रोहतास–सह–कैमूर तथा पश्चिम चम्पारण (बेतिया)*

3.3 निरस्तीकरण के बाद उत्पाद दूकानों की बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

दूकानों की बन्दोबस्ती के लिये विभाग द्वारा मार्च 2003 में जारी की गयी बिक्री अधिसूचना की शर्त संख्या 14 (ख) के अन्तर्गत, सफल डाककर्त्ता को डाक के तुरन्त बाद छः महीनों का अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करना होता है। अनुज्ञप्ति शुल्क की शेष राशि जुलाई तथा दिसम्बर के बीच समान मासिक किश्तों में हर महीने की 10 तारीख तक जमा करना होता है, जिसमें विफल होने पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी को दे. श., म. दे. श., भा. नि. वि. श. तथा बीयर का अनुमत्य न्यू. प्र. मा. का उठाव प्रत्येक महीने के अन्तिम दिन तक करना होगा। बिक्री अधिसूचना की शर्त्तों के अनुपालन में विफलता की स्थिति में बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा–42 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त जून 1995 में जारी किये गये विभागीय अनुदेश दुकानों को विभागीय स्तर पर संचालित करने का प्रावधान करते है। उत्पाद आयुक्त की अनुमति से 'रक्षित शुल्क' को कम करते हुए दूकानों की बन्दोबस्ती करने की बात भी दुहराई गयी।

जनवरी तथा अगस्त 2004 के बीच पाँच उत्पाद कार्यालयों[2] में देखा गया कि वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 की अवधि में 27 दे. श. की दूकान, 14 म. दे. श. की दूकान तथा दो भा. नि. वि. श. की दूकानों का निरस्तीकरण जून 2002 एवं जनवरी 2003 के बीच अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने के कारण अथवा खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा न्य. प्र. मा. से कम उठाव किये जाने के कारण किया गया। ये दूकान, निरस्तीकरण के बाद सम्बन्धित बन्दोबस्ती वर्षों के अन्त तक अबन्दोबस्त रहे। इसके फलस्वरूप सम्बन्धित उत्पाद दूकानों के लिये निर्धारित न्यू. प्र. मा. तथा अनुज्ञप्ति शुल्क के आधार पर की गयी संगणना के अनुसार 1.21 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

जुलाई 2004, जनवरी और अगस्त 2004 में इसे बतलाये जाने के बाद उत्पाद अधीक्षकों ने कहा कि सभी प्रयासों के बावजूद डाककर्त्ताओं के नहीं आने के कारण दूकानों की बन्दोबस्ती नहीं की जा सकी। यह उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं था कि राजस्व के हित में, रक्षित शुल्क को कम करते हुए दूकानों की बन्दोबस्ती करने की अथवा उन्हें विभागीय स्तर पर चलाने का प्रयास किया गया। मामले, सरकार को अगस्त 2004 और जनवरी 2005 के बीच प्रतिवेदित किये गये, उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (सितम्बर 2005)।

3.4 अनुज्ञप्तिधारियों को अनुचित लाभ

बिक्री अधिसूचना की शर्त्त संख्या–18 के अन्तर्गत प्रत्येक डाककर्त्ता को दे. श., म. दे. श. तथा भा. नि. वि. श. की एक निर्धारित न्यू. प्र. मा. का उठाव करना आवश्यक है, जिसमें विफल होने पर अनुज्ञप्तिधारियों को बि. उ. अ. की धारा 68 और 42 के अधीन दण्डित किया जा सकता है तथा उनकी अनुज्ञप्तियों को निरस्त किया जा सकता है।

उत्पाद कार्यालय, गया में अगस्त 2004 में देखा गया कि बन्धुआ और बैराग देशी शराब की दूकानों के अनुज्ञप्तिधारकों ने सितम्बर 2003 से मार्च 2004 तक की अपने

[2] भोजपुर–सह–बक्सर, मुंगेर–सह–जमुई–सह–लखीसराय–सह–शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, रोहतास–सह–कैमूर तथा पश्चिम चम्पारण

बन्दोबस्ती की सम्पूर्ण अवधि के लिए न्यू. प्र. मा. का उठाव नहीं किया जिसके फलस्वरूप संबंधित दूकानों के लिये निर्धारित देशी शराब की 23,369 एल. पी. एल. (लन्दन प्रूफ लिटर) की न्य. प्र. मा. के आधार पर की गयी संगणना के अनुसार 8.18 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई। विभागीय प्राधिकारियों ने न तो अनुज्ञप्ति को निरस्त किया न ही बिहार उत्पाद अधिनियम के अधीन कोई दण्ड आरोपित किया।

मामले, विभाग एवं सरकार को फरवरी 2005 में प्रतिवेदित किये गये, जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

अध्याय IV : मोटर वाहनों पर कर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004–05 की अवधि में परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों में नमूना जाँच से 274 मामलों में 116.67 करोड़ रुपये की राशि के मोटर वाहन कर, शुल्क, अर्थदण्ड, जुर्माना आदि के नहीं लगाये जाने/कम कर लगाये जाने का पता चला जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	करों का नहीं लगाया जाना/कम लगाया जाना	24	16.86
2.	अन्य मामले	250	99.81
	कुल	**274**	**116.67**

वर्ष 2004–05 की अवधि में सम्बन्धित विभाग ने नौ मामलों में अन्तर्निहित 26.54 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2004–05 की अवधि में लेखापरीक्षा में बतलाया गया था। विभाग ने इसमें से चार मामलों में 17.46 लाख रुपये की वसूली किये जाने की सूचना दी।

76.45 करोड़ रुपये का कर–प्रभाव अन्तर्निहित करने वाली **"मोटर वाहन करों का आरोपण और संग्रहण"** तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित **"पथ परिवहन प्रबन्धन सूचना प्रणाली (निकट्रान)"** पर की गई समीक्षा की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है :

4.2 समीक्षा : "मोटर वाहन कर का आरोपण और संग्रहण

विशिष्टताएँ

बजट अनुमानों और प्राप्त राजस्व के बीच वृहद भिन्नता थी। वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आंकड़ों और विभाग द्वारा प्रस्तुत किये आंकड़ों में भी अन्तर पाया गया जिसका समाधान 31 मार्च 2004 तक नहीं किया गया था।

(कंडिका 4.2.6)

24 जिला परिवहन कार्यालयों में अप्रील 1999 से नवम्बर 2004 तक की अवधि के लिये 1,215 परिवहन वाहनों से सम्बन्धित 22.92 करोड़ रुपये के बकाये कर का न तो वाहन–मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही सम्बन्धित कर–प्राधिकारियों द्वारा उसकी मांग की गई थी।

(कंडिका 4.2.8)

अभ्यर्पित वाहनों पर कर भुगतान से छूट प्राप्त करने में विफल रहने वाले वाहन मालिकों से 299 वाहनों के लिये 2.22 करोड़ रुपये के कर की वसूली के लिये विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

(कंडिका 4.2.9)

सात जिलों में, 1.95 करोड़ रुपये के अद्यतन कर का भुगतान सुनिश्चित किये बिना, मोटर वाहन निरीक्षकों ने 77 वाहनों के लिये योग्यता प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेटस) निर्गत किया।

(कंडिका 4.2.11)

राजस्व की 5.07 लाख रुपये की राशि को वस्तुतः सरकारी लेखा में जमा किये जाने की जाँच किये बिना, जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रलेख (डाक्यूमेन्ट) जारी किये गये। इसमें से 4.95 लाख रुपये की वसूली लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर की गयी थी।

(कंडिका 4.2.13)

प्रस्तावना

4.2.1 मोटर वाहनों पर कराधान और उनकी प्राप्तियों का संग्रहण, बिहार राज्य को यथा लागू मोटरवाहन अधिनियम, (मो. वा. अधि.) 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमवाली, (के. मो. वा.नियमावली) 1989, बिहार मोटर वाहन नियमावली, (बि. मो. वा. नियमावली) 1992, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, (बि. मो. वा. क. नियमावली) 1994 तथा बिहार मोटर वाहन कराधार अधिनियम, (बि. मो. वा. क. अधि.) 1994 द्वारा अधिशासित होती हैं। मोटर वाहनों से मुख्य प्राप्तियाँ, मोटर वाहनों पर कर/अतिरिक्त कर एवं निबन्धन, चालन अनुज्ञप्ति तथा पथ अनुमति आदि हेतु शुल्क आदि सम्मिलित करती हैं।

संगठनात्मक ढाँचा

4.2.2 राज्य परिवहन आयुक्त (रा. प. आ.) परिवहन विभाग का प्रधान होता है और नीति सम्बन्धी सभी मामलों तथा अधिनियमों एवं नियमों को लागू करने की कार्रवाई करता है। अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन में उसे मुख्यालय स्थित दो संयुक्त रा. प. आ., क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों (क्षे. प. प्रा.) के 9 सचिवों, जिला परिवहन पदाधिकारियों (जि. प. पदा.), मोटर वाहन निरीक्षकों (मो. वा. नि.), जिला स्तर पर प्रवर्त्तन पदाधिकारियों, निरीक्षकों एवं उप–निरीक्षकों को मिलाकर गठित प्रवर्त्तन शाखा (प्र. शा.) और जाँच चौकियों से सहयोग प्राप्त होता है। क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी वाणिज्यिक वाहनों को अनुमति प्रदान करने के लिये उत्तरदायी होता है जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी चालन अनुज्ञप्ति प्रदान करने, वाहनों का निबन्धन करने तथा कर आरोपण एवं उनका संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी होता है। प्र. शा. मुख्यतया यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि जिस वाहन के लिए कर का भुगतान नहीं किया गया है वह सड़क पर नहीं चल रहा है।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

4.2.3 समीक्षा इन्हें सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गयी थी :

- अधिनियमों तथा उनके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधान, राजस्व के हित की सुरक्षा करने के लिये यथेष्ट एवं पर्याप्त हैं और उनका कार्यान्वयन प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा रहा है और

- आन्तरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान है और उचित रूप से कार्य कर रहा है।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

4.2.4 यह समीक्षा रा. प. आ. कार्यालय पटना एवं 37 जिला परिवहन कार्यालय (जि. प. का.) मे से 14[1] कार्यालयों के वर्ष 2000–01 से 2003–04 के संबंधित अभिलेखों के अगस्त 2004 से नवम्बर 2004 एवं मार्च 2005 से जून 2005 के नमूना जाँच के आधार पर की गयी है। परिवहन विभाग के अभिलेखों के नमूना जाँच से प्राप्त लेखा परीक्षा निष्कर्षों को जुलाई 2005 में विभाग/सरकार को प्रतिवेदित किया गया। विभाग को राज्य राजस्व के लेखा परीक्षा समीक्षा समिति की बैठक में शामिल होने के लिये अनुरोध किया गया ताकि विभाग के मंतव्य को समीक्षा को अंतिम रूप दिए जाने से पहले सम्मिलित किया जा सके। बैठक 20 अक्टुबर 2005 को सम्पन्न हुई जिसमें संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार ने भाग लिया।

आन्तरिक नियंत्रण तंत्र

4.2.5 आन्तरिक नियंत्रण, कानूनों, नियमों एवं विभागीय अनुदेशों के समुचित प्रवर्त्तन के लिए एक उचित आश्वासन प्रदान के लिये उद्देशित होते हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा, आन्तरिक नियंत्रण का एक महत्त्वपूर्ण घटक, को प्रायः संगठन को इस बात की सुनिश्चितता प्रदान करने वाले सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है कि विहित प्रणालियाँ उचित रूप से कार्य कर रही हैं। वित्त विभाग के मई

1 *बेगुसराय, बेतिया, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ और वैशाली।*

1960 के आदेश के अनुसार, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, परिवहन विभाग सहित राज्य सरकार के सभी विभागों के आन्तरिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक की अवधि में वित्त (अंकेक्षण) विभाग ने परिवहन विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की।

बि. मो. वा. क. नियमावली, बकाये कर की समय से वसूली पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिये, प्रत्येक कराधान अधिकारी द्वारा मांग, संग्रहण एवं शेष पंजी (डी. सी. बी. रजिस्टर) का संधारण करने एवं उसे आवधिक अद्यतन किये जाने का प्रावधान करता है।

जिन 14 जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी उनमें से किसी भी कार्यालय में मांग, संग्रहण एवं शेष पंजी संधारित नहीं पायी गई जो समय से मांग निर्धारण और उनकी वसूली किये जाने के सम्बन्ध में आन्तरिक नियंत्रण नहीं रखे जाने का सूचक था।

राजस्व की प्रवृति

4.2.6 बिहार बजट कार्यविधियाँ (बि. ब. का.) प्रावधान करती हैं कि राजस्व और प्राप्तियों के प्राक्कलन में वह राशि दर्शायी जानी चाहिए जिसे वर्ष के भीतर वसूल कर लिये जाने की आशा हैं। अगले वर्ष के लिये निर्धारित राजस्व का प्राक्कलन बनाते समय इसकी संगणना विगत वर्षों के बकायों को शामिल करते हुए वास्तविक मांग तथा वर्ष की अवधि में उनकी वसूली की सम्भावनाओं के आधार पर की जानी चाहिए। अस्थिर राजस्व के मामले में प्राक्कलन को पिछले तीन वर्षों की प्राप्तियों की तुलना पर आधारित किया जाना चाहिए।

व्यय करने वाले पदाधिकारियों से प्राप्त बजट की जाँच नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा किये जाने तथा उसे वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता होती है।

बजट प्राक्कलनों, वित्त लेखों के अनुसार की गई प्राप्तियों और विभाग द्वारा प्रस्तुत वसूल किये गये राजस्व के आंकड़ों की तुलना में निम्नलिखित भिन्नताओं का पता चला :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	वित्त लेखों के अनुसार प्राप्तियाँ	विभाग के अनुसार प्राप्तियाँ	बजट प्राक्कलनों और प्राप्तियों के बीच भिन्नता (*प्रतिशत*)
2001–02	160.00	141.54	133.10	(–)11.54
2002–03	205.00	177.98	177.54	(–)13.18
2003–04	275.00	209.50	217.91	(–)23.82

प्राप्त राजस्व, बजट अनुमानों की अपेक्षा सदैव कम था और वर्ष 2001–04 की अवधि में बजट अनुमान और प्राप्त राजस्व की यह भिन्नता 11.54 प्रतिशत और 23.82 प्रतिशत के बीच स्थित रहीं। इस भिन्नता का कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

- विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को बतलायी गयी प्राप्तियों और वित्त लेखाओं में दर्शायी गयी प्राप्तियों के आंकड़ों में भी अन्तर पाया गया। यह सुनिश्चित करने के लिये कि संग्रहित राशि को उचित रूप से लेखांकित कर लिया गया है, विभागीय आंकड़ों

और वित्तीय लेखाओं में अंकित आंकड़ों के बीच विभाग द्वारा नियमित समाधान किया जाना वांछित है, जो नहीं किया गया था।

- वर्ष 2001–04 की अवधि के लिये 12 जिला परिवहन कार्यालयों[2] के राजस्व संग्रहण आंकड़ों की, इन 12 जिला परिवहन कार्यालयों के राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ो के साथ की गयी तिर्यक जाँच से भी 1.19 करोड़ रुपये का अन्तर पाया गया। आंकड़ों में भिन्नता से यह संकेतित था कि या तो जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों/विवरणियों की शीर्ष स्तर पर समुचित जाँच नहीं की गयी थी अथवा जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा दिये गये आंकड़े अधूरे थे।

संग्रहण के लिये लम्बित बकाये

4.2.7 विभाग द्वारा यथा प्रतिवेदित, 31 मार्च 2004 के अन्त में 85.75 करोड़ रुपये के बकाया राजस्व की राशि संग्रहण के लिये लम्बित थी और सभी बकायों की वसूली भू–राजस्व के जैसा नीलामवाद दायर कर किया जाना था। नीलामवाद मामलों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच से स्पष्ट हुआ कि नीलामबाद मामलों के निष्पादन के लिए आन्तरिक नियंत्रण एवं संचालन का पूर्ण अभाव था, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है :

नीलामवाद मामलों का समाधान नहीं किया जाना

- बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत बकाये कर की वसूली, बकाया भू–राजस्व के रूप में नीलामबाद प्रक्रियाओं के द्वारा की जा सकती है। बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, (बि. ए. उ. लो. मा. व. अधि.) 1914 के प्रावधानों के अन्तर्गत, अधियाचना अधिकारी नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिये नीलामवाद पदाधिकारी को प्रस्ताव भेजता है और इस प्रकार के मामलों का विस्तृत विवरण पंजी–IX में प्रविष्ट करता है। क्रमानुसार इन्हें, बकायों की वसूली के लिये नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु नीलामवाद पदाधिकारी द्वारा संधारित पंजी–X में प्रवेशित किया जाता है। 10 जिला परिवहन कार्यालयों[3] में सम्बन्धित अभिलेखों के साथ पंजी–X की नमूना जाँच से पता चला कि पंजियों का संधारण उचित रूप से नहीं किया गया था, अर्थात् निबटाए गये मामलों और शेष को प्रदर्शित करते हुए उन्हें आवधिक रूप से बन्द नहीं किया गया था तथा अधियाचना अधिकारी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। अधियाचना अधिकारी द्वारा पंजी–X के साथ पंजी–IX का समाधान किये जाने की जानकारी भी अभिलेखों में नहीं थी। इसके फलस्वरूप नीलामवाद मामलों के निपटारे से सम्बन्धित वास्तविक स्थिति की जानकारी पंजी–IX से प्राप्त नहीं की जा सकी। तथापि, वर्ष 2001–02 से 2003–04 की अवधि के लिये 10 जिला परिवहन कार्यालयों से प्राप्त आंकड़ों की स्थिति निम्नानुसार थीं :

2 *बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, दरभंगा, गया, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पूर्णियाँ तथा वैशाली*

3 *बेतिया, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, नालन्दा और वैशाली।*

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		योग		कुल		निस्तारण		अन्त शेष		निस्तारण की प्रतिशतता
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2001–02	7,193	21.69	338	1.02	7,531	22.71	152	0.24	7,375	22.63	1.1
2002–03	7,615	23.73	1707	7.00	9,322	30.73	399	0.54	8,923	29.45	1.8
2003–04	8,834	26.30	249	3.41	9,083	29.71	195	0.35	8,888	29.85	1.2

अगले वर्ष का प्रारम्भिक शेष पिछले वर्ष के अंतिम शेष से मेल नही खाता है। तदन्तर 31 मार्च 2004 को 29.85 करोड़ रुपये से अन्तर्ग्रस्त 8,888 नीलामवाद के मामलें[4] सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों में लम्बित दिखलाये गये थे। राशि के दृष्टिकोण से निस्तारण दर 1.1 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत के बीच रहा जिसने इंगित किया कि संचालन (अनुवीक्षण) का अभाव था।

वाहन मालिकों का पता नहीं लगने के कारण लौटाए गये नीलामवाद के मामले

- जिला नीलामवाद कार्यालयों में संधारित पंजी–X और उनके द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये विवरणों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि वसूली नीलामवाद प्रस्तावों के 427 मामले जिनमें 3.18 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे तथा जिन्हें वर्ष 1991–92 से 2003–04 तक की अवधि में आठ जिला परिवहन कार्यालयों[5] द्वारा भेजा गया था, उन नीलामवाद प्रस्तावों में वाहन मालिकों को पता गलत रहने जैसी अपर्याप्त सूचना रहने के कारण नीलामवाद पदाधिकारियों द्वारा अप्रील 2001 और दिसम्बर 2004 के बीच लौटा दिये गये। नीलामवाद पदाधिकारी की पृच्छाओं पर त्वरित अनुपालन किये जाने की दिशा में अधियाचना पदाधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इस प्रकार अधियाचना पदाधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं किये जाने के फलस्वरूप बकायों की वसूली के लिये नीलामवाद मामले दायर नहीं किये जा सके।

अभुगतित करों पर नियंत्रण का अभाव

4.2.8 बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर का भुगतान उसी निबन्धन प्राधिकारी को किया जाना है जिसके क्षेत्राधिकार में वाहन निबन्धित है। निबंधन प्राधिकारी, वाहन मालिकों को कर भुगतान करने से छूट प्रदान कर सकता है यदि वह सन्तुष्ट हो कि छूट प्राप्त करने के लिये निर्धारित शर्त्तों को वाहन मालिकों द्वारा पूरा कर लिया गया है।

निवास स्थान/व्यवसाय स्थल में परिवर्तन के मामले में, वाहन मालिक नये निबन्धन प्राधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है, बशर्ते कि पूर्ववर्ती निबन्धन प्राधिकारी से प्राप्त, जैसा कि विहित है, "अनापत्ति प्रमाण पत्र" (अ. प्र. प.) प्रस्तुत करें। वसूली सुनिश्चित करने के लिये, जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा मांग पत्र निर्गत किया जाना वांछित है और मांग पत्र का जवाब नहीं दिये के मामले में, समय–समय पर विभाग द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ

[4] *उपर्युक्त वर्षों के दौरान 'मामलों की संख्या' और 'निहित राशि' दोनों के प्रारम्भिक शेष और अन्त शेष के आंकड़ों में विसंगति थी।*

[5] *भागलपुर, बेतिया, छपरा, गया, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और वैशाली।*

किया जाना है। समय सीमा के भीतर कर का भुगतान नहीं किये जाने के लिए अर्थदण्ड भी आरोपित किया जाना है।

24 जिला परिवहन कार्यालयों[6] के कराधान पंजियों[7] में की गई प्रविष्टियों की नमूना जाँच से पता चला कि 1,215 परिवहन वाहनों के मालिकों ने अप्रील 1999 तथा नवम्बर 2004 के बीच की अवधि के लिये 22.92 करोड़ रुपये के बकाये कर का भुगतान 31.3.2004 तक नहीं तक नहीं किया था। इसमें से 33 वाहन सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों से सम्बद्ध था जिनमें 1.44 करोड़ रुपये का कर अन्तर्निहित था। अभिलेखों में न तो मांग–पत्र निर्गत किये जाने का उल्लेख पाया गया, न ही मालिकों के पते में परिवर्तन होने अथवा कर भुगतान नहीं किये जाने की अवधि में कर भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए वाहनों के कागजात अभ्यर्पित किये जाने का उल्लेख पाया गया। चूंकि मांग, संग्रहण एवं शेष पंजी का संधारण नहीं किया गया था, सम्बन्धित निबन्धन प्राधिकारी राजस्व की वसूली पर प्रभावकारी नियंत्रण का उपयोग नहीं कर सके।

जुलाई 2005 में इसे विभाग को बतलाये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2005 में कहा कि सीतामढ़ी और वैशाली के आठ वाहन मालिकों से 12.48 लाख रुपये की वसूली कर ली गयी है और 10 जिला परिवहन कार्यालयों[8] के मामले में मांग–पत्र जारी कर दिये गये हैं जबकि तीन जिला परिवहन कार्यालयों[9] में नीलामवाद के मामले दायर किये गये हैं : शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नही हुए है (सितम्बर 2005)।

अभ्यर्पण में सम्मिलित वाहनों से कर की प्राप्ति नही होना

4.2.9 बि. मो. वा. क. अधिनियम और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जब कोई मोटर–वाहन मालिक एक निश्चित अवधि के लिये अपने वाहन का उपयोग नहीं करना चाहता है, जो एक समय में छः महीने से अधिक की नहीं हो, तो उसे वाहन का उपयोग नहीं किये जाने की अवधि के लिये कर भुगतान करने से सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि छूट का दावा निबन्धन प्रमाण, योग्यता प्रमाण पत्र, कर प्रतीक आदि जैसे आवश्यक प्रलेखों को अभ्यर्पित कर दिये जाने के साक्ष्यों से समर्थित हो। वाहन मालिक को समय समय पर सम्बन्धित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष, अभ्यर्पण की अवधि विस्तार को बढ़ाने के लिये, यदि कोई हो, वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

यदि उपरोक्त वचन पत्र द्वारा आवरित अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि मोटर वाहन का उपयोग किया जा रहा है अथवा वाहन को उसके वचन पत्र में उल्लिखित स्थान की अपेक्षा किसी अन्य स्थान पर रखा जा रहा है तो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये यह माना जायेगा कि उक्त सम्पूर्ण अवधि के लिये कर का भुगतान किये बिना उसका उपयोग किया गया है। दिसम्बर 1990 में जारी किये गये कार्यपालक

6 *अररिया, औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली।*

7 *कराधान पंजी : बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली में विहित प्रावधानों के अधीन व्यक्तिगत वाहनों को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिये अलग अलग पृष्ठ आवंटित करते हुए प्रपत्र–एम में संधारित एक पंजी।*

8 *औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली।*

9 *औरंगाबाद, सीतामढ़ी और वैशाली।*

अन्देशों के अनुसार वाहन का उपयोग नहीं करने सम्बन्धी प्रलेखों का अभ्यर्पण स्वीकार करने से पूर्व, जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा बकाये कर की वसूली कर लिया जाना आवश्यक है।

पथ कर और अतिरिक्त मोटर वाहन कर के भुगतान से सम्बन्धित कराधान पंजी, अभ्यर्पण पंजी एवं अन्य संगत अभिलेखों की जाँच पड़ताल से 299 वाहनों के लिये अन्तर्निहित 2.22 करोड़ रुपये का कर वसूल नहीं किये जाने का पता चला, जिसका विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	जि. प. कार्यालयों का नाम	वाहनों की संख्या	सम्मिलित अवधि	अनियमितताओं का स्वरूप	राशि
1.	20 जि. प. का.[10]	247	अगस्त 2001 में मार्च 2005	नये वचन पत्र के बिना छह महीने से अधिक अवधि के लिये अभ्यर्पित वाहनों के सम्बन्ध में राजस्व की वसूली के लिये विभाग ने कोई कदम नही उठाया।	1.03
2.	पटना	34	अगस्त 2002 से मार्च 2005	34 वाहनों के अभ्यर्पण आवेदन रद्द किये गये किन्तु अद्यतन कर की वसूली पाँच मामलों में वाहनों को निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पाये जाने के कारण और 29 मामलों में अधिनियम के अनुसार शर्त्तें पूरा नहीं किये जाने के कारण नहीं की गई।	1.00
3.	दरभंगा, गया, गोपालगंज, मोंतिहारी और मुजफ्फरपुर	18	जून 1999 से नवम्बर 2004 (वाहन जुलाई 2002 और अक्तूबर 2003 के बीच अभ्यर्पित किये गये थे)	अद्यतन कर की वसूली किये बिना अभ्यर्पण स्वीकार किया जाना	0.19
	कुल	**299**			**2.22**

विभाग को इसे जुलाई 2005 में बतलाये जाने पर विभाग, ने सितम्बर 2005 में जवाब दिया कि जिला परिवहन कार्यालय, दरभंगा ने मांग पत्र निर्गत कर दिये हैं।

छूट के मामले लम्बित रहने के कारण अवरुद्ध राजस्व

4.2.10 बि. मो. वा. क. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई कराधान पदाधिकारी यदि किसी मोटर वाहन मालिक से एक शपथ पत्र के साथ प्राप्त आवेदन पर छानबीन करने के बाद सन्तुष्ट है कि एक कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि तक के लिए मोटर वाहन का लगातार उपयोग बिहार में नहीं किया गया है तो उसे कर भुगतान करने से

10 *अररिया, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, भोजपुर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, किशनगंज, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली*

छूट प्रदान कर सकता है तथा बिहार के राज्य परिवहन आयुक्त को सूचना के अधीन बकाये कर की अधिकतम 4000 रुपये की राशि बट्टे खाते में डाल सकता है। बकाये कर की राशि यदि 4000 रुपये से अधिक हो तो इस विषय पर निर्णय के लिये इसे बिहार के राज्य परिवहन आयुक्त अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास भेज सकता है।

- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कार्यालय में छूट पंजी की जाँच से पता चला कि अप्रील 2002 ओर अप्रील 2005 के बीच 25 जिला परिवहन कार्यालयों[11] ने 320 वाहनों के सम्बन्ध में कर भुगतान करने से छूट की अनुमति के लिये प्रस्ताव भेजा था। इनमें से 85 मामलों में मांगी गयी छूट की अवधि एवं अन्तर्ग्रस्त राशि का विवरण अंकित नहीं पाया गया तथा जून 2005 तक 15 मामलों का निपटारा दिखलाया गया था और 88.69 लाख रुपये से अन्तर्ग्रस्त शेष 220 मामलों में कोई देखभाल नहीं किया गया था।

- चार जिला परिवहन अधिकारियों के कार्यालयों[12] में अभ्यर्पण पंजी एवं सम्बन्धित अन्य अभिलेखों की जाँच से पाया गया कि 77 वाहनों का अभ्यर्पण, जिनमें कर भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिये उच्च अधिकारियों की स्वीकृति वांछित थी, सम्बन्धित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, अभ्यर्पण पंजी में उनकी प्रविष्टि कर ली गयी थी और वाहनों को मई 2001 से सितम्बर 2001 के बीच मुक्त कर दिया गया था, परन्तु कर भुगतान से छूट की अनुमति प्रदान करने के लिये इन मामलों को जून 2005 तक उच्च अधिकारियों के पास नहीं भेजा गया था। इन मामलों में 9.08 लाख रुपये का राजस्व अन्तर्ग्रस्त था।

यह विषय विभाग को जुलाई 2005 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2005)।

योग्यता प्रमाण पत्रों का अनियमित निर्गम

4.2.11 बि. मो. वा. क. अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी मोटर वाहन से सम्बन्धित कर का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया जाता है तो वैसे करदायी व्यक्ति को बकाये कर के साथ विहित दरों पर अर्थदण्ड का भी भुगतान करना होगा। मोटर वाहन अधिनियम प्रावधित करता है कि कोई परिवहन वाहन वैध रूप से निबन्धित नहीं माना जायेगा जब तक कि उसके पास विहित प्राधिकार द्वारा स्वीकृत योग्यता प्रमाण पत्र (यो. प्र. प.) न हो।

इसके अतिरिक्त, समय–समय निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त के अनुदेशों, अन्ततम निर्गत अनुदेश फरवरी 1999 के अनुसार मोटर वाहन निरीक्षक को यो. प्र. प. निर्गत करने के पूर्व अद्यतन कर भुगतान को सुनिश्चित कर लेना है।

सात जिला परिवहन कार्यालयों[13] द्वारा प्रस्तुत कराधान पंजियों/कम्प्यूटर विवरणियों के साथ मोटर वाहन निरीक्षक कार्यालयों के योग्यता प्रमाण पत्र पंजियों की तिर्यक जाँच से

11 *औरंगाबाद, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली।*

12 *बेतिया, दरभंगा, मोतिहारी और पटना।*

13 *दरभंगा, गया, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, नालन्दा और पटना।*

पता चला कि दिसम्बर 2000 से मार्च 2005 तक की अवधि के लिए 1.95 करोड़ रुपये के अद्यतन कर का भुगतान सुनिश्चित किये बिना मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा 77 वाहनों के लिये यो. प्र. प. निर्गत किये गये थे।

चूँकि योग्यता प्रमाण पत्र जारी किये जाने एवं तदनुरूप अद्यतन कर भुगतान के सम्बन्ध में मो. वा. नि. द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी/राज्य परिवहन आयुक्त को भेजे जाने के लिये कोई प्रतिवेदन या विवरणी निर्धारित नहीं की गई थी, वरिष्ठ (उच्च) प्राधिकारियों द्वारा आन्तरिक नियंत्रण का प्रयोग नहीं किया जा सका।

विभाग को मामला जुलाई 2005 में प्रतिवेदित किया गया; विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया (सितम्बर 2005)।

व्यवसायियों से व्यापार कर का उद्ग्रहण नहीं किया जाना

4.2.12 बि. मो. वा. क. अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मोटर वाहनों के विनिर्माताओं या व्यवसायियों द्वारा विनिर्माता अथवा व्यवसायी की तरह किये गये व्यवसाय के क्रम में रखे गये मोटर वाहनों के लिये विनिर्दिष्ट दर पर कर का भुगतान किया जायेगा तथा इसमें विफल रहने पर बि. मो. वा. क. नियमों तथा मई 2001 में राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

नवम्बर 1990 में निर्गत कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी को मांग पत्र निर्गत करना है और मांग पत्र का उत्तर नही मिलने की स्थिति में बकाये की वसूली सुनिश्चित करने के लिये नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ करना है।

चार जिला परिवहन कार्यालयों[14] के व्यापार कर पंजियों की नमूना जाँच से स्पष्ट था कि 24 मोटर वाहन व्यवसायियों ने वर्ष 2000–01 से 2003–04 की अवधि के लिये व्यवसाय कर का भुगतान नहीं किया था। मांग–पत्र निर्गत किये जाने और नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में किसी कार्रवाई का उल्लेख अभिलेख में नहीं पाया गया। इसके फलस्वरूप 9.91 लाख रुपये के अर्थदण्ड सहित 10.81 लाख रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

जुलाई 2005 मे इसे विभाग को बतलाये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2005 में कहा कि जि. प. का. वैशाली द्वारा माँग पत्र निर्गत कर दिया गया है। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

सरकारी लेखा में राजस्व की राशि जमा किये जाने का सत्यापन किये बिना प्रलेखों का निर्गम

4.2.13 बि. मो. वा. क. नियमावली तथा मई 1980 एवं सितम्बर 1996 के कार्यपालक अनुदेशों के अन्तर्गत जिला परिवहन पदाधिकारी इससे सन्तुष्ट हो लेने के बाद ही कि वाहन मालिक ने उसके द्वारा देय राशि जमा कर दिया है, आवश्यक कागजात/प्रमाण पत्र जिसके लिये राशि जमा की गयी है, निर्गत करेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा कोई भी कागजात निर्गत किये जाने से पूर्व इस प्रकार जमा की गई राशि का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।

14 *भागलपुर, पटना, पूर्णियाँ और वैशाली।*

जिला परिवहन कार्यालय, पटना की कम्प्यूटर रोकड़ बही एवं मुद्रा प्राप्ति रसीदों की कार्यालय प्रतियों के साथ अनुज्ञप्ति एवं योग्यता प्रमाण पंजियों की तिर्यक जाँच से पता चला कि राजस्व को सरकारी लेखा में वस्तुतः जमा किये जाने की बात सुनिश्चित किये बिना, जिला परिवहन पदाधिकारी ने अगस्त 2002 और अक्तूबर 2003 के बीच 3,330 मामलों से सम्बन्धित ज्ञानोर्जक चालन अनुज्ञप्तियों/चालान अनुज्ञप्तियों/स्वामित्व हस्तान्तरण/द्वितीयक निबन्धन प्रमाण पुस्तिकाओं/योग्यता प्रमाण पत्रों आदि जैसे प्रलेख निर्गत किया था। मुद्रा प्राप्ति रसीदों में दिखलाई गयी 5.07 लाख रुपये की राशि न तो कम्प्यूटर रोकड़ बही में अभिलेखित था न ही उसे कोषागार में जमा किया गया था।

अक्तूबर 2003 की लेखापरीक्षा में इसे बतलाये जाने के बाद जिला परिवहन पदाधिकारी ने जून 2005 में प्रतिवेदित किया कि आवेदकों से 4.95 लाख रुपये की वसूली कर ली गयी है और शेष राशि की वसूली के लिये कार्रवाई की जा रही थी।

अन्य राज्यों में निबन्धित वाहनों को नया निबन्धन चिह्न प्रदान नहीं किये जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना

4.2.14 मोटर वाहन अधिनियम और इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अधीन जब अन्य राज्य से सम्बन्धित मोटर वाहन को इस राज्य में बारह महीने से अधिक की अवधि के लिये रखने की इच्छा की जाती है तो वाहन मालिक को इस आशय का घोषणा पत्र जमा कर 12 महीने के भीतर या 12 महीने बीतने के बाद 30 दिनों के भीतर किसी समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (अना. प्र. प.) एवं उपयुक्त शुल्क के साथ वाहन का नया निबन्धन चिह्न प्रदान करने के लिये आवेदन देना होता है। वाहन मालिक यदि विहित अवधि के भीतर आवेदन देने में विफल हो जाता है तो उसे निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त, अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना भुगतान करना आवश्यक है।

चौदह जिला परिवहन पदाधिकारियों के कार्यालयों[15] में मूलतः अन्य राज्यों में निबन्धित वाहनों के लिये "वर्तमान पता पंजी"[16] की जाँच ने दिखलाया कि वर्ष 1999 से 2004 की अवधि में अन्य राज्यों से सम्बन्धित 2,856 मोटर वाहन इस राज्य में 12 महीनों से अधिक अवधि से चल रहे थे। विभाग द्वारा इन वाहनों को न तो नया निबन्धन चिह्न प्रदान करने की कार्रवाई की गयी थी न ही सूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध कोई कार्रवाई किये जाने का उल्लेख " वर्तमान पता–पंजी" में पाया गया। इसके फलस्वरूप जुर्माना सहित शुल्क के रूप में 9.94 लाख रुपये का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

जुलाई 2005 में इसे विभाग को बतलाये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2005 में जवाब दिया कि जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली से सम्बन्धित पाँच वाहन मालिकों से 0.02 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है और छह जिला परिवहन पदाधिकारियों[17] द्वारा मांग–पत्र निर्गत किये गये हैं, शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2005)।

15 *बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, मुंगेर, मधुबनी, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ और वैशाली।*

16 *"वर्तमान पता पंजी"– अन्य राज्यों में निबन्धित वाहनों के लिए विहित पंजी जिसका संधारण निबन्धन पंजी के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार किया जाना है।*

17 *बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, सासाराम और वैशाली।*

निबन्धन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाना

4.2.15 के. मो. वा. नियमावली के साथ पठित मो. वा. अधिनियम प्रावधित करता है कि परिवहन वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के लिये निर्गत निबन्धन प्रमाण पत्र, इन्हें निर्गत किये जाने की तिथि से 15 वर्षों की अवधि के लिये वैध रहेंगे तथा एक विहित शुल्क का भुगतान किये जाने पर अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिये इनका नवीनीकरण किया जायेगा। वाहन मालिक यदि निबन्धन समाप्त हो जाने के बाद 60 दिनों के भीतर नवीनीकरण के लिये आवेदन देने में विफल रहता है तो अधिकतम 100 रुपये तक का दण्ड आरोपणीय है। रा. प. आ. ने जून 1991 में कहा कि ऐसे वाहन समय रहते निबंधित हो जाने चाहिए। तेरह जिला परिवहन कार्यालयों[18] के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 3,662 वाहनों (परिवहन वाहनों से भिन्न) के निबन्धन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण, उनका निबन्धन समाप्त होने की उक्त अवधि (15 वर्ष) के बाद नहीं किया गया, हालांकि उनकी समाप्ति अप्रील 1999 से नवम्बर 2003 के बीच हो चुकी थी। अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह ज्ञात होता कि उन वाहनों का स्थानान्तरण उनके मूल क्षेत्रों/राज्यों में हो चुका है। सम्बन्धित जि. प. पदा. ने इन वाहनों के निबंधन के लिये कोई कार्रवाई नहीं की यद्यपि 1991 में राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों में, ऐसे वाहनों के निबन्धन का समय पर नवीनीकरण करने की बात दुहरायी गयी थी।

निबन्धन का नवीनीकरण कराये बिना हो रहे वाहन परिचालन को रोकने की दिशा में प्रवर्त्तन शाखा द्वारा किये गये किसी प्रयास का उल्लेख अभिलेखों में नहीं पाया गया। इसके फलस्वरूप 3.66 लाख रुपये के आरोपणीय दण्ड सहित 9.74 लाख रुपये के राजस्व की वसूली नहीं की गयी।

मामला विभाग को जुलाई 2005 में बतलाये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2005 में जवाब दिया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा 0.01 लाख रुपये की वसूली कर ली गयी है तथा छह जिला परिवहन पदाधिकारियों[19] द्वारा मांग पत्र निर्गत कर दिये गये हैं, शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (सितम्बर 2005)।

अन्य राज्यों से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों के निष्पादन में नियंत्रण का अभाव

4.2.16 बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी लेन–देन को अविलम्ब लेखा में लाया जाना और सभी प्राप्तियों को सरकारी लेखा में जमा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय अनुमति योजना (नेशनल परमिट स्कीम) के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्यों से प्राप्त होने वाले संयुक्त शुल्क से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्टों के लिये राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा एक बैंक ड्राफ्ट पंजी का संधारण किया जाना वांछित है। राज्य परिवहन आयुक्त के पास जमा किये गये बैंक ड्राफ्टों की राशि का संग्रहण करने के लिये राज्य सरकार ने कुछ राष्ट्रीकृत बैंकों की प्राधिकृत किया है। मार्च 1996 में निर्गत राज्य परिवहन आयुक्त ने अनुदेशों के अनुसार अप्रील से फरवरी की अवधि में बैंकों द्वारा संग्रहित राशि को, भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना में इस प्रकार स्थानान्तरित किया जाना है कि किसी माह विशेष की सभी प्राप्तियाँ आने वाले माह के प्रथम सप्ताह तक स्थानान्तरित हो जाये तथा मार्च महीने में संग्रहित राशि को 31 मार्च तक निश्चित रूप से स्थानान्तरित किया जाना है ताकि एक वित्तीय वर्ष में जमा की गयी सभी प्राप्तियाँ उसी वित्तीय वर्ष में सरकारी लेखा में स्थानान्तरित हो जाये।

18 *बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, मोतिहारी, नालन्दा, पटना, पूर्णियाँ और वैशाली।*

19 *बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, सासाराम और वैशाली।*

अप्रील 2003 में निर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार सरकार की लेखा में विलम्ब से प्रेषण के लिये बैंकों द्वारा बैंक दर तथा दो प्रतिशत[20] के हिसाब से ब्याज देय है। संग्रहित राशि को बैंकों द्वारा सरकारी लेखा में हस्तान्तरण करने की विफलता की स्थिति में, बैंक स्थित शेष राशि के विरूद्ध राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा चेक निर्गत किया जाना है।

- रा. प. आ. के कार्यालय में यथा उपलब्ध, राजस्व संग्रहण करने वाले बैंकों[21] की बैंक समाधान विवरणियों की नमूना जाँच से पता चला कि संग्रहणकर्ता बैंकों ने, राजस्व संग्रहण की राशि को सरकार की लेखा में जमा किये जाने के लिये, भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा, पटना को, एक महीने से लेकर 11 महीनों तक के विलंब से स्थानान्तरित किया।

राशि को सरकार की लेखा में विलम्ब से विप्रेषित किये जाने के लिये विभाग ने ब्याज का दावा नहीं किया जिसके फलस्वरूप मार्च 2003 और फरवरी 2005 के बीच की अवधि के लिये 1.85 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना कार्यालय की बैंक ड्राफ्ट पंजी की जाँच से देखा गया कि विभिन्न राज्यों से प्राप्त संयुक्त शुल्क के 9.61 करोड़ रुपये के 26,093 बैंक ड्राफ्टों को, जुलाई 2003 से मार्च 2005 की अवधि में राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा छः बैंकों[22] को भेजा गया था, परन्तु उक्त राजस्व को सरकार की लेखा में स्थानान्तरण के लिये राज्य परिवहन आयुक्त ने भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, पटना के पक्ष में चेक निर्गत नहीं किया। इस प्रकार सरकार का राजस्व बैंकों के पास अवरूद्ध रहा।

- बैंक ड्राफ्ट पंजी की नमूना जाँच से पता चला कि अप्रील 2001 से मार्च 2004 की अवधि से सम्बन्धित अन्य राज्यों से प्राप्त संयुक्त शुल्क की 27.17 लाख रुपये की राशि के 743 समाप्त हो चुके (एक्सपायर्ड) बैंक ड्राफ्टों को, राज्य परिवहन आयुक्त ने मार्च 2005 में पुनर्वैधीकरण के लिये विभिन्न प्राधिकृत बैंकों को भेजा था। सरकार का राजस्व अवरोधित था क्योंकि समाप्त हो चुके बैंक ड्राफ्ट लम्बित रहे (जून 2005)।

निष्कर्ष

4.2.17 वसूली की विभिन्न अवस्थाओं में संग्रहण के लिये लम्बित मोटर वाहन करों की विशाल राशि की मांग प्रस्तुत करने तथा उसकी वसूली के लिए, परिवहन विभाग उपयुक्त आन्तरिक नियंत्रण का प्रयोग नहीं कर सका। वाहन करों के भुगतान से छूट की स्वीकृति प्रदान करने में भी उचित सुरक्षा साधनों का उपयोग नहीं किया गया।

अनुशंसाएँ

4.2.18 सरकार इनका परीक्षण तथा विचार कर सकती है :

20 *भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 29.4.2003 के अनुसार बैंक दर 6 प्रतिशत था।*

21 *बैंक आफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, ईन्डियन बैंक, एस बी आई, पटियाला और एस बी आई, बीकानेर एवं जयपुर।*

22 *ईलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इन्डिया (मुख्य शाखा), बैंक आफ बड़ौदा, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, एस बी आई, पटियाला तथा एस बी आई, जयपुर एन्ड बीकानेर।*

- अभुगतित करों की वसूली के लिये नीलामवाद प्रक्रियाओं द्वारा अनुसरित मांग पत्र निर्गत करने के लिये उपयुक्त एवं समयानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एक विशिष्ट एवं निश्चित तंत्र का निर्माण ;

- लम्बित नीलामवाद मामलों का निष्पादन करने के लिये जिला नीलामवाद पदाधिकारी से तालमेल के साथ प्रभावकारी उपाय करना ; और

- अप्राधिकृत वाहनों की अविलम्ब पहचान करने और कर की त्वरित वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रवर्त्तन शाखा जिला परिवहन कार्यालय और मोटर वाहन निरीक्षकों के कार्यों का अनुवीक्षण करने के लिये शीर्ष स्तर पर एक नियंत्रण प्रणाली विकसित किया जाना चाहिए।

4.3 परिवहन विभाग में पथ परिवहन प्रबन्धन सूचना प्रणाली (निकट्रान) पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समीक्षा

विशिष्टताएँ

द्वितीयक इंजन/चेसिस संख्याओं के आधार पर निबन्धन करने में नियंत्रण का अभाव।

(कंडिका 4.3.5)

द्वितीयक बीमा प्रमाण पत्र/कवर नोट नम्बरों के आधार पर निबन्धन करने में नियंत्रण का अभाव।

(कंडिका 4.3.5)

परिचय

4.3.1 करों की समय पर वसूली को अधिक प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने हेतु अनुवीक्षण एवं नियन्त्रण में सुधार के उपाय के रूप में, बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने कराधान प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया तथा नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेन्टर (एन. आई. सी.) की बिहार राज्य ईकाई के सक्रिय सहयोग से पथ परिवहन प्रबन्धन सूचना प्रणाली (निकट्रान) लागू किया (1992)। निकट्रान (एन. आई. सी. टी. आर. ए. एन.) की परिकल्पना वाहनों का निबन्धन करने, कर संग्रहण करने, चूक करने वालों की सूची तैयार करने तथा मांग पत्र निर्गत करने सम्बन्धी कार्यों का प्रभावपूर्ण अनुवीक्षण करने के लिये एक व्यापक परिवहन प्रबन्धन प्रणाली के रूप में की गयी। बिहार के 37 जिलों में से पाँच जिलों[23] में निकट्रान अमल में था।

निकट्रान पैकेज को जेनिक्स (एक्स. ई. एन. आई. एक्स.)[24] प्रचालन पद्धति पर "फॉक्स बेस प्लस डी बी एम एस[25] का उपयोग करते हुए विकसित किया गया। मित्रवत और मेनु चालित यह पैकेज कर संगणना की त्वरित एवं सही कार्य विधियाँ प्रदान करने के लिये उद्देशित था। इस में वाहन निबन्धन, काउन्टरों पर टैक्स टोकन पर्चियों का शीघ्र निष्पादन तथा मांग पत्र और स्मारों का निर्माण भी करना था। इन कार्यों के अतिरिक्त यह पैकेज दैनिक, मासिक एवं वार्षिक रोकड़ पुस्तिकाओं के संधारण में भी योग्य होगी।

23 *भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णियाँ।*

24 *यूनिक्स (यू एन आई एक्स) आपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार ।*

25 *डाटा बेस मैनेजमेन्ट सिस्टम।*

लेखापरीक्षा उद्देश्य

4.3.2 सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समीक्षा इन्हें परखने के उद्देश्य के साथ की गयी थी :

- निबन्धन डाटाबेस की पूर्णता (कम्प्यूटरीकृत किये जाने के समय से)
- द्वितीयक ईन्जिन/चेसिस संख्याओं पर नियन्त्रण (2000 से)
- द्वितीयक बीमा–प्रमाण पत्र/कवर नोट संख्याओं पर नियन्त्रण (2000 से)
- अतिरिक्त निबन्धन शुल्क के उद्ग्रहण की शुद्धता (13.06.2003 से) तथा प्रमादी वाहन मालिकों से बकाये कर की वसूली।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्य प्रणाली

4.3.3 सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के लिये भागलपुर, पटना और पूर्णियाँ के जिला परिवहन कार्यालयों (नि. प. का.) का चयन किया गया था। जिला परिवहन कार्यालयों से कराधान और निबन्धन के आंकड़ों का संग्रहण मार्च और मई 2005 के बीच टेप कार्टिजों में किया गया था और सी. ए. ए. टी.[26] अर्थात आई. डि. ई. ए.[27] 2002 का उपयोग करते हुए उनका विश्लेषण किया गया था। कम्प्यूटरीकृत किये जाने के समय से अप्रील 2005 तक के कराधान तथा निबन्धन आंकड़ों का विश्लेषण डाटाबेस की पूर्णता का सत्यापन करने के लिये किया गया था। द्वितीयक ईन्जिन/चेसिस और बीमा प्रमाण पत्र/कवर नोट नम्बरों का विश्लेषण 1.1.2000 से किया गया था। लेखापरीक्षा परिणामों का उल्लेख उत्तरवर्ती कंडिकाओं में किया गया है:

अधूरा डाटाबेस

4.3.4 केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 47 के अनुसार वाहनों के निबन्धन के लिये प्रपत्र–20 विहित किया गया है जिसमें 33 क्षेत्रों की सूचनाएँ होती हैं। निकट्रान में सभी 33 क्षेत्रों का प्रावधान आंकड़ों की प्रविष्टी के लिए किया है।

भागलपुर, पटना और पूर्णियाँ जिला परिवहन कार्यालयों के निबन्धन डाटाबेस के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी (संलग्नक–1) आंकड़ा–प्रग्रहण (डाटा कैप्चर) आंशिक था। अनेक मामलों में अनिवार्य क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले आंकड़ों जैसे निबन्धन तिथि, मालिक का नाम, पता, व्यवसायी का नाम, इंजन/चेसिस संख्या तथा बीमा प्रमाण–पत्र/कवर नोट संख्या/तिथि की भी प्रविष्टि नहीं की गयी थी, जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

जि. प. कार्यालय	रिक्त मैल्यू रखनेवाले क्षेत्रों की कुल संख्या						
	वाहनों की संख्या	निबन्धन की तिथि	मालिक का नाम	पता	व्यवसायी का पता	ईन्जिन संख्या/चेसिस संख्या	बीमा कम्पनी/ बीमा संख्या/तिथि
भागलपुर	36,896	5,390	8,371	6,946	10,031	8,758/6,572	27838/2787
पटना	1,83,054	25,124	13,425	27,316	27,212	28,870/26,620	34,961/37,132/34,961
पूर्णियाँ	10713	24	शून्य	38	क्षे. उ. न.[28]	शून्य/6	क्षे. उ. न.

26 *कम्प्युटर्स असिस्टेड ऑडिट टुल्स।*

27 *इन्टरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्सन एण्ड एनालिसिस।*

28 *क्षेत्र उपलब्ध नही।*

सरकार ने जवाब में कहा (सितम्बर 2005) कि भागलपुर ओर पटना जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेस में छूटे हुए सभी आंकड़ों की प्रविष्टि करने की कार्रवाई की जा रही है।

• केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना के अनुसार[29] 31 मई 2002 से वाहनों के मालिकों द्वारा उनकी वार्षिक आय और पैन/जी. आई. आर.[30] संख्या बतलाया जाना अधिदेशात्मक (अनिवार्य) है। तीन जिला परिवहन कार्यालयों की लेखापरीक्षा में देखा गया कि इस प्रकार की कोई सूचना डाटाबेस में उपलब्ध नहीं थी। जिला परिवहन कार्यालयों के कराधान डाटाबेस की जाँच से पता चला कि जिन मामलों में बिहार के अन्य जिलों में/राज्य से बाहर कर भुगतान करने का विकल्प व्यक्त किया गया था, नीचे की सारणी में दिखलाये गये प्रकरणों में (**विवरण संलग्नक–II** में) अना. प्र. प. प्रदान करते समय उस स्थान का नाम उल्लिखित नहीं था जहाँ कर भुगतेय होगा।

जि. प. का.	उन मामलों की संख्या जिनमें अ. प्र. पत्र निर्गत किये गये थे	उन मामलों की संख्या जिनमें जिला/स्थान उल्लिखित नहीं था
भागलपुर	79	62
पटना	560	184
पूर्णियाँ	82	45

कुछ मामलों में स्थान के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धी सूचनाएँ डाटाबेस से पुनः प्राप्त नहीं की जा सकी जिसके फलस्वरूप राजस्व की तिर्यक जाँच करने के लिये तथा समय पर उद्ग्रहण करने के लिए अन्य जिला परिवहन कार्यालयों को तत्काल सूचना नहीं भेजी जा सकी।

इसके अतिरिक्त, एक अपूर्ण डाटाबेस पर आधारित किसी विश्लेषण या प्रबन्धन सूचना प्रणाली (प्र. सू. प्र.) के लिए प्रतिवेदन द्वारा, डाटाबेस को अविश्वसनीय बनाने के अलावा अधूरा और भ्रामक सूचना दिये जाने की सम्भावना रहती है।

द्वितीयक इंजन/चेसिस एवं बीमा/कवर नोट नम्बरों के आधार पर निबन्धन करने में नियन्त्रण का अभाव

4.3.5 वाहनों के चेसिस/इंजन नम्बर वर्णमाला संख्यात्मक अंको में रहते हैं जो विशिष्ट (अनूठे) प्रकार के होते हैं और इसीलिए यह वाहन की पहचान होती है। वाहन मालिक को प्रपत्र–20 में निबन्धन के समय यह घोषणा करने की आवश्यकता होती है कि इस वाहन को भारत के अन्यत्र कहीं भी निबन्धित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम–47 के अन्तर्गत प्रपत्र–20 के साथ एक वैध बीमा प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा।

• जिला परिवहन कार्यालयों के डाटाबेसों के विश्लेषण से द्वितीयक इंजन और चेसिस नम्बरों के दृष्टान्त मिले। पहचान किये गये और तदन्तर निबन्धन पंजियों से सत्यापित द्वितीयक नम्बर नीचे दिखलाये गये हैं (**विवरण संलग्नक–III** में)।

जि. प. का.	द्वितीयक इंजन नम्बरों की संख्या	द्वितीयक चेसिस नम्बरों की संख्या	द्वितीयक ईन्जिन/चेसिस नम्बरों की संख्या
भागलपुर	04	01	15
पटना	15	06	09
पूर्णियाँ	–	–	01

29 *जी एस आर 400 (ई) दिनांक 31.05.2002।*

30 *स्थायी लेखा संख्या/सामान्य इन्डेक्स निबन्धन संख्या।*

यह डाटा प्रविष्टि की अवधि में वैधता (प्रामाणिकता) की जाँच के अभाव का संकेतक था। इस प्रकार प्रणाली के उत्पादन (आउटपुट) की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित नहीं की जा सकी। सिरीज बी. आर.–I वाई, बी. आर.– I जेड तथा बी. आर.– I ए पी (जि. प. का., पटना) धारित निबन्धन के अभिलेखों में निहित मामलों का हस्त (मैनुअल) सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि निबन्धन पंजियाँ या तो आंशिक रूप से भरी गयी थी या बिल्कुल ही नहीं भरी गयी थी।

जवाब में विभाग ने बतलाया (सितम्बर 2005) कि जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर के अभिलेखो से स्पष्ट था कि यह भूल मोटर वाहन व्यवसायियों की लापरवाही और मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा उचित जाँच के अभाव के कारण हुई थी, जबकि जिला परिवहन कार्यालय, पटना के मामले में, मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा ईन्जिन/चेसिस नम्बरों का सत्यापन करवाने के लिये, मोटर वाहन मालिकों को सूचना भेज दी गयी है।

- भागलपुर और पटना के जिला परिवहन कार्यालयों में 1 जनवरी 2000 से रखे गये निबन्धन डाटा बेसों के विश्लेषण से पाया गया कि वहाँ द्वितीयक बीमा/कवर नोट नम्बरों के साथ निबन्धित निम्नलिखित वाहन निबन्धन अभिलेख उपलब्ध थे (विवरण **संलग्नक–IV** में)।

जिला परिवहन कार्यालय	कम्पनी	द्वितीयक/गल्टीपुल इन्श्योरेन्स/कवर नोट नम्बरों की संख्या
भागलपुर	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	29
	ओरियेन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी	08
	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी	39
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	*05*
	कुल	**81**
पटना	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	129
	ओरियेन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी	401
	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी	168
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	195
	बजाज एलियान्ज	04
	कुल	**897**

- यह प्रणाली में वैधता (प्रामाणिकता) की जाँच के अभाव का संकेतक था। जिला *परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ के निबन्धन डाटाबेस में बीमा क्षेत्र (इन्श्योरेन्स फील्ड) ही उपलब्ध नहीं था।*

जवाब में विभाग ने सितम्बर 2005 में बतलाया कि जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर के मामले में एक ही इन्श्योरेन्स नम्बर विभिन्न वाहनों को निर्गत कर दिये जाने के कारण यह भूल हुई थी तथा ईन्श्यारेन्स कम्पनियों से, भविष्य में ऐसा नहीं करने का, अनुरोध किया गया था ; जबकि जिला परिवहन कार्यालय, पटना के मामले में इन्श्योरेन्स कम्पनियों के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के लिये एक बैठक बुलायी गयी थी।

अतिरिक्त निबन्धन शुल्क (पसन्द शुल्क) की कम वसूली

4.3.6 बिहार सरकार ने अधिसूचना[31] द्वारा बि. मो. वा. नियमावली के नियम–64 को 13 जून 2003 के प्रभाव से प्रतिस्थापित किया।

उक्त अधिसूचना की उप–धारा (3) के अनुसार यदि कोई वाहन मालिक उक्त अधिसूचना में समावेशित नम्बरों में से किसी खास पसन्दीदा निबन्धन संख्या के लिए आवेदन करता है तो उसे उस संख्या विशेष के लिये निर्धारित दर पर निर्भर करते हुए 5,000/– रुपये और 25,000/– रुपये के बीच स्थित एक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। 5,000/– रुपये का अतिरिक्त शुल्क उस स्थिति में आरोप्य होगा जब कोई खास अथवा क्रम से बाहर का निबन्धन संख्या आवंटित किया जाता है, जैसा वाहन मालिक द्वारा पसन्द किया गया हो।

- भागलपुर और पटना के जिला परिवहन कार्यालयों के डाटा बेसों की जाँच पड़ताल से पता चला कि अतिरिक्त निबन्धन शुल्क की वसूली, 13 जून 2003 से प्रभावी पुनरीक्षित दर के बदले, 100/– रुपये प्रत्येक के पुराने दर पर की गई थी, जैसा नीचे दिखलाया गया है :

(राशि रुपये में)

जिला परिवहन कार्यालय	सीरीज	वाहनों की संख्या	दर जिस पर वसूली किया जाना है	कम वसूल किया गया शुल्क
भागलपुर	बी. आर. 10 डी	06	5,000	29,400
	बी. आर. 10 जी	01	5,000	4,900
	कुल	**07**	–	**34,300**
पटना	बी. आर. 1 ए पी	02	5,000	9,800
	बी. आर. 1 जी	01	5,000	4,900
	बी. आर. 1 भी	19	5,000	93,100
	बी. आर. 1 भी	02	10,000	19,800
	कुल	**24**	–	**1,27,600**

- भागलपुर और पटना जिला परिवहन कार्यालयों में 31 वाहनों में अन्तर्निहित अतिरिक्त निबन्धन शुल्क (पसन्द शुल्क) की कम वसूली, निबन्धन पंजी की हस्तचालित जाँच से सम्पुष्टित था।

- जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ के डाटा बेस में अतिरिक्त निबन्धन शुल्क के लिये क्षेत्र उपलब्ध नहीं था। इसलिए कम वसूली, यदि कोई हो, का सत्यापन डाटा बेस से नहीं किया जा सका।

विभाग के पास निकट्रान साफ्टवेयर में परिवर्तनों का अनुश्रवण करने के लिये नीतियाँ एवं कार्यविधियाँ विहित नहीं थी। इसके अतिरिक्त विभाग ने सॉफ्टवेयर में सुधार के लिये प्रणाली परिवर्तन अनुरोध का प्रलेखन या संधारण नहीं किया था।

इसके फलस्वरूप अतिरिक्त निबन्धन शुल्क (पसन्द शुल्क) की वसूली पुराने दर पर स्वीकार किया गया जिससे 1.62 लाख रुपये का कम शुल्क वसूल किया गया।

31 *संख्या जी एस आर–4 दिनांक 13 जून 2003।*

इसके जवाब में विभाग ने (सितम्बर 2005) जिला परिवहन कार्यालय, पटना के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा 25 अगस्त 2005 को वाहन मालिकों को सूचनाएँ निर्गत की।

प्रमादी वाहनों से अर्थदण्ड सहित बकाया कर

4.3.7 बि. मो. वा. क. अधिनियम 1994 की धारा–5 तथा उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत वाहनों पर कर वार्षिक या त्रैमासिक, जैसा भी हो, उस वर्ष या तिमाही के आरम्भ से 15 दिनों के अन्दर भुगतेय है। इसके अतिरिक्त, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994 के नियम 4 के अन्तर्गत कर भुगतान में चूक होने की स्थिति में अर्थदण्ड भी आरोप्य है।

जि. प. पदा. द्वारा चूक करने वाले (प्रमादी) वाहनों की पहचान करने के लिए प्रणाली का उपयोग किया जाना, चूक करने वाले वाहन मालिकों को मांग पत्र भेजा जाना (प्रणाली द्वारा स्वतः उत्पादित) तथा यदि मांग पत्र भी वसूली को प्रभावी बनाने में विफल हो जाता है तो उस मामले में नीलामवाद की प्रक्रिया आरम्भ किया जाना वांछित है।

- जिला परिवहन कार्यालय, पटना के डाटा बेस के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 62 प्रमादी बसों (बी. आर. 1पी सीरीज) से सम्बन्धित 7 अगस्त 2002 से 30 अगस्त 2004 की अवधि के लिए संगणित 3.03 करोड़ रुपये का कर अर्थदण्ड सहित बकाया था।

विभाग ने सितम्बर 2005 में जवाब दिया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को मांग पत्र भेज दिये गये हैं।

- जिला परिवहन कार्यालय, पटना के डाटा बेस के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि 20 प्रमादी वाणिज्यिक वाहनों (बी. आर. – 1जी सिरीज के ट्रकों) के सम्बन्ध में 11 अगस्त 2002 से 30 अगस्त 2004 की अवधि के लिये संगणित 23.88 लाख रुपये का कर (अर्थदण्ड सहित) बकाया था।

जवाब में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को सितम्बर 2005 में स्वीकार किया और कहा कि वाहन मालिकों को मांग पत्र भेज दिये गये हैं।

प्रणाली कर दाताओं के अद्यतन कर की स्थिति संधारित करता है और मांग पत्रों एवं स्मारों स्वचालित निर्गम की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रणाली का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जाना विभाग में आन्तरिक प्रबन्धन नियन्त्रण प्रणाली नहीं होने का संकेत देता हैं।

निष्कर्ष

4.3.8 उचित आन्तरिक प्रबन्धन नियन्त्रणों की कमी ने निकट्रान के विशेषताओं का उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति उत्पन्न की। आदान की स्थिति में (इनपुट स्टेज) नियन्त्रण के अभाव में डाटा बेस को अधूरा बना दिया है। वैधता जाँचों की अभाव ने डाटा बेस में अभिलेखों के दोहरीकरण (डुप्लीकेशन) का नेतृत्व किया है ।

तीन जिला परिवहन कार्यालयों में प्रणाली भी एक समान नहीं थी, जो नियमों में संशोधन के अनुसार हुए परिवर्तनों को, निकट्रान का उपयोग करने वाले जिला परिवहन

पदाधिकारियों तक शीघ्रता से विस्तारित करने में परिवहन विभाग के लिये शिथिलता का संकेत करती थी। निकट्रान का व्यवहार करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की ओर बदलाव होना प्रभावकारी नहीं था। इस प्रकार, जि. प. पदा. एक सम्पूर्ण वाहन निबन्धन डाटा बेस का संधारण करने में तथा सही कर–संगणना करने, मांग पत्रों का निर्माण (उत्पादन) करने और प्रमादी मामलों का पहचान करने में निकट्रान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे।

अनुशंसाएँ

4.3.9 सरकार निम्नलिखित अनुशंसाओं का परीक्षण और विचार कर सकती है :

- प्रणाली में पर्याप्त नियन्त्रण होना चाहिए ताकि जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा एक स्थिर एवं सम्पूर्ण डाटाबेस संधारित किया जा सके। जब नीतियों में परिवर्तन हो तो साफ्टवेयर को समय पर अद्यतन किया जाना आवश्यक है। करों तथा शुल्कों की दरों में हुए परिवर्तन (पुनरीक्षण) को कम्प्यूटर डाटा बेस में समावेशित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कम वसूली के मामले घटित न हों।

- व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पर प्रबन्धन के पर्याप्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अधूरें/गलत डाटा बेस से बचने के लिये सभी संव्यवहारों को वैधिकृत, प्राधिकृत और सही–सही वर्गीकृत करते हुए प्रवेशित किया जा सकता है। डाटा क्षेत्रों को उनकी सीमा सहित पूर्व कार्यक्रमित किया जा सकता है ; और

- किसी भी परिवर्तन का समावेश करने के लिए प्रणाली प्रलेखित कर उन्हें अद्यतन किया जा सकता है। प्रबन्धन को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि "परिवर्तन प्रबन्धन नीति" (चेन्ज मैनेजमेंट पालिसी) अपनी जगह पर है। कराधान विनियमों के प्रलेख रखे जा सकते हैं। घोर संकट की स्थिति में संकटकालीन अनुप्रयोगों को जारी रखने और डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्धन को यह भी अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि एक "व्यवसायिक निरन्तरता योजना (बिजनेस कन्टिनुईटी प्लान)" अपने स्थान पर विद्यमान है।

अध्याय V : अन्य कर प्राप्तियाँ

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004–05 की अवधि में की गयी लेखापरीक्षा में वन प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से कर, शुल्क एवं फीस के अवनिर्धारण और राजस्व आदि के 433 मामलों में अन्तर्निहित 182.84 करोड़ रुपये की क्षति होना उद्घाटित हुआ जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
•	**मुद्रांक तथा निबन्धन फीस**		
1	भेजे गये मामलों के सम्बन्ध में विभेदक मुद्रांक शुल्क का संग्रहण नहीं किया जाना	01	0.43
2	अन्य मामले	96	3.78
	योग	**97**	**4.21**
•	**भू–राजस्व**		
1	उपकर तथा/ या बकाया उपकर पर ब्याज का नहीं/कम आरोपण	42	2.06
2	सलामी और वाणिज्यिक लगान निर्धारित नहीं किया जाना	57	10.71
3	सन्निहित भूमि की बन्दोबस्ती नहीं होना	36	1.98
4	सैरातों की बन्दोबस्ती नहीं होना	52	6.01
5	पट्टाकृत खासमहल भूमि की शर्तों ओर बंधों का नवीनीकरण नहीं किये जाने/उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्व की हानि	01	58.53
6	अन्य मामले	133	73.31
	योग	**321**	**152.60**
•	**प्रवेश कर/यात्री एवं माल कर**		
1	प्रवेश कर का आरोपण एवं संग्रहण	1	20.98
2	अन्य	5	0.35
	योग	**6**	**21.33**
•	**ईख पर कर**		
1	कर के बकाये पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	3	2.85
2	अन्य मामले	6	1.85
	योग	**9**	**4.70**
	कुल योग	**433**	**182.84**

वर्ष 2004–05 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 13 मामलों में अन्तर्निहित 59.09 करोड़ रुपये का अवनिर्धारण आदि होना स्वीकार किया जिसे वर्ष 2004–05 की लेखापरीक्षा के दौरान बतलाया गया। इसमें से दो मामलों में 15.09 लाख रुपये की वसूली की गयी।

दृष्टान्तरूप कुछ मामले, जिनमें 69.58 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अन्तर्निहित है, निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये हैं :

5.2 पट्टाकृत खास महाल भूमि की बंधों और शर्त्तों का नवीनीकरण नहीं किये जाने/उल्लंघन किये जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना

बिहार सरकार भू–सम्पत्ति (खास महाल) नियमावली, 1953 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन पट्टेदारों को पट्टा स्वीकृत करने के लिये, पट्टा समाप्त होने से छह महीने पूर्व इन पट्टों के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पट्टेदारों को नोटिस जारी करना होता है, जबकि पट्टेदार को पट्टे का नवीनीकरण कराने के लिये पट्टा समाप्त होने से तीन महीने पहले आवेदन करने की आवश्यकता होती हैं। यदि कोई पट्टेदार, पट्टे पर धारित सम्पत्ति का कर भुगतान किये बिना और पट्टे का नवीनीकरण कराये बिना उसे अपने कब्जे में रखता है अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना पट्टे के प्रयोजन में परिवर्तन करता है या सम्पत्ति का हस्तान्तरण करता है तो उसे अतिक्रमण करने वाला समझा जायेगा और विगत शर्त्तों एवं बंधों पर नवीनीकरण के लिए उसका कोई दावा नहीं रहेगा। यदि वे नया पट्टा लेने के लिए इच्छुक होते हैं तो एक निर्धारित तिथि तक अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिये उन्हें नोटिस भेजा जाना चाहिए।

नये पट्टों पर भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य पर वार्षिक लगान के अतिरिक्त (आवासीय और वाणिज्यिक पट्टों के लिए इस प्रकार के सलामी का क्रमशः पचासवाँ भाग और बीसवाँ भाग सलामी[1] आरोप्य है। बकायों के मामले में पट्टेदारों को, लगान का भुगतान नहीं किये जाने की तिथि से, नये पट्टे के लिये यथा निर्धारित लगान का दोगुना लगान का भुगतान, बकाये लगान पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ करना होगा।

31 मार्च 1999 को समाप्त हो चुके वर्ष के लिये भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ), बिहार सरकार, की कंडिका 2.1 में इस विषय पर तथा इसके राजस्व अभिप्रायों का उल्लेख किया गया था। लोक लेखा समिति (लो. ले. स.) ने जुलाई 2003 में छह महीनों के भीतर उचित एवं उपयुक्त कार्रवाई किये जाने तथा समिति को प्रतिवेदन भेजे जाने की अनुशंसा की।

खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर के कार्यालय में, अक्तूबर 2004 और अप्रील 2005 के बीच किये गये अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला :

समाप्त हो चुके पट्टों का नवीनीकरण नहीं किया जाना

5.2.1 वर्ष 1954–55 और 1991–92 के बीच 86.86 एकड़ भूमि के लिये 990 आवासीय पट्टों की अवधि समाप्त होने के बाद उनका नवीनीकरण नहीं किया गया था जिसके लिये न तो विभाग ने नोटिस जारी किये और न पट्टेदारों ने नवीनीकरण के लिये आवेदन किया। पट्टेदारों ने, लगान का भुगतान किये बिना पट्टे पर धारित सम्पत्ति पर आधिपत्य बनाये रखा। बकाये लगान को आरोपण और संग्रहण करने के लिये विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण वर्ष 1998–99 से 2003–04 की अवधि के लिये, सलामी, दण्ड–लगान तथा दंड–ब्याज के रूप में 28.70 करोड़ रुपये का आरोपण/उद्ग्रहण नहीं किया जा सका। इसमें से 25.34 करोड़ रुपये वर्ष 2000–01 से 2003–04 तक की अवधि से सम्बन्धित थे।

[1] *सलामी, भूमि के वृद्धित मूल्य में सरकार का हिस्सा होती है।*

पट्टों की बंधों और शर्त्तों का उल्लंघन

5.2.2 सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना, 47.11 एकड़ भूमि के लिये 520 आवासीय पट्टों को या तो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये परिवर्तित किया गया था अथवा पट्टों को स्थानान्तरित किया गया था। उनकी अवधि समाप्त होने के बाद वर्ष 1991–92 से उनका नवीनीकरण नहीं किया गया था और पट्टेदारों ने कोई लगान भुगतान किये बिना पट्टे पर धारित सम्पत्ति पर अपना आधिपत्य जारी रखा। नयी शर्त्तों और सन्दर्भों पर उनके पट्टों को नियमित करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी। इसके फलस्वरूप वर्ष 1998–99 से 2003–04 की अवधि के लिये 29.83 करोड़ रुपये के राजस्व का उद्ग्रहण नहीं किया गया। इसमें से 23.25 करोड़ रुपये वर्ष 2001–02 से 2003–04 की अवधि से सम्बन्धित थे।

लेखापरीक्षा में इसे बताए जाने के बाद, अक्तूबर 2004 और अप्रील 2005 के बीच खास महल पदाधिकारी ने कहा कि सर्वेक्षण का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका था। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों से पता चला कि मार्च 2005 तक, 22 *मौजों*[2] में से केवल तीन मौजों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया था। लोक लेखा समिति की अनुशंसा के आलोक में भी यह जवाब मान्य नहीं था।

5.3 प्रवेश कर का आरोपण और संग्रहण

बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर (प्रवेश कर) अधिनियम 1993 तथा उसके अधीन बने नियमों/निर्गत अधिसूचनाओं के अन्तर्गत, बिहार वित्त अधिनियम 1981 के अन्तर्गत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यवसायी को अथवा एक वर्ष में विनिर्दिष्ट परिणाम से अधिक परिमाण में, अनुसुचित माल का आयात करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति को, स्थानीय क्षेत्रों[3] में माल के प्रवेश पर एक निर्धारित दर पर "प्रवेश कर" का भुगतान करना आवश्यक है। प्रवेश कर अधिनियम आगे प्रावधान करता है कि बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत विवरणियों, कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण, छुपाई गई विक्रय राशि, कर की वसूली, अपराध और अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित सभी प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भी लागू होंगे। प्रवेश कर के आकलन एवं संग्रहण का कार्य, बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को सौंपा गया है।

प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 से 2003–04 तक की अवधि के प्रवेश कर के आरोपण तथा संग्रहण में सामर्थ्य एवं प्रभावकारिता सम्बन्धी नमूना जाँच से निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए :

आयात मूल्य का छिपाव

5.3.1 बिहार वित्त अधिनियम के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने बिक्री

[2] *मौजा : राजस्व सर्वेक्षण के समय यथा मान्यता प्रदत्त एवं अलग से संलग्न किया गया गाँव। (सन्दर्भ : बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885)*

[3] *"स्थानीय क्षेत्र" का अर्थ है कि निम्नलिखित की सीमा के अन्दर के क्षेत्र (i) म्यूनिसिपल कारपोरेशन (ii) म्यूनिसिपैलेटी (iii) नोटिफाईड एरिया कमिटी (iv) कैन्टोनमेन्ट बोर्ड (v) टाउन बोर्ड, माईन्स बोर्ड, (vii) म्यूनिसिपल बोर्ड (viii)ग्राम पंचायत (ix) उस समय के लिये लागू किसी कानून के अधीन कोई अन्य स्थानीय प्राधिकार*

राशि के ब्यौरे को जानबूझ कर छिपाया, छोड़ा या प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसी बिक्री राशि के लिये गलत विवरण दिया है और जिसके कारण उसके द्वारा वास्तविक राशि से कम की विवरणी दाखिल की गयी है तो उक्त प्राधिकारी को वैसी बिक्री राशि के सम्बन्ध में व्यवसायी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करना है तथा निर्धारित किये गये कर के अतिरिक्त, छिपायी गयी बिक्री राशि पर दंडस्वरूप कर का अधिकतम तीन गुणा किन्तु कम से कम कर की समतुल्य राशि का भुगतान करने के लिये व्यवसायी को निर्देश देना है।

बिहार वित्त अधिनियम आगे यह प्रावधान करता है कि यदि विहित प्राधिकारी किसी कार्यवाही के क्रम में अथवा अन्यथा सन्तुष्ट है कि किसी निबन्धित व्यवसायी ने बिक्री राशि का गलत विवरण दिया है अथवा दाखिल की गयी विवरणी में विक्रय या क्रय का गलत ब्यौरा प्रस्तुत किया है तो उसकी बात सुने जाने का अवसर देने के बाद उसे निर्देश देगा कि उसकी निर्धारित राशि या आकलित की जानेवाली राशि के अतिरिक्त, बिक्री राशि को छुपाने, या छोड़ने या गलत ब्यौरा दिये जाने के दण्डस्वरूप, निर्धारित कर की राशि की दुगुनी राशि से अधिक नहीं किन्तु कर की समतुल्य राशि से कम नहीं, अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। नवम्बर 1988 और मई 2002 में जारी किये गये विभाग के अनुदेशों के अनुसार कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विवरणियों की समीक्षा किया जाना और चूक करने वाले व्यवसायियों के विरूद्ध बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना आवश्यक था।

पाँच वाणिज्य कर अंचलों में, कर निर्धारण अभिलेखों, घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता प्रमाण पत्रों, पथ–अनुज्ञा पत्रों क्रय सम्बन्धी ब्यौरे, व्यापार लेखाओं आदि तथा 14 व्यवसायियों द्वारा दाखिल किये गये विवरणियों से देखा गया कि उन्होंने वर्ष 2000–01 से 2003–04 तक की अवधि में 104.22 करोड़ रुपये के अनुसूचित माल के आयात/क्रय को छुपाया था। सितम्बर 2002 ओर जुलाई 2004 के बीच कर निर्धारण करते समय, आयात मूल्य के छिपाव का पता लगाने में कर निर्धारण अधिकारी विफल रहे। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 5.27 करोड़ रुपये का प्रवेश कर कम आरोपित किया गया, जैसा कि नीचे दिखलाया गया है:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम/ व्यवसायियों की संख्या	निर्धारण का वर्ष/ निर्धारण का गाह/ वर्ष	वस्तु/कर का दर (प्रतिशत में)	अभिलेखों के अनुसार आयात का मूल्य	लेखांकित आयात मूल्य	अन्तर	आरोप्य कर/ अर्थदण्ड की राशि	योग
1.	आरा 4	2001–02 जुन 2003	कोयला (4)	713.11	504.86	208.25	8.33 8.33	16.66
2.	औरंगाबाद 2	2001–02 एवं 2002–03 / अप्रील 2003 फरवरी 2004• मई 2004	मोटर वाहन (4) और कोयला (4)	685.20	464.74	220.46	8.82 8.82	17.64
3.	बेगूसराय 2	2000–01 एवं 2001–02 तक फरवरी 2003	क्रूड आयल (2) सीमेन्ट (5) इलेक्ट्रिकल फिटिंग (8) और आयरन एण्ड स्टील (4)	3,12,030.04	3,02,853.76	9,176.28	208.48 208.48	416.96

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम/ व्यवसायियों की संख्या	निर्धारण का वर्ष/ निर्धारण का माह/ वर्ष	वस्तु/कर का दर (प्रतिशत में)	अभिलेखों के अनुसार आयात का मूल्य	लेखांकित आयात मूल्य	अन्तर	आरोप्य कर/ अर्थदण्ड की राशि	योग
4.	पाटलिपुत्र 3	2000–01 से 2002–03 तक फरवरी 2004 जुलाई 2004 नवम्बर 20032	इलेक्ट्रिकल फिटींग (5) सीमेन्ट (5) आयरण एण्ड स्टील (4) पोली विनाईल क्लोराईड (4) एयर कन्डिशनर (5), मोटर वाहन (5) और भारत निर्मित विदेशी शराब (5)	4,038.13	3,393.40	644.73	31.05 31.05	62.10
5.	सासाराम 3	2001–02 से 2002–03 तक सितम्बर 2002 जून 2003 मई 2004	कोयला (4) और मार्बल (5)	673.66	501.65	172.01	6.89 6.89	13.78
योग	**14**			**3,18,140.14**	**3,07,718.41**	**10,421.73**	**263.57** **263.57**	**527.14**

अक्तूबर 2003 और अप्रील 2005 के बीच इसे बतलाये जाने के बाद, जुलाई 2005 में विभाग ने कहा कि बेगूसराय अंचल के दो मामलों में नोटिस जारी कर दिये गये है। इससे आगे जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2005)।

मामले सरकार को जून 2005 में प्रतिवेदित किये गये थे ; उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसायियों द्वारा दाखिल किये गये विवरणियों और विभिन्न विभागों[4] से संग्रहित आंकड़ों के साथ प्रवेश कर अधिनियम के अधीन दाखिल किये गये विवरणियों की अगस्त 2004 और अप्रील 2005 के बीच की गई तिर्यक जाँच से पता चला कि 11[5] वाणिज्य कर अंचलों में, प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 से 2003–04 तक की अवधि में दाखिल किये गये अपनी विवरणियों में 29 व्यवसायियों ने 212.26 करोड़ रूपये मूल्य के अनुसूचित माल के आयात को छिपाया था। इन मामलों में दाखिल विवरणियों की जाँच करने में तथा अर्थदण्ड आरोपित करने के लिए कार्यवाही आरम्भ करने में कर निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे। इसके फलस्वरूप 11.02 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। इन मामलों को अगस्त 2004 और अप्रील 2005 के बीच विभाग को तथा जून 2005 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया; जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

4 *बिहार राज्य विद्युत पर्षद और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन।*

5 *आरा, औरंगाबाद, बेगुसराय, भभुआ, भागलपुर, गया, हाजीपुर, मुँगेर, मुजफ्फरपुर, पटना सिटी पूर्वी और पाटलिपुत्र।*

कर के गलत दर का आरोपण

5.3.2 अगस्त 2003 में निर्गत अधिसूचना[6] द्वारा सरकार ने स्थानीय क्षेत्रों में अनुसूचित माल के प्रवेश से सम्बन्धित कर की दरों को पुनरीक्षित किया (अगस्त 2003 के प्रभाव से लागू)।

चार वाणिज्य कर अंचलों में देखा गया कि पाँच व्यवसायियों ने वर्ष 2003–04 के लिये अपनी आवधिक विवरणियों में लागू होने वाले दरों से कम दर पर आरोपित कर स्वीकार किया था। इन मामलों में दाखिल विवरणियों की जाँच और सही कर का आरोपण करने के लिये कार्यवाही आरम्भ करने में निर्धारण प्राधिकारी विफल रहे। नीचे दिये गये विवरण के अनुसार संगणित कर की राशि 51.76 लाख रुपये थी।

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम/व्यवसायियों की संख्या	वस्तु	मालों का आयात मूल्य	कर की दरें		छुपाये गये कर की राशि
				आरोप्य	स्वीकृत	
				प्रतिशत में		
1.	भागलपुर (1)	मोटरवाहन	493.42	8	5	14.80
2.	गया (2)	सीमेन्ट	473.00	12	5	33.10
3.	पटना सिटी पूर्वी (1)	तम्बाकू उत्पाद	25.37	16	5	2.79
4.	सासाराम (1)	तम्बाकू उत्पाद	9.76	16	5	1.07
	योग		**1,001.55**			**51.76**

दिसम्बर 2004 और अप्रील 2005 के बीच लेखापरीक्षा में इसे बतलाये जाने के बाद विभाग ने अगस्त 2005 में कहा कि भागलपुर अंचल के एक मामले में 15 लाख रुपये की वसूली की गयी है। शेष मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2005)।

मामले सरकार को जून 2005 में प्रतिवेदित किये गये थे जिसने विभाग के जवाब की सम्पुष्टि की। इसके बाद जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2005)।

कर आरोपित नहीं किया जाना

5.3.3 बिहार वित्त अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर का देनदार प्रत्येक व्यवसायी कर भुगतान के लिए उत्तरदायी होने के सात दिनों के भीतर अपने व्यवसाय के प्रत्येक स्थान के निबन्धन के लिए विहित प्राधिकारी के पास अलग से आवेदन प्रस्तुत करेगा। निबन्धन के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणों की जाँच करने अथवा करवा लेने के बाद विहित प्राधिकारी उक्त आवेदन के प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर उस व्यवसायी को एक निबन्धन प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसके बावजूद भी किसी भी अवधि के लिए कर का देनदार कोई व्यवसायी यदि जानबूझ कर निबन्धन के लिये आवेदन करने में विफल रहता है तो उसे सुने जाने का एक उचित अवसर प्रदान करते हुए विहित प्राधिकारी उस व्यवसायी को कर की राशि के अतिरिक्त चूक के प्रतिदिन के लिये 50 रुपये की दर से निर्धारित राशि अथवा कर की समतुल्य राशि जो भी कम हो का अर्थदण्ड भुगतान करने का निर्देश देगा।

[6] *एस. ओ. संख्या 159 दिनांक 22 अगस्त 2003।*

वर्ष 1997 और 2001 में निर्गत विभागीय अनुदेशों में प्रवेश कर आरोपण से बचने वाले अनिबन्धित व्यवसायियों का पता लगाने के लिये तथा सरकार के राजस्व की वसूली सुनिश्चित करने के लिये प्रभावकारी सर्वेक्षण किये जाने का प्रावधान किया।

- बिहार के विभिन्न व्यवसायियों द्वारा अनुसूचित माल के आयात के सम्बन्ध में वाणिज्य कर आयुक्त द्वारा विभिन्न वाणिज्य कर अंचलों को भेजी गयी सूचनाओं और लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों से संग्रहीत सुचनाओं से यह उद्घटित हुआ कि पाँच[7] वाणिज्य कर अंचलों के 37 व्यवसायियों ने वर्ष 2000–01 से 2003–04 की अवधि में 30.76 करोड़ रूप्ये मूल्य के अनुसूचित मालों का आयात किया किन्तु प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उन्होंने अपना निबन्धन नहीं कराया ओर अनुसूचित मालों के आयात मूल्य पर वांछित कर का भुगतान नहीं किया। तदन्तर यह उद्घटित हुआ कि व्यावसायी बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित थे।

दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारण प्राधिकारी सामान्य होते हुए, आवधिक विवरणी के आंकड़ों के मिलान के माध्यम से प्रवेश कर अधिनियम के अधीन व्यवसायियों का निबन्धन नहीं होने के तथ्य का पता लगाने में और निबन्धन तथा प्रवेश कर के आरोपण/संग्रहण के लिये कार्यवाही आरम्भ करने में वे विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप निबन्धन नहीं होने तथा अर्थदण्ड के अतिरिक्त 1.26 करोड़ रुपये का प्रवेश कर आरोपित नहीं किया गया।

दिसम्बर 2004 से अप्रील 2005 के दौरान लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने के बाद अगस्त 2005 में विभाग ने बतलाया कि भभुआ अंचल के नौ व्यवसायियों के विरूद्ध 20.44 लाख रुपये की मांग सृजन किया गया है। आगे जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

- लेखापरीक्षा में, मामले की संचिकाओं, प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' में घोषणा का उपयोग किये जाने के विवरणों, पथ–अनुज्ञापत्रों, व्यापार लेखाओं से संग्रहित सूचनाओं और बिहार वित्त अधिनियम के अधीन पाँच[8] अंचलों में निबन्धित छह व्यवसायियों द्वारा दाखिल विवरणियों की तिर्यक जाँच से पता चला कि वर्ष 2000–01 से 2003–04 तक की अवधि में इन व्यवसायियों ने 7.90 करोड़ रुपये मूल्य के अनुसूचित मालों का आयात किया था तथा वे इनके आयात मूल्य पर प्रवेश कर का देनदार थे, परन्तु उन्होंने प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपना निबन्धन नहीं कराया और अनुसूचित मालों के आयात मूल्य पर प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया।

प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत इन व्यवसायियों का निबन्धन करने में हुई निर्धारण अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप, अर्थदण्ड के अतिरिक्त 43.48 लाख रुपये के प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया गया।

अगस्त 2004 और अप्रील 2005 के बीच इस लेखापरीक्षा में बतलाये जाने के बाद अगस्त 2005 में विभाग ने बतलाया कि तेघड़ा अंचल के एक व्यवसायी के मामले में 45.92 लाख रुपये की मांग सृजित कर ली गई है। आगे जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

बिहार के विभिन्न व्यवसायियों द्वारा अनुसूचित मालों के आयात के सम्बन्ध में वाणिज्य कर आयुक्त द्वारा विभिन्न वाणिज्यिक कर अंचलों को भेजी गई सूचनाओं के तिर्यक

[7] *आरा, भभुआ, भागलपुर, बक्सर और मुंगेर।*

[8] *आरा, भभुआ, बक्सर, सहरसा और तेघड़ा।*

जाँच से यह भी पता चला कि सात अंचलों[9] के कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले 60 अनिबन्धित व्यवसायियों ने वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक की अवधि में 30.85 करोड़ रुपये मूल्य के अनुसूचित माल (कोयला) का आयाता किया परन्तु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के लिये इस माल के आयाता मूल्य पर आरोप्य प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया। यद्यपि निर्धारण प्राधिकारियों को, वाणिज्य कर आयुक्त से इसकी सूचना प्राप्त थी परन्तु इन व्यवसायियों को ढूंढ़ने और उनका निबन्धन करने के लिये निर्धारण प्राधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

वाणिज्य कर आयुक्त के अनुदेशों का, निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन किये जाने में हुई विफलता के फलस्वरूप अर्थदण्ड के अतिरिक्त 1.23 करोड़ रुपये का कर आरोपित नहीं किया जा सका।

इन मामलों को, दिसम्बर 2004 से अप्रील 2005 के दौरान विभाग को प्रतिवेदित किया गया; जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

- तदन्तर पाँच अंचलों[10] के कार्यक्षेत्र में पड़नेवाले 13 अनिबन्धित व्यवसायियों ने औरंगाबाद अंचल में निबन्धित एक व्यवसायी से वर्ष 2000–01 और 2001–02 के दौरान 1.51 करोड़ रुपये मूल्य के वनस्पति (भेजिटेबुल ऑयल) का आयात किया, परन्तु स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के लिये उनके आयात मूल्य पर आरोप्य प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया।

अनिबन्धित व्यवसायियों का पता लगाने के लिये वाणिज्य कर आयुक्त के अनुदेशों का अनुपालन करने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के फलस्वरूप अर्थदण्ड के अतिरिक्त 7.56 लाख रुपये का प्रवेश कर आरोपित नहीं किया जा सका।

अगस्त 2004 से अप्रील 2005 की अवधि में इसे बतलाये जाने के बाद जुलाई 2005 में विभाग ने बतलाया कि बेगूसराय अंचल के व्यवसायियों को नोटिस निर्गत कर दिया गया है। इसके बाद जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

उपर्युक्त मामले सरकार को जून 2005 में प्रतिवेदित किये गये; जिसने विभाग के जवाब की सम्पुष्टि की।

कर दायित्व में अनियमित कटौती

5.3.4 प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधानों और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान का दायित्त्व रखने वाला अनुसूचित मालों का आयातकर्ता ऐसे अनुसूचित मालों की बिक्री करने के नाते बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत कर भुगतान करने का उत्तरदायी होता है किन्तु बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत कर भुगतान करने की आदेयता में प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर की सीमा तक कटौती कर दी जायेगी।

बिक्री कर भुगतान के दायित्त्व में कटौती के दावे की निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा वांछित जाँच पड़ताल सम्बन्धित व्यवसायी द्वारा देय अगली त्रैमासिक विवरणी दाखिल किये जाने के पहले किया जाना और दावे की शुद्धता के प्रति सन्तुष्ट हो लेना आवश्यक हैं।

9 *आरा, भभुआ, भागलपुर, बक्सर, हाजीपुर, पटना सिटी (पूर्व) और सासाराम।*

10 *बेगूसराय, गया, हाजीपुर, मुंगेर और सासाराम।*

निर्धारण प्राधिकारी को, व्यवसायी के कर निर्धारण अभिलेख में यथोचित पृष्ठांकन करना और उक्त प्रपत्र ई.टी.–X में प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करना है। विहित प्राधिकारी द्वारा दिये गये इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही बिक्री कर का निर्धारण करते समय व्यवसायी के दायित्त्व (कर आदेयता) में कटौती किया जाना है।

- हाजीपुर और पाटलिपुत्र अंचलों में दो व्यवसायियों ने वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक की अवधि में खपत के लिये आयातित मालों के मूल्य पर भुगतित प्रवेश कर के आधार पर बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत भुगतेय क्रमशः 39.26 लाख रुपये एवं 29.17 लाख रुपये की कर आदेयता में कटौती का उपभाग किया।

- पाटलिपुत्र अंचल के एक अन्य मामले में व्यवसायी ने दूसरे राज्य में भुगतित प्रवेश कर के आधार पर वर्ष 2003–04 में 8.58 लाख रुपये की कटौती का उपभाग किया।

- सासाराम अंचल में बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत जून 2003 में कर आरोपित एक व्यवसायी को वैसे माल के मूल्य पर आधारित कर में 1.91 लाख रुपये की कटौती प्रदान की गई जो बिक्री के लिये नहीं था। यह कटौती अनियमित थी क्योंकि बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत व्यवसायी का दायित्त्व उस सीमा तक नहीं था।

नियमों के अन्तर्गत यथा वांछित दावों तथा प्रपत्र ई. टी.–X में निहित पृष्ठांकन की जाँच–पड़ताल निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा नहीं की गयी, जिसके फलस्वरूप कर दायित्त्व में अनियमित कटौती की गयी।

मामले विभाग/सरकार को क्रमशः अक्तूबर 2004 तथा अप्रील 2005 एवं जून 2005 में प्रतिवेदित किये गये; जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

5.3.5 प्रवेश कर अधिनियम के साथ पठित बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई व्यवसायी देय कर का भुगतान अनुबन्धित समय सीमा के भीतर करने में विफल होता है तो उसे सुने जाने का एक अवसर देते हुए कर निर्धारण प्राधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत विहित दरों पर अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

मुजफ्फरपुर और पटना विशेष अंचलों अक्तूबर और नवम्बर 2004 में यह देखा गया कि दो व्यवसायी निर्धारण वर्ष 2001–02 और 2002–03 के लिए 1.33 करोड़ रुपये के स्वीकृत कर का भुगतान नियत समय पर करने में विफल रहे। यह विलम्ब 10 दिनों से 604 दिनों तक का था। मार्च 2003 और जनवरी 2004 में निर्धारण करते समय कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 39.42 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया।

अक्तूबर और नवम्बर 2004 में इसे बतलाये जाने के बाद वाणिज्य कर उपायुक्त, मुजफ्फरपुर ने अक्तूबर 2004 में बतलाया कि व्यवसायी वित्तीय संकटों से गुजर रहा था। विभाग का जवाब मान्य नहीं था, इस प्रकार की कोई छूट (शिथिलता) अधिनियम/नियमों में उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। (सितम्बर 2005)।

मामले सरकार को जून 2005 में प्रतिवेदित किये गये; जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

अध्याय VI : कर – भिन्न प्राप्तियाँ

वन प्राप्तियाँ

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004–05 की अवधि में की गई लेखापरीक्षा में वन प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच से 165 मामलों में अन्तर्निहित 268.54 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि/वसूली नहीं होना उद्घटित हुआ, जिसे नीचे दिखलाया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	विभागीय चूकों के कारण राजस्व की हानि	2	184.93
2.	नीलामवाद मामले आरम्भ किये जाने में हुए विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	32	5.02
3.	आरा मिलों का निबन्धन नहीं किये जाने के कारण राजस्व की हानि	21	1.82
4.	अन्य मामले	110	76.77
	योग	**165**	**268.54**

वर्ष 2004–05 की अवधि में सम्बन्धित विभाग ने 188.17 करोड़ से अन्तर्ग्रस्त तीन मामलों में हुई अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिन्हें 2004–2005 के दौरान लेखापरीक्षा में बतलाया गया था।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले जिनमें 2.39 करोड़ रुपये का राजस्व अन्तर्निहित था, निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये हैं :

6.2 वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के साथ पठित वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (वन अधिनियम) यह अनुबन्ध करता है कि कोई भी राज्य सरकार, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, गैर–वानिकी प्रयोजन के लिये, वन–भूमि के किसी भी भाग को आरक्षण मुक्त करने के लिये सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से कोई आदेश निर्गत नहीं करेगा। वन अधिनियम, इस अधिनियम का उल्लंघन किये जाने के मामले में अभियोग चलाये जाने का प्रावधान करता है तथा राज्य सरकार के लिये यह अनिवार्य है कि उल्लंघन के प्रत्येक मामले का सम्पूर्ण विवरण भारत सरकार को प्रतिवेदित करे।

वन अधिनियम के अन्तर्गत, पूर्व अनुमोदन के बिना आरम्भ किये गये किसी परियोजना की स्वीकृति की मांग सम्बन्धी प्रस्ताव भेजे जाने पर प्रतिबन्ध लगाते हुए भारत सरकार ने 1986 और 2001 में अनुदेश भी जारी किया था और निदेशित किया था कि उन परियोजनाओं के लिये भी, जिनमें 1980 से पूर्व, वन भूमि को आरक्षण मुक्त करने के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश निर्गत नहीं किये गये थे, वन अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है।

ऐसी वन भूमि जिसे वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, के सीमा मे फेरबदल राज्य विधान मंडल के पूर्वानुमति के द्वारा ही किया जा सकता है। तदन्तर, अभयारण्य क्षेत्र के वन भूमि के विचलन के प्रस्ताव को माननीय उच्चतम न्यायालय[1] एवं भारतीय वन्य जीव बोर्ड से भी अनुमोदित कराना आवश्यक है।

रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम में मार्च 2005 में यह देखा गया कि वन विभाग ने कैमूर और रोहतास जिलों में डैम और स्पिलवे (दुर्गावती जलाशय परियोजना का एक भाग जिसमें इसके मुख्य नहर, वितरणियों के सभी क्षेत्रों एवं जलमग्न क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 2,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि की आवश्यकता थी) के निर्माण के लिये 64.75 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि जल संसाधन विभाग को स्थानान्तरित करने की सहमति 1975 में दी थी। उक्त वन भूमि पर जल संसाधन विभाग ने 1978–79 में डैम निर्माण का कार्य आरम्भ किया हालांकि राज्य सरकार द्वारा इसके आरक्षण मुक्त किये जाने की अधिसूचना निर्गत नहीं की गयी थी। तदुपरान्त उक्त वन भूमि का 5.44 एकड़ भूमि भी 1978 में स्थापित कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य का अंश हो गया और जिसे 1979 में अधिसूचित किया गया।

वन विभाग ने मई 2001 में देखा कि जल संसाधन विभाग को दी गयी सहमति से बाहर के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के पास अप्रील 2003 में आपराधिक मामला दायर किये जाने सहित बार बार की गयी आपत्तियाँ भी कार्य रोकने में विफल रहीं। वन अधिनियम एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सूचित करने में विभाग ने 31 महीनों का समय लगाया। विभाग ने दिसम्बर 2003 में कार्य स्थल का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात्, डैम के कार्य में 13.80 हेक्टेयर वन भूमि और स्पिल वे के निर्माण में 3.75 हेक्टेयर अभ्यारण्य क्षेत्र का अतिक्रमण किये जाने के इस मामले की सूचना जनवरी 2004 में दी। अभ्यारण्य क्षेत्र में अतिक्रमण का कारण स्पिल वे को इसके मूल स्थल से स्थानान्तरित किया जाना था।

[1] *दिनांक 13 नवम्बर 2000 को डब्ल्यू. पी. 337/1995 में आई. ए. नं. 2 एवं दिनांक 9 मई 2002 को डब्ल्यू. पी. 337/1995 में आई. ए. नं. 18 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश।*

तथापि, राज्य सरकार ने भारत सरकार को उल्लंघन सम्बन्धी यह सूचना भेजने के बजाय अभ्यारण्य क्षेत्र के 600.72 हेक्टेयर भूमि सहित 2030 हेक्टेयर वन भूमि की विचलन का प्रस्ताव अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदन हेतु भारत सरकार को सितम्बर 2004 में भेजा। गैर वानिकी प्रयोजन के लिये वन भूमि का उपयोग किये जाने के लिये जल संसाधन विभाग से वसूली किये जाने योग्य 184.62[2] करोड़ रुपये का मुआवजे के साथ–साथ नष्ट किये गये वन को पुनर्जीवित करने के लिये समतुल्य गैर वानिकी भूमि लिया जाना निर्धारित किया गया। जल संसाधन विभाग ने वन अधिनियम विधान स्थापित होने से पूर्व वन उपज के मूल्य के रूप में 59 लाख रुपये का भुगतान किया था।

वन अधिनियम के अन्तर्गत वांछित पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव उस समय भेजा गया था जब परियोजना के डैम का 92 प्रतिशत और नहर का 64 प्रतिशत भाग का कार्य मार्च 2004 तक पूरा किया जा चुका था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय वन्य जीव बोर्ड (ईन्डियन बोर्ड आफ वाईल्ड लाईफ) के अनुमोदन के अभाव में तथा नवम्बर 2004 में भारत सरकार द्वारा मांगी गयी कुछ सूचनाओं के अभाव में भी यह प्रस्ताव अधूरा था। राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बजाय, विभाग द्वारा प्रतिवेदित अतिक्रमण को नियमित करते हुए अभ्यारण्य क्षेत्र की 5.44 एकड़ भूमि सहित 64.75 हेक्टेयर वन भूमि को अधिसूचना मुक्त किया।

इस प्रकार विभाग एवं राज्य सरकार की विफलता के फलस्वरूप न केवल वन अधिनियम एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अवहेलना की गयी, अपितु वन आच्छादन की रिक्तता भी हुई और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का विघटन भी हुआ। अतिक्रमण को नियमित किया जाना भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन था।

मार्च 2005 में इसे बतलाये जाने के बाद क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना ने उल्लंघन का मामला स्वीकार करते हुए मई 2005 में बतलाया कि जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माण कार्य के लिये प्रयुक्त वन–भूमि को आरक्षण मुक्त किये जाने के लिये नवम्बर 2004 में सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना में अभ्यारण्य का क्षेत्र भी सम्मिलित था।

मामला सरकार को अप्रील 2005 में प्रतिवेदित किया गया ; जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

6.3 अतिक्रमित वन–भूमि से अवैध रूप से निकाली गयी वन सम्पत्तियों के मूल्य की वसूली नहीं किया जाना

वन अधिनियम के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत पुनर्वानिकी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए वन–भूमि को वृक्षहीन करना वर्जित है। वन भूमि का अतिक्रमण एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। बिहार वन नियमावली, वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा उचित रूप से संचालित एवं इसकी सीमाओं का वन पदाधिकारियों द्वारा किये जाने वाले विहित निरीक्षणों के माध्यम से वन भूमि की सुरक्षा का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त, वन को पहुँचायी गयी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के साथ, सरकारी वन भूमि से हटायी गयी वन सम्पदा के मूल्य की वसूली, बकाये भू–राजस्व की तरह नीलामवाद मामलों के माध्यम से किया जाना है।

[2] *शुद्ध वर्तमान मूल्य 150.76 करोड़ रूपये, क्षतिपूरक वन रोपण लागत 3.07 करोड़ रूपये और वन उत्पाद का मूल्य 30.79 करोड़ रूपये।*

रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम में मार्च 2005 में देखा गया कि अपने निरीक्षण के क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी को अगस्त 2004 में पता चला कि पाँच मामलों में खनन पट्टाधारियों ने, पट्टाधारित क्षेत्र के बाहर की आरक्षित वन भूमि से 20 लाख घन फीट पत्थड़ सामग्रियों को अवैध निकासी की। खदान के आकार पर आधारित सामग्रियों का मूल्य, क्षतिपूर्ति के साथ विभाग द्वारा 2.29 करोड़ रुपये आंकी गई।

नमूना जाँच से पता चला कि राजकीय राजस्व की वसूली के लिये नीलामवाद मामले शुरू करने के बजाय वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अगस्त 2004 में जिलाधिकारी, रोहतास से पट्टाधारियों के विरूद्ध मनी सुट (मुकदमा) दायर करने तथा खनन पट्टों को निरस्त करने सहित उन पर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। तथापि राजकीय राजस्व की वसूली के लिये इन मामलों में लेखापरीक्षा की तिथि (मार्च 2005) तक कार्यानुसरण नहीं किया गया। इस प्रकार वन संरक्षण के लिये संहितात्मक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण 2.29 करोड़ रुपये मूल्य की वन सम्पदा की क्षति के साथ साथ वन भूमि की व्यापक क्षति हुई।

मार्च 2005 में इसे बतलाये जाने के बाद विभाग ने नीलामवाद मामलों का आरम्भ नहीं किये जाने की बात को स्वीकार करते हुए जून 2005 में बतलाया कि इसके बाद खनन पट्टों को समाहर्ता, रोहतास द्वारा निरस्त कर दिया गया है और पत्थर सामग्रियों का 1.19 लाख घनफीट का भंडार जब्त कर लिया गया है। इसके बाद जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

मामला सरकार को अप्रील 2005 में प्रतिवेदित किया गया ; जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

6.4 इमारती लकड़ियों का निस्तारण नहीं किये जाने के कारण राजस्व की वसूली मे देरी

बिहार वन उत्पाद (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1984 प्रावधित करता है कि राज्य के वनों से संग्रहित किये गये अथवा संग्रहित किये जाने वाले सभी वन उत्पादों का निस्तारण, प्रत्येक वर्ष अधिमानतः अप्रील माह के समाप्त होने से पहले सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जायेगा।

नवादा वन प्रमंडल, में अगस्त 2004 में देखा गया कि वर्ष 1999–2004 की अवधि में संग्रहित 9.92 लाख रुपये मूल्य की 71 घनमीटर इमारती लकड़ियाँ लेखापरीक्षा की तिथि तक अनिस्तारित पड़ी रही। लम्बी अवधि तक इनका भंडारण किये जाने से होने वाली विघटन से बचाने के लिये सम्बन्धित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा समय पर इनका निस्तार किये जाने की कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके फलस्वरूप 9.92 लाख रुपये के राजस्व की प्राप्ति नहीं की जा सकी।

अगस्त 2004 में इसे बतलाये जाने के बाद जून 2003 में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना ने बतलाया कि सभी इमारती लकड़ी चालू वर्ष के अन्त तक बेच दी जायेगी। इसके बाद जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

मामला सरकार को जनवरी 2005 में प्रतिवेदित किया गया; जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

अध्याय VII : अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004–05 में की गयी लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच से 203 मामलों में निहित 292.22 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि/गैर वसूली का पता चला, जिसे नीचे दिखलाया गया है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
•	**खान एवं खनिज**		
1.	कोयले का स्तर घटाये जाने के कारण कम रॉयल्टी का आरोपण	1	0.09
2.	रायल्टियों और उपकरों का आरोपण नहीं किया जाना	2	1.49
3.	ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	5	0.21
4.	अर्थदण्ड/फीस का आरोपण नहीं किया जाना	17	16.45
5.	मुद्रांक शुल्क एवं निबन्धन फीस का आरोपण नहीं किया जाना	8	0.92
6.	बालू घाटों की बन्दोबस्ती नहीं होने/अनियमित बन्दोबस्ती होने के कारण नीलामी राशि का आरोपण कम/ नहीं होना	8	7.21
7.	नीलामवाद की प्रक्रियाएँ आरम्भ नहीं किया जाना	5	13.42
8.	अन्य मामले	79	59.67
	योग	**125**	**99.46**
•	**जल दर**		
1.	सिंचाई के लक्ष्य हासिल नहीं किये जाने के कारण राजस्व की वसूली नहीं होना	10	16.99
2.	जल दर के निर्धारण में विलम्ब	03	11.77
3.	अन्य मामले	61	119.88
	योग	**74**	**148.64**
•	**लेखापरीक्षा शुल्क**	2	2.72
•	**ब्याज प्राप्तियाँ**	2	41.40
	कुल योग	**203**	**292.22**

वर्ष 2004–05 के दौरान सम्बन्धित विभाग ने 44.92 करोड़ रुपये से अन्तर्निहित चार मामलों में अनियमितताएँ स्वीकार की, जिन्हें 2004–05 की अवधि में लेखापरीक्षा में बतलाया गया था।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले, जिनमें 50.33 करोड़ रुपये का कर प्रभाव अन्तर्निहित था, निम्नलिखित कंडिकाओं में दिये गये हैं :

खान एवं खनिज

7.2 ईंट मिट्टी के अवैध खनन के लिये अर्थदण्ड आरोपित नहीं/ कम किया जाना

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली, 1972 (बिहार माईनर मिनरल कन्सेसन रुल्स 1972) के प्रावधानों और उसके अधीन निर्गत अधिसूचना के अन्तर्गत प्रत्येक ईंट भट्ठा का मालिक/ईंट मिट्टी ले जाने वाला, अनुज्ञप्ति निर्गत होने से पहले, ईंट भट्ठा की श्रेणियों के आधार पर निर्धारित एक समेकित रायल्टी का भुगतान करेगा। बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के नियम 26–क के अन्तर्गत, ईंट भट्ठा मालिक/ईंट मिट्टी लेने वाला, नियम में विहित तरीके से, प्रत्येक वर्गीकृत क्षेत्र के लिये ईंटों की निर्धारित संख्या के आधार पर प्रति भट्ठा, प्रतिवर्ष एक समेकित रॉयल्टी राशि का भुगतान राज्य सरकार को करेगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियमावली का नियम 40(8) प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति यदि वैध पट्टे/अनुज्ञप्ति के बिना लघु खनिज निकालता है तो उसे अर्थदण्ड के रूप में उसके मूल्य का भुगतान करना होगा और सरकार उस व्यक्ति से उस अवधि के लिये जिसमें वह भूमि किसी वैध प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में था, लगान, रॉयल्टी अथवा कर, जैसी भी स्थिति हो, की वसूली कर सकती है। अवैध खनन के व्यवसाय को रोकने के लिए आवधिक छापामारी करने और उस पर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजने के लिये सरकार ने अक्तूबर 1986 में अनुदेश निर्गत किया।

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) बिहार सरकार की कंडिका 8.3 में इस विषय पर उल्लेख किया गया था और लोक लेखा समिति ने अनुशंसा की थी कि विभाग द्वारा मामले की समीक्षा की जा सकती है और वह यथोचित कार्रवाई कर सकता है। विभाग द्वारा की गई कार्रवाई प्रतीक्षित है (सितम्बर 2005)।

छह जिला खनन कार्यालयों[1] में मई एवं नवम्बर 2004 के बीच देखा गया कि विहित समेकित रॉयल्टी का भुगतान किये बिना तथा वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ईंट मौसम 2002–03 ओर 2003–04 में 232 ईंट भट्ठे चलाये गये थे। इनमें से दो जिला खनन कार्यालयों (पटना और जमुई) से सम्बन्धित 14 मामलों में 0.70 लाख रुपये के अर्थदण्ड की मांग का निर्धारण खनिज की कीमत के सन्दर्भ के बिना किया गया था। खनिज की न्यूनतम कीमत को रॉयल्टी के समतुल्य मानते हुए तथा पहले से आरोपित रॉयल्टी की राशि को घटाते हुए, 1.97 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था या कम आरोपित किया गया था।

मामलों को विभाग और सरकार को मार्च और अप्रील 2005 में प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने जुलाई 2005 में जवाब दिया कि लोक लेखा समिति ने विभाग को अपने स्तर पर उचित कार्रवाई करने का निदेश दिया था और कि सर्वोपरि प्रावधानों के साथ एक नया नियम 26–क प्रतिपादित किया गया है जिससे नियम 40(8) को आकर्षित नहीं किया जा सकता। सरकार का जवाब मान्य नहीं था क्योंकि नियम 40(8) लघु खनिज/ईंट भट्ठा मिट्टी के अवैध निष्कासन/उत्खनन के लिये दाण्डिक प्रावधानों को आकर्षित करता है जबकि नियम 26–क वैध अनुज्ञप्ति रखने वाले ईंट भट्ठा मालिक द्वारा समेकित रॉयल्टी के भुगतान के सम्बन्ध में कार्रवाई करता है। जहाँ अनुज्ञप्ति के बिना खनन कार्य किया जा रहा है, वैसे सभी मामलें गैर कानूनी खनन का बनता है

[1] *बेगूसराय, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, पटना और सीतामढ़ी।*

एवं उनपर नियम 40(8) के अन्तर्गत दण्ड आरोपित होता है। इसके बाद जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

7.3 बन्दोबस्ती के दस्तावेजों का निष्पादन नहीं होने के कारण राजस्व की हानि

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत बालू की बन्दोबस्ती जिला समाहर्ता द्वारा एक पंचांग वर्ष के लिए, सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जाती है तथा जैसा कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 में प्रावधित है, बन्दोबस्ती विलेख का निष्पादन, मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर बन्दोबस्ती आदेश के 60 दिनों के भीतर किया जाना है। विलेख का निष्पादन नहीं किये जाने की स्थिति में बन्दोबस्ती आदेश रद्द कर दिया गया माना जायेगा।

पाँच जिला खनन कार्यालयों[2] में नियमों के अन्तर्गत वांछित बन्दोबस्ती विलेखों का उचित निष्पादन हुए बिना वर्ष 2003 और 2004 के लिये 118 बालू क्षेत्रों की बन्दोबस्ती 8.89 करोड़ रुपये पर की गयी। बन्दोबस्ती विलेखों का निष्पादन किये बिना बालू क्षेत्रों की बन्दोबस्ती किये जाने के फलस्वरूप 37.67 लाख रुपये के अधिभार सहित 71.92 लाख रुपये के मुद्रांक शुल्क की हानि हुई।

जनवरी और सितम्बर 2004 के बीच लेखापरीक्षा में इसे बतलाये जाने के बाद सम्बन्धित सहायक खनन पदाधिकारियों ने सितम्बर 2004 में बतलाया कि कार्रवाई की जायेगी। इसके बाद जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

मामले सरकार को जून 2004 और मार्च 2005 में प्रतिवेदित किये गये; जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

जल दर

7.4 खतियानी तैयार नहीं किये जाने के कारण मांग का सृजन नहीं किया जाना

बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 के अधीन एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन कृषि कार्यों के लिए जल आपूरित किये गये लाभार्थियों से जलदर की वसूली के प्रयोजन से, खरीफ के लिये 30 नवम्बर तथा रबी फसल के लिये 30 अप्रील तक की निर्धारित अवधि के भीतर सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न औपचारिकताएँ, जैसे सिंचित भूमि की विवरणी (सूदकर) की तैयारी, कृषकवार विस्तृत मापों (खेसरा) की तैयारी और मांग विवरणियों (खतियानी) की तैयारी पूरा कर लिये जाने की आवश्यकता होती है।

चार प्रमंडलों[3] में अगस्त और दिसम्बर 2004 के बीच देखा गया कि वर्ष 2001–02 से 2003–04 की अवधि में खरीफ के लिये सिंचित 1.73 लाख एकड़ भूमि और रबी के लिये सिंचित 2.09 लाख एकड़ भूमि की खतियानी तैयार नहीं की गयी थी और 3.03 करोड़ रुपये के जल दर की मांग सृजित करने और उनका संग्रहण करने के लिए उन्हें सम्बन्धित राजस्व प्रमंडलों को नहीं भेजा गया था। इससे 3.03 करोड़ रूपये जलदर के संग्रहण में विलम्ब हुआ।

2 *भागलपुर, बिहारशरीफ, जमुई, मुंगेर और वैशाली।*

3 *डेहरी प्रमंडल, डेहरी, पूर्वी सोन उच्च स्तरीय नहर प्रमंडल, औरंगाबाद, सोन नहर प्रमंडल, बिक्रमगंज और कमला नहर प्रमंडल, जयनगर*

अगस्त और दिसम्बर 2004 में लेखापरीक्षा में इसे बतलाये जाने के बाद, कार्यपालक अभियन्ता (का. अ.), डेहरी ने अक्तूबर 2004 में बतलाया कि कार्रवाई की जा रही है जबकि अन्य कार्यपालक अभियन्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण खतियानी तैयार नहीं किया जा सके। जबाब मान्य नही है क्योंकि मांग पत्र तैयार किये जाने के लिये विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध मानव शक्ति पर्याप्त थी। इसके बाद जबाब प्राप्त नही हुआ है (सितम्बर 2005)।

मामले सरकार को जनवरी और मार्च 2005 के बीच प्रतिवेदित किये गये; जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

7.5 चाट भूमि की बन्दोबस्ती निम्न दरों पर किये जाने के कारण राजस्व की हानि

बिहार सिंचाई नियमावली और उसके अधीन निर्गत अनुदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत चाट भूमि[4] की बन्दोबस्ती प्रत्येक वर्ष 25 जून से 25 मार्च तक की अवधि के लिये, 9 महीनों के पट्टे पर, प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और भूमिहीन किसानों को, जल दर सहित, समय समय पर पुनरीक्षित विहित दरों पर किया जाना है। विभाग ने मार्च 2002 में एक/दो फसली चाट भूमि की बन्दोबस्ती के लिये दरों के पुनरीक्षण आदेश जारी किया।

दो नहर प्रमंडलों[5] में देखा गया कि 5,115 एकड़ की दो फसलवाली चाट भूमि की बन्दोबस्ती वर्ष 2002–03 और 2003–04 के लिये लागू 1,163 रुपये प्रति एकड़ के पुनरीक्षित दर की बजाय 213 रुपये प्रति एकड़ की पुराने दर पर की गयी, जिसके फलस्वरूप 48.60 लाख रुपये के कम राजस्व की वसूली हुई।

सितम्बर 2004 में लेखापरीक्षा में इसे बतलाये जाने के बाद सम्बन्धित कार्यपालक अभियन्ताओं ने पुराने दर पर बन्दोबस्ती किये जाने का कारण पुनरीक्षित दरों का प्राप्त नहीं होना/विलम्ब से प्राप्त होना बतलाया। विभाग का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि दरों को पुनरीक्षित किये जाने सम्बन्धित आदेश मार्च 2002 में ही भेजे गये थे।

मामले सरकार को जनवरी और फरवरी 2005 में प्रतिवेदित किये गये; जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

लेखापरीक्षा शुल्क

7.6 लेखापरीक्षा शुल्क की वसूली नहीं होना

बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 और इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत सभी निबन्धित सहकारी समितियों का वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा किया जाना तथा निबन्धक सहकारी समितियाँ द्वारा यथा निर्धारित लेखापरीक्षा शुल्क की वसूली किया जाना प्रावधित है। जून 2001 में निबन्धक सहकारी समितियाँ द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुसार यदि सहकारी समितियाँ बकायों का भुगतान करने में विफल होती हैं तो लेखापरीक्षा शुल्क की वसूली, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स) के माध्यम से सहकारी समिति की बचत बैंक खाता से किया जाना है और खातों की अनुपलब्धता के मामले में सम्बन्धित सहकारी समिति के विरूद्ध नीलामवाद का मुकदमा दायर करके बकाये राशि की वसूली किया जाना है।

4 सरकारी भूमि जो नहर के दोनो बगल स्थित हो।

5 डेहरी प्रमंडल, डेहरी और सोन नहर प्रमंडल, बिक्रमगंज।

संयुक्त निबन्धक (लेखापरीक्षा), सहकारी समितियाँ द्वारा वर्ष 2000–01 से 2003–04 तक के लिये प्रस्तुत आंकड़ों की जाँच से पता चला कि सहकारी समितियों द्वारा भुगतेय बकाया लेखापरीक्षा शुल्क की राशि 31 मार्च 2004 को, 10[6] शीर्ष सहकारी समितियों के विरूद्ध 0.35 करोड़ रुपये की बकाया राशि सहित 2.29 करोड़ रुपये थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	लेखापरीक्षित सहकारी सगितियों की संख्या	आदि शेष	आरोपित लेखापरीक्षा शुल्क	योग	वसूल किया गया लेखापरीक्षा शुल्क	बकाया लेखापरीक्षा शुल्क
2000–01	4,546	171.76[7]	34.54	206.30	30	176.30
2001–02	3,890	176.30	45.52	221.82	38	183.82
2002–03	3,373	183.82	36.91	220.73	43	177.73
2003–04	3,191	177.73	53.03	230.76	36	194.76

चार जिलों[8] में सहायक निबन्धकों के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि न तो जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से बचत बैंक खाता से वसूली की गयी थी और न ही सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा किसी नीलामवाद मुकदमें की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। इस प्रकार उपर उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों और विभागीय अनुदेशों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण 2.29 करोड़ रुपये का सरकारी राजस्व की वसूली अप्रील 2005 तक लम्बित पड़ी थी।

मामला सरकार को जून 2005 में प्रतिवेदित किया गया; जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

7.7 लेखापरीक्षा से वंचित सहकारी समितियाँ

बिहार सहकारी समिति अधिनियम, प्रत्येक निबन्धित समिति की लेखाओं की लेखापरीक्षा, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार किये जाने का प्रावधान करता है। बिहार सहकारी समितियाँ नियमावली, 1959 के नियम 58(1)(क) के अन्तर्गत निबन्धित समिति की प्रबन्धन समिति वार्षिक लेखा तैयार करेगी तथा सहकारी वर्ष[9] की समाप्ति के बाद तीन महीने के भीतर इसे निबन्धक को समर्पित करेगी और इसे लेखापरीक्षक को भी प्रस्तुत करेगी, जिसमें विफल रहने की स्थिति में निबन्धक लेखाएँ तैयार करवा सकता है और इसकी लागत समिति पर आरोपित कर सकता है और समिति से इसकी वसूली लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में की जायेगी।

वर्ष 2000–01 से 2003–04 की अवधि में लेखापरीक्षा के लिये आवंटित सहकारी समितियों का विवरण तथा आवंटित सहकारी समितियों के विरूद्ध सम्पन्न लेखापरीक्षा की स्थिति, विभाग द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार निम्नवत थी :

6 *मुख्य लेखापरीक्षक मगध और पटना से सम्बन्धित :*
बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, कोऑपरेटिव सुगर फैक्ट्रीज लि. पटना, बिहार स्टेट इन्डस्ट्रिज कोऑपरेटिव फेडरेशन लि. पटना, बिहार स्टेट शीप एण्ड वूल वीभर्स कोऑपरेटिव यूनियन लि. पटना।
मुख्य लेखापरीक्षक बिस्कोमान से सम्बन्धित :
बिस्कोमान, बिहार स्टेट हैन्डलूम वीभर्स कोअपरेटिव यूनियन लिमिटेड, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लि.।
मुख्य लेखापरीक्षक लैन्ड डेवलपमेन्ट बैंक से सम्बन्धित :
बिहार स्टेट कोऑपरेटिव लैन्ड डेवलपमेन्ट बैंक लि.
मुख्य लेखापरीक्षक बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से सम्बन्धित :
बिहार स्टेट टीचर्स यूनियन, बिहार स्टेट फिशरीज कोऑपरेटिव फेडरेशन।

7 *171.76 लाख रुपये में से 168.92 लाख रुपये की राशि पूर्व के वर्षों से सम्बन्धित थी।*

8 *गया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और पटना।*

9 *सहकारी वर्ष का अर्थ होता है 1 जुलाई से आरम्भ होकर 30 जून को समाप्त होने वाला वर्ष।*

वर्ष	लेखापरीक्षा किये जाने योग्य सहकारी समितियों की संख्या	लेखापरीक्षा के लिये आवंटित सहकारी समितियों की संख्या	लेखापरीक्षित सहकारी समितियों की संख्या	लेखापरीक्षा के लिए शेष सहकारी समितियों की संख्या	सम्पन्न लेखापरीक्षा की प्रतिशतता
2000–01	10,536	9,859	4,546	5,313	46
2001–02	10,126	9,177	3,890	5,287	42
2002–03	9,652	8,943	3,373	5,570	38
2003–04	9,520	8,600	3,191	5,409	37
योग				**21,579**	

लेखापरीक्षा पूरा किये जाने की प्रतिशतता केवल 37 से 46 प्रतिशत के बीच स्थित थी। यह देखा गया कि सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा के लिये निबन्धक सहकारी समितियाँ, द्वारा कोई विशिष्ट (स्पष्ट) मानक निर्धारित नहीं किया गया था। उक्त वर्षों की अवधि में लेखापरीक्षा के लिये सहकारी समितियों के आवंटन की संख्या से उपरोक्त वर्षों की अवधि में उपलब्ध मानव शक्ति में से प्रत्येक लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिये 35 से 40 सहकारी समितियों की एक औसत संख्या प्रस्तुत होती थी।

वर्ष 2000–01 से 2003–04 तक की अवधि में सहकारी समितियों की 21,579 ईकाईयों की लेखापरीक्षा पूरा नहीं किये जाने से 200 रुपये प्रति ईकाई[10] की औसत दर पर संगणित 43.16 लाख रुपये का न्यूनतम आरोप्य लेखापरीक्षा शुल्क अन्तर्ग्रस्त था।

लेखापरीक्षा पूरा नहीं किये जाने के कारणों में सहकारी समितियों द्वारा लेखा पूरा नहीं किया जाना और समर्पित नहीं किया जाना तथा मानव शक्ति की कमी होना बतलाया गया। जवाब मान्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा के लिए सहकारी समितियों का आवंटन, उक्त वर्षों की अवधि में जिलों में उपलब्ध मानव शक्ति के आधार पर किया गया था। सहकारी समितियों की लेखाओं को पूरा करवाने के लिये अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का सहयोग लेने में भी विभाग विफल रहा।

मामला सरकार को जून 2005 में प्रतिवेदित किया गया; जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

ब्याज प्राप्तियाँ

7.8 मांग का सृजन/उद्ग्रहण नहीं किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत ऋण एवं ब्याज की वसूली का उत्तरदायित्त्व संस्वीकृत देने वाले प्राधिकारी का है। संस्वीकृति आदेश में विनिर्दिष्ट शर्त्तें और बन्ध यह बतलाते हैं कि मूल धन और ब्याज का पुनर्भुगतान किस तरीके से किया जायगा। संस्वीकृति की शर्त्तों और बन्धों के अनुरूप मूलधन का पुनर्भुगतान नहीं किये जाने वाले किश्तों पर दाण्डिक ब्याज भी आरोप्य है।

- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज निदेशालय) के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि फरवरी 2001 से फरवरी 2004 तक की अवधि में विभाग ने राज्य के विभिन्न जिला परिषदों को 15.21 करोड़ रुपये का ऋण दिया था। ऋणों का पुनर्भुगतान (वापसी) 13 प्रतिशत और 16 प्रतिशत के बीच रहने वाले ब्याज के साथ 10 वर्षों के भीतर किया जाना था, जिसमें विफलता की स्थिति में ढ़ाई प्रतिशत (2½%) की

10 *सहकारी समितियों के कार्य साधक पूंजी के आधार पर लेखापरीक्षा शुल्क का दर 50 रुपये प्रति ईकाई से 10,000/– रूपये प्रति ईकाई तक के बीच स्थित था।*

दर से दाण्डिक ब्याज आरोप्य था। यह देखा गया कि विभाग ने न तो ब्याज एवं दाण्डिक ब्याज की संगणना की थी न मांग का सृजन किया था जिसकी मार्च 2001 से मार्च 2005 तक की अवधि के लिए संगणित राशि 6.51 करोड़ रुपये की थी, जिसे **संलग्नक–V** में दिया गया है।

लेखा परीक्षा में इसे बतलाए जाने के बाद विभाग ने मई 2005 में कहा कि ब्याज की संगणना नहीं की गयी थी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 2005)।

- परिवहन विभाग ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बि. रा. प. प. नि.) पटना को ऋण संस्वीकृत किया जिसे ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जाना था। शर्तों और बन्धों के अनुसार इन ऋणों को एक वर्ष के भीतर ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित नहीं किये जाने की स्थिति में ऋण की वापसी क्रमशः 13 प्रतिशत और ढ़ाई प्रतिशत की दर से ब्याज और दाण्डिक ब्याज के साथ किया जाना था।

परिवहन विभाग एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि विभाग ने वर्ष 1999–2000 से 2003–04 तक की अवधि में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को 58.85 करोड़ रुपये का ऋण दिया। ऋणों को न तो ईक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया गया और न ही इसे वापस लौटाया गया। मार्च 2005 तक के लिये की गई संगणना से ऋणों पर ब्याज और दाण्डिक ब्याज की राशि 34.89 करोड़ की थी, जिसका विवरण **संलग्नक–VI** में दिया गया है। परिवहन विभाग ने ब्याज और दाण्डिक ब्याज के लिये कोई मांग सृजित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा में इसे बतलाये जाने के बाद विभाग ने ब्याज की मांग नहीं किये जाने और वसूली नहीं किये जाने के तथ्य को मई 2005 में स्वीकार किया ।

मामले सरकार को मई 2005 में प्रतिवेदित किये गये; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2005)।

विक्रम चन्द्र

पटना
दिनांक

(विक्रम चन्द्र)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ने. कौल

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्र एन. कौल)
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

संलग्नक–I
(संदर्भ : कंडिका 4.3.4)

अधूरा डाटाबेस

सिरीज	वाहनों की कुल संख्या	क्षेत्रों में लुप्त डाटा की संख्या										
		निबन्धन की तिथि	मालिक का नाम	पिता का नाम	प त ा	व्यवसायी का नाम	इंजन नम्बर चेसिस नम्बर	बीमा कम्पनी/बीमा संख्या/तिथि	भुगतान तिथि	सीट	रंग	आर. एल. डब्ल्यू.
जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर												
बीआर-10	2,632	19	20	336	33	क्षे उ न	705/26	क्षे उ न	651	-	क्षे उ न	-
बीआर-10ए	2,444	1	2,444	97	24	2,444	484/4	2,444/2,444/2,444	2,444	-	2,444	-
बीआर-10बी	10,806	3,149	5,093	4,570	4,544	5,253	4,549/4,425	5,965/5,968/5,965	5,093	3,001	6,035	-
बीआर-10सी	10,086	532	272	705	650	578	524/524	8,850/8,849/8,849	271	272	1,463	-
बीआर-10डी	8,634	1,259	280	1,261	1,209	1,182	1,143/1,143	8,628/8,628/8,628	281	281	1,204	1
बीआर-10जी	1,253	250	104	300	267	312	1,157/254	1,152/1,153/1,152	104	20	606	-
बीआर-10पी	1,041	180	158	277	219	262	196/196	799/799/799	158	85	316	-
योग	**36,896**	**5,390**	**8,371**	**7,546**	**6,946**	**10,031**	**8,758/6,572**	**27,838/27,841/27,837**	**9,002**	**3,659**	**12,068**	**1**
जिला परिवहन कार्यालय,पटना												
बीआर-1एपी	1,941	400	222	525	401	395	395/395	526/573/526	222	222	470	-
बीआर-1डी	702	480	00	459	451	452	457/449	556/556/556	00	00	610	-
बीआर-1ई	420	411	00	401	403	405	405/405	406/406/406	00	00	409	-
बीआर-1जी	8,512	2,271	987	2,608	2,281	2,259	4,508/2,265	3,629/3,729/3,629	25	00	6,857	-
बीआर-1एच	10,046	1,497	2,434	4,030	3,831	3,828	3,823/3,823	4,262/4,266/4,262	2,435	2,435	4,073	-
बीआर-1-आई	132	117	105	120	117	117	117/117	122/122/122	105	105	118	-
बीआर-1जे	13,102	7,795	6,943	7,945	7,793	7,781	7,773/7,773	8,162/8,169/8,162	3,087	6,946	8,006	-
बीआर-1के	10,064	1,245	770	1,496	1,261	1,242	1,238/1,238	1,661/1,674/1,661	4	784	1,527	-
बीआर-1एल	10,020	414	00	681	442	421	401/401	826/846/826	00	2	811	-
बीआर-1एम	10,035	444	00	652	475	552	433/433	865/876/865	00	1	758	
बीआर-1एन	10,020	404	54	581	443	490	398/398	837/852/837	53	54	804	-
बीआर-1पी	10,102	1,242	623	2,936	1,335	1,239	1,234/1,234	2,821/2,934/2,821	14	623	3,473	-
बीआर-1क्यू	10,033	373	4	537	422	459	368/368	771/802/771	4	4	655	-
बीआर-1आर	10,044	314	31	458	337	328	311/312	536/591/536	31	31	469	-
बीआर-1एस	10,045	264	43	393	281	263	259/259	620/661/620	42	43	441	-
बीआर-1टी	10,033	142	31	400	328	196	137/137	493/694/493	31	32	216	-
बीआर-1यू	10,026	117	25	213	144	251	116/116	271/557/271	25	25	208	-

बीआर -1भी	10,044	204	126	293	222	230	202/202	467/821/467	126	127	325	-
बीआर -1डब्ल्यू	10,005	323	258	387	329	308	308/308	411/899/411	258	258	389	-
बीआर -1एक्स	10,014	905	260	913	854	842	837/837	1,082/1,308/1,082	260	260	936	-
बीआर -1वाई	10,026	1,602	256	1,573	1,559	1,551	1,548/1,548	1,852/2,006/1,852	256	256	1,600	-
बीआर -1जेड	7,688	4160	253	3,650	3,607	3,603	3,602/3,602	3,785/3,790/3,785	253	254	3627	-
योग	**1,83,054**	**25,124**	**13,425**	**31,251**	**27,316**	**27,212**	**28870/26620**	**34,961/37,132/34,961**	**7,231**	**12,462**	**36,782**	
जिला परिवहन कार्यालय,पूर्णियाँ												
बीईके	576	2	-	24	2	क्षे.उ.न.	शून्य/शून्य	क्षे.उ.न.	क्षे.उ.न.	-	क्षे.उ.न.	-
बीएचके	1,344	0	-	42	13	क्षे.उ.न.	शून्य/शून्य	क्षे.उ.न.	क्षे.उ.न.	-	क्षे.उ.न.	-
बीआर 11	1,504	5	-	29	2	क्षे.उ.न.	शून्य/शून्य	क्षे.उ.न.	क्षे.उ.न.	-	क्षे.उ.न.	-
बीआर 11ए	3,467	7	-	24	7	क्षे.उ.न.	शून्य/2	क्षे.उ.न.	क्षे.उ.न.	-	क्षे.उ.न.	-
बीआर 11बी	2,274	6	-	59	8	क्षे.उ.न.	शून्य/शून्य	क्षे.उ.न.	क्षे.उ.न.	-	क्षे.उ.न.	-
बीआर 11सी	1,548	4	-	8	6	क्षे.उ.न.	शून्य/4	क्षे.उ.न.	क्षे.उ.न.	-	क्षे.उ.न.	-
योग	**10,713**	**24**	**-**	**186**	**38**	.	शून्य/6	.	.	-	-	-

टिप्पणी : क्षे.उ.न. – क्षेत्र उपलब्ध नहीं
आर.एल.डब्ल्यू. – निबन्धित लादित भार

संलग्नक–II
(संदर्भ : कंडिका 4.3.4)

अधूरा डाटाबेस

जिला परिवहन कार्यालय	वाहन सिरीज	मामलों की संख्या जिनमें अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये थे	मामलों की संख्या जिनमें जिला/स्थान का उल्लेख नहीं था
भागलपुर	बी आर-10ए	60	47
	बी आर -10बी	09	06
	बी आर -10जी	05	04
	बी आर -10पी	05	05
	योग	**79**	**62**
पटना	बी आर -01	87	40
	बी आर -1ए	86	58
	बी आर -1बी	81	31
	बी आर -1सी	75	28
	बी आर -1डी	40	12
	बी आर -1जी	191	15
	योग	**560**	**184**
पूर्णियाँ	बी एच के	24	17
	बी आर -11	11	05
	बी आर -11ए	24	09
	बी आर -11बी	19	13
	बी आर -11सी	04	01
	योग	**82**	**45**

संलग्नक–III
(संदर्भ : कंडिका 4.3.5)

द्वितीयक इंजन/चेसिस नम्बर

जिला परिवहन कार्यालय	सिरीज	द्वितीयक इंजन नम्बरों की संख्या	द्वितीयक चेसिस नम्बरों की संख्या	द्वितीयक चेसिस/इंजन नम्बरों की संख्या
भागलपुर	बी आर-10बी	-	-	04
	बी आर -10सी	04	01- 3भी	10
	बी आर -10पी	-	-	01
	योग	**04**	**01**	**15**
पटना	बी आर -1जी	-	-	1
	बी आर -1एन	05	02	1
	बी आर -1क्यू	01	-	-
	बी आर -1आर	02	01	-
	बी आर -1एस	01	01	-
	बी आर -1टी	01	-	-
	बी आर -1यू	01	01	-
	बी आर -1भी	02	01	2
	बी आर -1डब्ल्यू	02	-	4
	बी आर -1एक्स	-	-	1
	योग	**15**	**06**	**09**
पूर्णियाँ	बी आर -11बी	-	-	01
	योग	**-**	**-**	**01**

भी – भेहिकल(वाहन)

संलग्नक–IV

(संदर्भ : कंडिका 4.3..5)

द्वितीयक / तृतीयक / चतुर्थ और अधिक बीमा प्रमाण पत्र / कवर नोट नम्बर रखने वाले दृष्टान्तों की संख्या

वाहन सीरिज	बीमा कंपनियाँ	द्वितीयक क्षेत्र मूल्य	तृतीयक क्षेत्र मूल्य	चतुर्थ क्षेत्र मूल्य	सम्बन्धित चार क्षेत्र मूल्य से अधिक के दृष्टान्त
जिला परिवहन कार्यालय, भागलपुर					
बी आर-10बी	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	11	-	01	01-10भी
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	03	02	-	01-49 भी
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	28	-	-	01-10 भी
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	01	-	-	02-05, 09 भी
योग		**43**	**02**	**01**	**05**
बी आर-10सी	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	16	-	-	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	-	-	-	01-5 भी
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	08	01	01	-
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	01	01	-	-
योग		**25**	**02**	**1**	**01**
बी आर-10पी	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	01	-	-	-
योग		**01**	शून्य	शून्य	शून्य
जिला परिवहन कार्यालय, पटना					
बी आर-1जी	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	02	-	-	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	05	01	-	-
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	01	-	-	-
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	05	-	-	-
	बजाज एलियान्ज	01	-	-	-
योग		**14**	**01**	शून्य	शून्य
बी आर-1एन	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	03	-	-	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	17	01	-	01-5 भी
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	10	-	-	-
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	26	15	16	08-6 भी, 6 भी, 5भी,5 भी, 5 भी,6 भी, 7 भी,10 भी
	बजाज एलियान्ज	-	-	-	-
योग		**56**	**16**	**16**	**09**

वाहन सीरिज	बीमा कंपनियाँ	द्वितीयक क्षेत्र मूल्य	तृतीयक क्षेत्र मूल्य	चतुर्थ क्षेत्र मूल्य	सम्बन्धित चार क्षेत्र मूल्य से अधिक के दृष्टान्त
बीआर-1पी	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	-	-	-	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	02	-	-	01-8 भी
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	01	-	-	-
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	01	-	-	-
	बजाज एलियान्ज	-	-	-	-
योग		**04**	**शून्य**	**शून्य**	**01**
बी आर-1क्यू	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	11	02	-	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	38	01	-	02-5 भी, 11 भी
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	14	-	-	-
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	23	03	04	01-7 भी
	बजाज एलियान्ज	-	-	-	-
योग		**86**	**06**	**04**	**03**
बी आर-1आर	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	15	01	-	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	46	01	-	01-6 भी
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	09	-	-	-
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	17	05	06	02-7 भी,6 भी
	बजाज एलियान्ज	-	-	-	-
योग		**87**	**07**	**06**	**03**
बी आर-1एस	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	10	-	-	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	28	-	-	-
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	08	02	-	-
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	10	02	-	01-9 भी
	बजाज एलियान्ज	-	-	-	-
योग		**56**	**04**	**शून्य**	**01**
बी आर-1टी	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	04	-	-	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	28	-	-	-
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	16	-	01	-
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	06	-	01	-
	बजाज एलियान्ज	-	01	-	01-5 भी
योग		**54**	**01**	**02**	**01**
बी आर-1यू	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	06	-	-	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	15	02	-	-
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	24	-	-	-
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	14	01	-	-
	बजाज एलियान्ज	-	-	-	-
योग		**59**	**03**	**शून्य**	**शून्य**
बी आर-1भी	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	14	01	-	01-6 भी
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	20	01	-	-
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	18	-	01	01-13 भी
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	10	-	-	01-5 भी
	बजाज एलियान्ज	-	-	-	-
योग		**62**	**02**	**01**	**03**

वाहन सीरिज	बीमा कंपनियाँ	द्वितीयक क्षेत्र मूल्य	तृतीयक क्षेत्र मूल्य	चतुर्थ क्षेत्र मूल्य	सम्बन्धित चार क्षेत्र मूल्य से अधिक के दृष्टान्त
बी आर-1डब्ल्यू	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	23	-	-	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	31	01	-	-
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	25	02	-	01-5 भी
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	06	-	-	-
	बजाज एलियान्ज	-	-	-	-
योग		**85**	**03**	**शून्य**	**01**
बी आर-1एक्स	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	15	01	03	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	52	02	02	02-7 भी,5 भी
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	12	03	01	02-5 भी,10 भी
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	04	-	01	01-8 भी
	बजाज एलियान्ज	-	-	-	-
योग		**83**	**06**	**07**	**05**
बी आर-1वाई	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	06	-	01	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	72	02	02	04-5 भी, 47 भी, 6 भी, 7 भी
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	11	01	-	-
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	-	-	-	01-6 भी
	बजाज एलियान्ज	-	01	-	-
योग		**89**	**04**	**03**	**05**
बी आर-1जेड	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	06	-	-	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	16	-	-	01-6भी
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	02	-	-	-
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	02	-	-	-
	बजाज एलियान्ज	-	-	-	-
योग		**26**	**शून्य**	**शून्य**	**01**
बी आर-1एपी	यूनाईटेड इन्डिया इन्श्योरेन्स	02	02	-	-
	ओरियन्टल इन्श्योरेन्स क.	02	-	01	-
	नेशनल इन्श्योरेन्स कं.	02	-	-	-
	नेशनल इन्डिया इन्श्योरेन्स	01	-	01	-
	बजाज एलियान्ज	-	-	-	-
योग		**07**	**02**	**02**	**शून्य**

भी – भेहिकिल (वाहन)

संलग्नक–V

(संदर्भ : कंडिका 7.8)

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज निदेशालय आदि), बिहार, पटना द्वारा बिहार राज्य के जिला बोर्ड को दिये गये ऋण की विवरणी

(लाख रुपये में)

वर्ष	संस्वीकृति आदेश संख्या	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत ऋण की राशि	लिये गये ऋण की राशि	अवधि	समय वर्ष / माह	ब्याज की राशि 13 प्रतिशत की दर पर	दण्ड ब्याज की राशि 2.5 प्रतिशत की दर पर	अभ्युक्तियाँ
2000-01	12	17.2.2001	58,44,670	58,44,670	3/01 से 3/05	4 वर्ष, 1 महीना	31,02,545	5,96,643	
	915	16.3.2001	3,00,66,073	3,00,66,073	4/01 से 3/05	4 वर्ष	1,56,34,357	30,06,607	
	1091	26.3.2001	53,12,257	51,29,591	4/01 से 3/05	4 वर्ष	32,82,938*	5,12,959	1,82,666 रुपये जिला बोर्ड बेगूसराय द्वारा आहरित नहीं किया गया
2001-02	75	19.12.2001	2,53,29,828	2,53,29,828	1/02 से 3/05	3 वर्ष, 3 महीना	1,07,01,852	20,58,049	
	782	15.3.2002	63,37,172	61,39,085	4/02 से 3/05	3 वर्ष	23,94,243	4,60,431	1,98,087 रुपये जिला बोर्ड, पटना द्वारा आहरित नहीं किया गया
	990	28.3.2002	1,63,03,128	1,63,03,128	4/02 से 3/05	3 वर्ष	63,58,220	12,22,735	
2002-03	164	18.1.2003	2,37,60,903	2,37,60,903	2/03 से 3/05	2 वर्ष, 2 महीना	66,92,654	12,87,049	-
	775	24.3.2003	79,06,097	79,06,097	4/03 से 3/05	2 वर्ष	20,55,585	3,95,305	
2003-04	861	28.2.2004	3,16,67,000	3,15,83,574	3/04 से 3/05	1 वर्ष 1 महीना	44,48,020	8,55,388	83,426 रुपये जिला बोर्ड, शेखपुरा द्वारा आहरित नहीं किया गया
योग			**15,25,27,128**	**15,20,62,949**			**5,46,70,414**	**1,03,95,166**	

कालम–9 और 10 का योग = 6,50,65,580.00
16 प्रतिशत की दर से

संलग्नक–VI

(संदर्भ : कंडिका 7.8)

परिवहन विभाग द्वारा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना को दिये गये ऋण की विवरणी

(लाख रुपये में)

वर्ष	संस्वीकृति संख्या एवं तिथि	ऋण की राशि	अवधि	वर्ष	ब्याज की राशि 13 प्रतिशत की दर से	दाण्डिक ब्याज की राशि 2.5 प्रतिशत की दर से
1999-2000	701/17.2.2000	3,91,00,000	4/2000 से 3/2005	5 वर्ष	2,54,15,000	48,87,500
	1194/14.3.2000	33,43,339	4/2000 से 3/2005	5 वर्ष	21,73,170	4,17,917
	1434/30.3.2000	29,82,00,000	4/2000 से 3/2005	5 वर्ष	19,38,30,000	3,72,75,000
	योग	**34,06,43,339**		**योग**	**22,14,18,170**	**425,80,417**
2000-2001	4617/6.11.2000	91,44,000	12/2000 to 3/05	4 वर्ष 4 महीना	51,51,120	9.90,600
2002-2003	1736/29.5.2002	32,00,000	6/02 से 3/05	2 वर्ष 10 महीना	11,78,667	2,26,667
	33/28.6.2002	2,26,00,000	7/02 से 3/05	2 वर्ष 9 महीना	80,79,500	15,53,750
	107/10.1.2003	15,15,00,000	2/03 से 3/05	2 वर्ष 2 महीना	4,26,72,500	82,06,250
	53/26.3.2003	3,53,91,590	4/03 से 3/05	2 वर्ष	92,01,813	17.69,580
	70/30.3.2003	2,48,016	4/03 से 3/05	2 वर्ष	64,484	12,401
	71/30.3.2003	3,72,712	4/03 से 3/05	2 वर्ष	96,905	18,636
	80/31.3.2003	15,13,500	4/03 से 3/05	2 वर्ष	3,93,510	75,675
	योग	**21,48,25,818**		**योग**	**6,16,87,379**	**1,18,62,959**
2003-04	4526/22.10.2003	2,30,00,000	11/03 से 3/05	1 वर्ष 5 महीना	42,35,833	8,14,583
	247/26.3.04	8,51,834	4/04 से 3/05	1 वर्ष	1,10,738	21,296
	योग	**2,38,51,834**		**योग**	**43,46,571**	**8,35,879**
कुल योग		**58,84,64,991**			**29,26,03,240**	**5,62,69,855**

टिप्पणी : परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना के आदेश संख्या 4,617 दिनांक 6 नवम्बर 2000 के अन्तर्गत संस्वीकृत आय कर की 21.11 लाख रुपये के अन्तर को बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है।